खण्ड–25, अंक–04
शुक्रवार, 08 फाल्गुन, शक संवत्, 1930
(27 फरवरी, 2009 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 25 में 04 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की, (भारत)
2013

मूल्य-

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति	च
नियम 310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों को उठाये जाने की माँग	1–4
प्रश्नोत्तर	4–50
नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं	
विधान सभा सहसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकांश कृषि भूमि पर जल बहाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	51
विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर अन्तर्गत चाका में महाविद्यालय की स्थापना एवं गजा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	51–52
जनपद देहरादून में पुनर्वास क्षेत्र भानियावाला के ग्राम अठूरवाला में अनुपयोगी भूमि को मन्दिर निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद उत्तरकाशी के शेष 14 आन्दोलनकारियों तथा डुण्डा मुख्यालय के 15 आन्दोलनकारियों को सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	52–53
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून से ट्रेंचिंग ग्राउण्ड को शहर से अन्यत्र न हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	53–54
पन्तनगर–गदरपुर में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को ठीक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	54
कुटीर ज्योति कनेक्शन एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन पर सरचार्ज माफ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	54–55
जनपद टिहरी के विकास खण्ड जौनपुर हनुमान मन्दिर, ढाढा की बैली होते हुए पर्यटक स्थल धनौल्टी तक मोटर मार्ग निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	55

विषय	पृष्ठ–संख्या
ग्राम आनखेड़ी, ब्लॉक नारसन, जिला हरिद्वार के निकट सोलानी नदी पर पुल न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम पंचायत मयकोटी में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	56
जल संस्थान में वर्ष 2002 से पूर्व एवं वर्ष 2002 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं भत्तों में असमानता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	56–57
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश	57–59
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	59–75
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 .... (पारित)	75–77
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम] (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित) ...	77–81
पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 .... (पारित)	81–101
इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (प्रवर समिति को सन्दर्भित)	101
देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 (प्रवर समिति को सन्दर्भित)	102
हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (प्रवर समिति को सन्दर्भित) ...	102
पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 (प्रवर समिति को सन्दर्भित)	102–103
उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009	103
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (संशोधन अस्वीकृत प्रस्ताव पारित)	103–148
श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान, विशेष कार्याधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	148–149

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला उत्तरकाशी के रवांई, जिला चमोली के जोशीमठ, जिला टिहरी के जौनपुर तथा जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी एवं धारचूला के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश कर दी जाय, पर प्रस्तुत संकल्प..........(स्वीकृत)	150
उत्तराखण्ड राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमोशूद्र, पौण्ड, गाडी जाति के व्यक्ति, जो भारतीय नागरिकता के हों, को उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की संस्तुति कर दी जाय, पर प्रस्तुत संकल्प..........(स्वीकृत)	150
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किया जाय, ताकि युवकों की सेना में अधिकारी बनने की रुचि बढ़ सके, पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत संकल्प..........(चर्चा जारी) – – –	151
उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाए, पर प्रस्तुत संकल्प..........(चर्चा जारी) – –	151
श्री प्रीतम सिंह तथा श्री रणजीत सिंह रावत द्वारा नियम-310 एवं हाजी तस्लीम अहमद तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा नियम-58 में दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का स्पष्टीकरण ज्ञापन –	151–153
नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	153
उत्तराखण्ड परिवहन निगम में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने हेतु अपनायी जा रही दोहरी नीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 हरक सिंह रावत द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य –	153–154
जनपद उत्तरकाशी में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना निर्माण कार्य बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य – – –	154–155
जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के ग्राम निहन्दपुर सुआरी बाणगंगा बाबरपुर के पार व टांडा महतौली में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	155
प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 में प्रशिक्षणार्थियों के गृह जनपदों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य – – –	156

विषय		पृष्ठ-संख्या
उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-299 के अन्तर्गत पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, सार्वजनिक क्षेत्र से बॉरोइंग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	–	156–158
सत्र की समाप्ति पर सदन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन	– – –	159
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव	–	159
राष्ट्रगान	– – –	160
नत्थी 'क'	– – –	161–165
नत्थी 'ख'	– – –	166–182

क

उपस्थिति

1–श्री अरविन्द पाण्डेय
2–श्री अनिल नौटियाल
3–श्रीमती अमृता रावत
4–श्रीमती आशा
5–श्री ओम गोपाल
6–श्री करन मेहरा
7–सुश्री कैरन नेयर
8–श्री केदार सिंह
9–श्री केदार सिंह फोनिया
10–श्री खजान दास
11–श्री खड़क सिंह बोहरा
12–श्री गगन सिंह
13–श्री गणेश जोशी
14–श्री गोपाल सिंह राणा
15–श्री गोपाल सिंह रावत
16–श्री गोविन्द लाल
17–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19–चन्दन राम दास
20–श्री जोत सिंह गुनसोला
21–हाजी तस्लीम अहमद
22–श्री दिनेश अग्रवाल
23–श्री दिवाकर भट्ट
24–श्री दिवान सिंह
25–श्री नारायण पाल
26–काजी मो0 निजामुद्दीन
27–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
28–श्री प्रकाश पन्त
29–श्री प्रीतम सिंह
30–श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल
31–श्री प्रेमानन्द महाजन
32–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
33–श्री बलवीर सिंह नेगी
34–श्री बिशन सिंह चुफाल
35–श्री बृज मोहन कोटवाल
36–मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
37–श्री मदन कौशिक
38–श्री मनोज तिवारी
39–श्री मयूख सिंह
40–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"
41–श्री मातबर सिंह कण्डारी
42–श्री मुन्ना सिंह चौहान
43–श्री यशपाल बेनाम
44–चौ0 यशवीर सिंह
45–रणजीत रावत
46–डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
47–श्री राजकुमार
48–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
49–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
50–श्रीमती विजया बड़थ्वाल
51–श्री शहजाद
52–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
53–श्री सुरेन्द्र राकेश
54–डा0 हरक सिंह रावत
55–श्री हरिदास
56–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)

नियम–310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

*श्री शहजाद–

मान्यवर, हमारी 310 की सूचना है।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, नगरपालिका अध्यक्ष, रामनगर का उत्पीड़न किया जा रहा है। यह सरकार राजनीतिक भेदभाव से कार्य कर रही है।

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट 22 करोड़ रुपये का है।

(व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे, जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत मा0 सदस्य 1, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास, हाजी तस्लीम अहमद, मौ0 शहजाद तथा चौ0 यशवीर सिंह, 2, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री रणजीत सिंह रावत, 3. श्री गोपाल सिंह राणा, 4. श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री नारायण पाल, 5. श्री पुष्पेश त्रिपाठी की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से कोई भी सूचना नियम–310 के अन्तर्गत सुनने के योग्य नहीं है। मैं इन सूचनाओं में से मा0 सदस्य मौ0 शहजाद, चौ0 यशवीर सिंह, श्री हरिदास, हाजी तस्लीम अहमद तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना, जो जनपद बागेश्वर के ग्राम–नगवली पोथा बगड़, निवासी पूजा देवी पत्नी श्री जगत राम के साथ मेला देखने जाते समय सामूहिक बलात्कार किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को विषय की गंभीरता को देखते हुए नियम–58 में सुनने की अनुमति देता हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर तथा माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी 'वेल' के निकट सत्ता पक्ष की गैलरी में खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते, किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। (व्यवधान) शहजाद जी, आपकी सूचना को नियम–58 में सुन लेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर राम नगर के नगरपालिका अध्यक्ष को उत्पीड़ित कर रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

यह सरकार, जो विपक्षी पार्टियों के नगरपालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हैं, उनको उत्पीड़ित कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना निश्चित नहीं है। आपने लिखा है "सरकार द्वारा न्यायालय के निर्णय की अनदेखी की जा रही है। शासन द्वारा उक्त निर्णय के बावजूद भी इन्हें बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।" अभी कार्यवाही की तो नहीं गयी है। (व्यवधान) यह निश्चित नहीं है।

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है। नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जिस विषय को उठा रहे हैं, उस पर तो अभी तक कोई कार्यवाही हुई नहीं है। इस तरह का कोई आदेश भी नहीं हुआ है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नोटिस दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कोई शिकायत आयी होगी तो उसके आधार पर जाँच चल रही होगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जायज नहीं नाजायज शिकायत है और जबरदस्ती नोटिस दिये जा रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, मैंने अभी जानकारी ली थी, कोई भी नोटिस निर्गत नहीं किये गये है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

<u>घोर व्यवधान के मध्य</u>

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, निरस्त करने की प्रकिया के लिये नोटिस दिये गये हैं। इसका मतलब यही तो हुआ कि आप उसको निरस्त करने जा रहे हैं। हम तो नोटिस का ही विरोध करेंगे कि गलत नोटिस क्यों दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस प्रकरण को मैं दिखवा लूँगा कि क्या प्रकरण है, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम पूरी घटना का उल्लेख इसमें नहीं कर सकते थे।......................

श्री अध्यक्ष–

यह सम्भव नहीं है, आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

<u>घोर व्यवधान के मध्य</u>

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर स्थिति स्पष्ट कर देंगे और उन्होंने कह दिया है कि वे इस पर आज ही स्थिति स्पष्ट कर देंगे।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये तथा बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन 'वेल' में पूर्ववत् खड़े रहे एवं माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी 'वेल' के समीप पूर्ववत् खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश जी, कृपया आसन ग्रहण करें। यह उचित बात नहीं है।

(माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, आप कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन अपने स्थान पर वापस चले गये और माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी 'वेल' के समीप खड़े होकर पूर्ववत अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आज सदन का अन्तिम दिन है, इनके प्रकरण को भी दिखवा दीजिये।

(माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी अपने स्थान पर वापस चले गये।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश में आसवित तथा अन्य प्रदेशों से क्रय की जा रही देशी/विदेशी मदिरा की गुणवत्ता हेतु उपाय

**1. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आसवित तथा अन्य प्रदेशों से क्रय की जा रही देशी एवं विदेशी मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

क्या यह सत्य है कि प्रदेश में निर्मित की जा रही तथा अन्य प्रदेशों से आयात की जा रही मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित न किए जाने के कारण जहरीली मदिरा के सेवन से देहरादून नगर में फरवरी, 2009 के प्रथम सप्ताह में तीन स्कूली छात्र बेहोश हो गये थे ?

यदि हाँ, तो इसके तुरन्त रोकथाम के लिए क्या उपाय किये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

प्रदेश में देशी/विदेशी मदिरा का उत्पादन/निर्माण कार्य प्रभारी आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति में किया जाता है। प्रदेश में उपभोग की जा रही देशी/विदेशी मदिरा के नमूनों के परीक्षण की व्यवस्था श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इण्डस्ट्रीयल रिसर्च, नई दिल्ली एवं विभागीय प्रयोगशाला, मेरठ, उत्तर प्रदेश से करायी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि आबकारी नीति की धारा–4.09 के अनुसार यह स्पष्ट है कि आबकारी आयुक्त मुख्यालय में स्थित लैब में ही समस्त पदार्थों की, शराब की जाँच करने का अधिकार है ? तो क्यों आपके कार्यकाल से इस लैब में ताला पड़ा है, क्यों इस लैब में कार्य नहीं हो रहा है, क्यों इस लैब में जाँच नहीं हो रही है और सैम्पल क्यों नहीं लिये जा रहे हैं ? इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, राज्य बनने के बाद विभागीय लैब में टैक्निकल अधिकारी न होने के कारण प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभाग से एक अधिकारी को लिया गया था। राज्य बनने के बाद 8 वर्षों में, वह अधिकारी ढाई वर्ष तक वहाँ पर रहे और प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद वह अपने मूल विभाग में वापस चले गये हैं। इस कारण विभागीय लैब में टैक्निकल अधिकारी न होने के कारण परीक्षण नहीं हो पा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, जब यह नीति में निर्धारित है कि अपनी लैब में ही टेस्टिंग होगी, अन्य जगह नहीं हो सकती है, इस नीति को निर्धारित करने का काम भी माननीय मंत्री जी ही करते हैं, सरकार करती है या तो नीति को बदला जाता। पिछले दो साल से लैब बंद पड़ी है, उसका कारण यह है कि इन्होंने नॉन टैक्निकल व्यक्ति को वहाँ पर बिठा रखा है और इसलिये बिठा रखा है, क्योंकि वह जाँच ही नहीं कर सकता और जो टैक्निकल व्यक्ति था, उसे वापस भेज दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्यों इन्होंने ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बिठा रखा है ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि आठ साल से ज्यादा राज्य बने हुए हैं। प्रतिनियुक्ति पर वह अधिकारी ढाई साल तक रहे हैं, विभाग में और प्रतिनियुक्ति के बाद वर्तमान में इस प्रक्रिया को हम लोग जारी कर रहे हैं कि वहां पर टैक्निकल अधिकारी आये, लेकिन जब तक टैक्निकल अधिकारी नहीं आता, मैंने पहले ही कहा कि श्रीराम इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली..............

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का यह भी कहना है किसी अन्य लेबोरेट्रीज में इसकी जाँच नहीं हो सकती है।

श्री मदन कौशिक–

हो सकती है, मान्यवर।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आबकारी नीति आपके पास भेज रहा हूं। इसका परीक्षण करा लिया जाय, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें स्पष्ट उल्लेख है 499 का। (माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी ने कुछ पत्रादि माननीय अध्यक्ष जी को उपलब्ध करवाये।)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने कहा कि हमारे यहां टैक्निकल अधिकारी नहीं हैं उन परिस्थितियों में हम लोगों को **(व्यवधान)** जब नया राज्य बना था।

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपकी अपनी लैब बन गयी। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि ढाई साल आपने उसमें परीक्षण कराये फिर अचानक क्या हो गया। **(व्यवधान)** बजाये दूसरे प्रदेश में टैस्टिंग कराने के, दिल्ली में टैस्टिंग कराने की और उसी से प्रदेश में गलत शराब पीकर लोग मर रहे हैं। यह सरकार गलत शराब पिलाकर प्रदेश की जनता के प्रति लापरवाही बरत रही है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अंदर पांच साल तक दूसरी सरकार भी रही, लेकिन तब प्रतिनियुक्ति पर लेने की नियमावली नहीं थी, हम लोगों ने नियमावली बनायी। **(व्यवधान)** उसके बावजूद भी हम लोग श्रीराम इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली और विभागीय लैब मेरठ में, लगातार जो सैम्पल हम लेते हैं उनका टेस्ट कराते हैं। **(व्यवधान)**

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिए न।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय आबकारी मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या शीघ्र सरकार अपनी लैब में प्रतिनियुक्ति पर या नियुक्ति पर टैक्निकल अधिकारी नियुक्त करके अपनी लैब में टैस्टिंग कराएगी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निश्चित रूप से कराएंगे, बहुत जल्दी। मैंने कहा नियमावली हमारी बन रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बहुत जल्दी कह दिया है, माननीय मंत्री जी ने और क्या चाहिए आपको ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इण्डस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली एवं विभागीय प्रयोगशाला मेरठ से सैम्पल की जाँच करा रहे हैं। पिछले दो साल में कितनी देशी शराब की जाँच इनके द्वारा कराई गई है, कृपया बताने का कष्ट करें। (व्यवधान) शून्य है, कोई जाँच ही नहीं करायी गयी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सदस्य, भगवानपुर बड़े विद्वान हैं। हम लोगों ने, 2006–2007, 2007–2008 और 2008–2009, तीन साल के आँकड़े महीनेवार पेश कर रहा हूँ। क्योंकि बाद में फिर ये साल पूछेंगे, फिर महीने पूछेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ। मान्यवर, 2006–07 में हमने माह अप्रैल में 31 नमूने प्राप्त किये।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, काहे के नमूने प्राप्त किये, देशी शराब के या अंग्रेजी शराब के ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम लोगों के यहाँ दो प्रकार की व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था होती है लैबोरेट्री के अन्दर जहाँ निर्माण होता है, वहाँ पर हमारा आबकारी निरीक्षक रहता है। जिस समय निर्माण होता है उसी समय वहाँ से नमूने देशी और विदेशी दोनों के लिये जाते हैं। जो बाहर से आती है विदेशी मदिरा उनके नमूने किसी भी समय लिये जा सकते हैं। उन परिस्थितियों में जो आँकड़े हैं मेरे पास देशी और विदेशी के अलग–अलग नहीं हैं, मान्यवर, मैं कम्पलीट बता रहा हूँ कि हर महीने हम कितने लेते हैं, दोनों कम्बाइन्ड हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, कितने परीक्षण कराये गये ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, देशी और अंग्रेजी शराब के दिल्ली और मेरठ में कितने परीक्षण कराये गये ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, दिल्ली में 7 परीक्षण कराये, मैं दोनों मिलाकर बता रहा हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कौन से सन् में कराये ?

(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल पूछने के नाम पर हंगामा कर रहे हैं, एक–एक सवाल पूछें। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने 7 दिल्ली में किये हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कौन से सन् में कराये ? मेरे पास भी आँकड़े हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 29–11–2008 को एक ही तारीख मे हमने 07 नमूने दिल्ली में कराये, जो हमने नमूने लिये पिछले साल 2006–07, 2007–08, 2008–09 में 431 और 1002 तथा 1433 और कुछ मेरठ लैबोरेट्री में भेजे। माननीय अध्यक्ष जी, मामला बिल्कुल व्यवस्थित है सदस्य को चिन्तित होने की आवश्यकता नही है। विभाग ठीक प्रकार से जाँच कराके सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो गोल–मोल जवाब दे दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसका भी परीक्षण करा लिया जाय कि देशी शराब की सन् 2006–07, 2007–08 में एक भी नमूने की जाँच नहीं करायी गई। देशी शराब का कोई परीक्षण नहीं कराया गया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 2008 में 07 नमूने दिल्ली में भेजे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं देशी शराब की बात कर रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं भी देशी शराब की बात कर रहा हूँ जो यहां बनती है। 1002 नमूने हम लोगों ने 2006–07 और 2007–08 में अपने विभाग में और वहाँ कराये, जिसमें से 695 का रिजल्ट प्राप्त हो गया है, 307 का आना अभी शेष है। इसी प्रकार से 2008–09 में 431 का टोटल हुआ, इनमें से 7 नमूनों का रिजल्ट आ गया है और 424 का अभी आना बाकी है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, जहरीली शराब पिलाई जा रही है, जिससे लोग मर रहे हैं, उनका लीवर खराब हो रहा है, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, माननीय मंत्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको आँकड़े उपलब्ध करा रहा हूँ, मेरा निवेदन है कि इसका परीक्षण करा लिया जाय। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने भगवानपुर से रिपोर्ट मँगाई है वहाँ पर सब लोग स्वस्थ हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत प्रश्न लगे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं, आपके माध्यम से माननीय आबकारी मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में जितनी भी वाईन शॉप हैं वहां पर मात्र एक ही ब्राण्ड की दारू बिक रही है। अन्य जो ब्राण्ड हैं, वह वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हमने कई बार जानने की कोशिश की और लोग भी शिकायत करते हैं कि वहाँ पर मात्र एक ही ब्राण्ड मिलता है। क्या आपने उनको कोई हिन्ट दे रखी है कि वहाँ पर मात्र एक ही ब्राण्ड की दारू बिकेगी ?

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें। प्रश्न आ गया है आपका।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो यह मूल प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं उनकी जानकारी के लिए यहाँ पर उत्तर दे रहा हूँ, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। प्रदेश के अन्दर आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि जो हमारे यहाँ अपने ब्राण्ड खोलता है, प्रदेश के बाहर या प्रदेश के अन्दर, उनको प्रदेश के अन्दर कहीं भी किसी भी जिले में बिल्कुल छूट है कि वे जहाँ चाहें अपनी शराब बेचें। केवल सरकार का इतना नियंत्रण रहेगा कि जहाँ से शराब निकलेगी वहाँ केवल नियंत्रण रहेगा, रूट का नियंत्रण रहेगा। हर जिले की अलग फीस होगी, वह जमा करनी पड़ेगी। वर्तमान में हमारे यहाँ एक्यूरेट फिगर मेरे पास नहीं है, देशी और बियर के लगभग 40 ब्राण्ड खुले हैं।

<u>तारांकित प्रश्न</u>

वर्ष 2008 में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति की घोषणा से पूर्व स्थानान्तरण का आधार

*1. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008 में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति घोषित होने के पहले कितने शिक्षकों के स्थानान्तरण किन माप दण्डों के आधार पर किये गये ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि स्थानान्तरण नीति की घोषणा के उपरान्त कितने स्थानान्तरण किये गये ?

क्या यह सत्य है, जनपद हरिद्वार में किये गये इन स्थानान्तरणों में घोषित नीति से विचलन किया गया है ?

यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है ?

श्री मदन कौशिक–

कुल 76 शिक्षकों के स्थानान्तरण तत्समय प्रचलित स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किये गये हैं।

वर्ष 2008–09 की स्थानान्तरण नीति निर्गत होने के उपरान्त कुल 1312 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के बारे में उत्तर दिया है कि कुल 76 शिक्षकों का स्थानान्तरण तत्समय प्रचलित स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किया गया है। मेरा मूल प्रश्न था कि शिक्षा नीति आने से पूर्व कितने स्थानान्तरण पूरे प्रदेश में किये गये ? मेरा प्रश्न यह है कि क्या कुल 76 स्थानान्तरण हुए हैं ? यदि 76 से अधिक हुए और आपका उत्तर गलत पाया गया तो क्या आप दण्ड भुगतने को तैयार हैं ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य नये हैं और हम भी नये–नये आए थे 7–8 वर्ष पूर्व। नया सीखने की हमारे अन्दर भी जिज्ञासा थी। माननीय सदस्य से भी निवेदन है कि वे भी सीखने की जिज्ञासा अपने मन में रखें तो अच्छा रहेगा। जो प्रश्न किया है मैंने उसी का उत्तर दिया है कि स्थानान्तरण नीति होने से पहले कुल 76 स्थानान्तरण हम लोगों ने किये हैं। वो तत्समय स्थानान्तरण प्रचलित नीति के अन्तर्गत किये गये हैं। बाद में उन्होंने जो पूछा उसमें मैंने कहा है कि 1312 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं। तीसरे प्रश्न में मैंने कहा है–जी नहीं और चौथे प्रश्न के लिए मैंने कहा–प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मूल प्रश्न के संदर्भ में मैं पत्रावली आपको भिजवा रहा हूँ। 146 ट्रांसफर स्थानान्तरण नीति आने से पूर्व माननीय मंत्री जी के नाक के नीचे, जहाँ के माननीय मंत्री जी निवासी हैं, जहाँ ये निवास करते हैं, उस जनपद में 146 ट्रांसफर माननीय मंत्री जी के नाक के नीचे किये गये हैं। पत्रावली मैं आपको पेश कर रहा हूँ।

अध्यक्ष–

ठीक है, पत्रावली भिजवा दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जबकि उत्तर पूरे प्रदेश का 76 दिया गया है। जो मैं पत्रावली पेश कर रहा हूँ, उसमें अधिकारियों के द्वारा किये गये 146 स्थानान्तरण इसमें हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्थानान्तरण नीति बनने से पूर्व, केवल 75 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं। जिसकी टोटल सूची मेरे पास है। मान्यवर, जब हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद जिन विद्यालयों में मानक से अधिक अध्यापक थे और जिन विद्यालयों में विषय से हटकर के अध्यापक थे यानी जिन विद्यालयों में एटेचमेंट अध्यापक थे, वह पूरे प्रदेश में समाप्त करने का निर्देश सरकार ने दिया। मान्यवर, यह स्थानान्तरण नीति से इधर के होते हैं न उधर के होते हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी मूल प्रश्न के उत्तर से सम्मानित सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को कोई गुमराह नहीं कर रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अध्यापकों का एटेचमेंट है। स्थानान्तरण तो नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक–एक चीज के आदेश मेरे पास हैं। तत्कालन आदेश था कि जहाँ पर एटैचमेंट हैं, को समाप्त किया जाय। बिना शासन की अनुमति के कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, जो पत्रावली आपके समक्ष उपस्थित की है, उसमें सारी चीजें मौजूद हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी मूल प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान
नीय श्री शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट किया है कि 76 अध्यापकों के स्थानान्तरण हुए हैं और माननीय सदस्य ने जो पत्रावली उपलब्ध करायी होगी। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि उसमें समायोजन भी होंगे। जो विद्यालयों में मानकों से अधिक होंगे उनको अन्य स्थान पर समायोजन किया होगा। श्रीमन्, यह नीति के तहत नहीं आते हैं। जो उस समय परिचालित नीति थी, उसके आधार पर 76 स्थानान्तरण किये गये और जो अन्य किये गये, वह समायोजन के आधार पर किये गये। उसको स्थानान्तरण नहीं कहा जा सकता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट आ गया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं था कि नीति के तहत स्थानान्तरण किये गये या नहीं किये गये। प्रश्न यह था कि किस आधार पर स्थानान्तरण किये गये ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें स्पष्ट लिखा है जो स्थानान्तरण नीति घोषित होने से पहले के हैं **(व्यवधान)** वह समायोजन हैं यानी स्थानान्तरण नहीं हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो समायोजन की बात कर रहे हैं, आज उनको अन्य विद्यालय में लाया गया। यह स्थानान्तरण नहीं है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, माननीय सदस्य श्री शहजाद, माननीय सदस्य श्री हरिदास 'वैल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस ट्रांसफर नीति की बात माननीय मंत्री जी ने कही वह वर्ष 2005 की जो ट्रांसफर पालिसी थी उसके आधार पर 76 ट्रांसफर किये गये। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पर पहला अनिवार्य स्थानान्तरण, दूसरा अनुरोध के आधार पर, तीसरा पारस्परिक स्थानान्तरण। ये स्थानान्तरण नीति के तहत हुए। बाकी समायोजन हुए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उत्तराखण्ड में बन्धुआ मजदूरों का चिन्हीकरण एवं विमुक्ति पर विचार

*2 श्री राजेश जुवांठा–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश में बन्धुआ मजदूरों को चिन्हित किया गया है ?

यदि हाँ तो सम्पूर्ण राज्य में कितने बन्धुआ मजदूर है तथा इनकी संख्या कितनी है ?

क्या सरकार बन्धुआ मजदूरों की विमुक्ति हेतु कोई ठोस विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं श्रम मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड राज्य में चिन्हित बंधुआ मजदूरों की संख्या 05 है।

बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 एवं बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन की केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना पूर्व से लागू है, जिसके अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों के चिन्हीकरण, अवमुक्ति तथा उनके पुनर्वासन हेतु कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो सरकार ने बंधुआ मजदूरों की संख्या–5 बतायी है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में किस–किस जनपद में बंधुआ मजदूर हैं और ये किस जाति से संबंधित हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में पाँच मजदूर हैं जिनका चिन्हीकरण किया गया और 20–20 हजार रु0 इनको पुनर्वास के लिए दिया गया है।

श्री राजेश जुवांठा–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, जो यह संख्या यहीं पर बतायी गयी है। इस समय प्रदेश में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आज भी बंधुआ मजदूर हैं। यह जो संख्या माननीय मंत्री जी द्वारा बतायी गयी है, यह बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि पुनः इसकी जाँच की जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहूँगा कि दो वर्ष हो गये, बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए क्या कार्य किये गये ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी की भी बात आ जाए तो माननीय मंत्री जी, दोनों सदस्यों के प्रश्न का इकट्ठा जवाब दे दीजियेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि विगत दो वर्षों में बंधुआ श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्यवाही कितनी बार की गयी ? दूसरा जो प्रदेश में 5 बंधुआ मजदूर हैं, इनको कब–कब चिन्हित किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, 5–07–2003 को जो 5 लोग पकड़े गये हैं, वर्तमान में केवल वही बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सरकार ने 20 हजार रुपया इनको पुनर्वास के लिए दिया है। 179 और 159, जो बंधुआ मजदूर हैं, जिनकी शासन को खबर मिली थी, शासन ने चिन्हीकरण किया, उनकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से कार्यवाही कराई परन्तु लास्ट में पाया गया कि वे बंधुआ मजदूर नहीं हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि विगत 2 वर्षों में राज्य में बंधुआ मजदूरों का कितनी बार चिन्हीकरण का कार्य किया गया और दूसरी बात यह कि आपने कहा कि जो 5 बंधुआ मजदूर हैं, उनका एक ही तिथि में चिन्हीकरण किया गया या किन–किन तिथि को चिन्हीकरण किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ये 05–07–2003 को किया गया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह चिन्हीकरण की प्रक्रिया अनवरत् चलती है, कहीं से कोई शिकायती पत्र आते तो उसकी स्पष्ट रूप से जाँच होती है, जैसे 13 जून, 2008 को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ और उस पर जाँच की गई और जाँच करने के बाद जानकारी मिली कि उसमें बंधुआ मजदूर नहीं पाये गये, तो यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या सरकार बंधुआ मजदूरों के चिन्हीकरण की कार्यवाही तब करेगी, जब शिकायत आयेगी ? मान्यवर, मैंने यह पूछा कि विगत 2 वर्षों में बंधुआ मजदूरों के

चिन्हीकरण की कार्यवाही कितनी बार सरकार द्वारा की गयी, उसकी जानकारी दे दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने एक की जानकारी दे दी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, 2 वर्षों में कितनी बार किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जून, 2008 में चिन्हीकरण की प्रक्रिया की गई है ? और यह सतत् प्रक्रिया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा, मैंने सीधा प्रश्न आपसे यह पूछा कि विगत 2 वर्षों में बंधुआ मजदूरों का कितनी बार चिन्हीकरण किया गया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जून, 2008 में एक बार किया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, 2 वर्ष में सिर्फ एक बार किया गया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसमें शिकायत किसी की नहीं हुई है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि एक शिकायत के आधार पर चिन्हीकरण का कार्य किया गया, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि विगत 2 वर्षों में कितनी बार किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, सरकार शिकायत के आधार पर भी चिन्हीकरण करती है और सरकार स्वयं भी चिन्हीकरण करती है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसका मतलब यह हुआ कि शिकायत आने पर एक बार चिन्हीकरण किया, जिसकी शिकायत आई उसको चिन्हीकरण मान लिया। इसका मतलब 2 वर्षों से राज्य में बंधुआ मजदूर के चिन्हीकरण की कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जानकारी आने के कई माध्यम होते हैं, कभी शिकायती पत्र आता है, उसके माध्यम से जानकारी आती है, कभी औचक निरीक्षण होता है, उसके माध्यम से जानकारी आती है तो जानकारी आने के कई माध्यम होते हैं, शिकायती पत्र भी एक माध्यम है। जो

स्वयं सेवी संस्थायें हैं, वो शिकायत करती हैं तो उसकी तत्काल जाँच की जाती है। 13 जून, 2008 को, जिसकी जानकारी माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, उसकी जाँच की गई है। इन जाँच किये गये प्रकरणों का परीक्षण कराया गया और परीक्षण कराने के बाद यह नहीं पाया गया कि वो बंधुआ मजदूर हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह प्रश्न नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा और यह पूछा कि क्या सरकार स्वयं जाँच करायेगी ? किसी की शिकायत आने पर सरकार जाँच करायेगी कि वह बंधुआ मजदूर है या नहीं, यह स्वाभाविक है, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि विगत 2 वर्षों में क्या चिन्हीकरण किया गया ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं पुनः कहूँगा कि यह सतत् प्रक्रिया है, लगातार निगरानी रहती है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, निगरानी कैसे रखेंगे यह बता दें, आपने कहा कि निगरानी रखते हैं तो निगरानी रखने का आधार क्या है ? माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। **(व्यवधान)**

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, निगरानी का आधार बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जब कहीं पर विभागीय अधिकारियों को कोई शंका है या कोई सूचना मिल जाय या स्वयं के द्वारा भी अधिकारियों द्वारा बाउंडेड लेबरों की निगरानी की जाती है और पकड़े जाने पर कार्यवाही की जाती है। **(व्यवधान)**

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तक ऐसा कितनी बार हुआ है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ऐसा अभी एक बार हुआ है। **(व्यवधान)**

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वह भी शिकायत के आधार पर हुआ है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जब राज्य के अंदर बन्धुआ मजदूर हैं ही नहीं तो फिर इस विषय को इतना गम्भीर क्यों बनाया जा रहा है ? **(व्यवधान)**

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब राज्य के अन्दर बन्धुआ मजदूर हैं ही नहीं तो निगरानी क्यों रखी जाती है ? **(व्यवधान)**

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह इसलिए रखी जाती है कि प्रदेश में बंधुआ मजदूर न बन पायें। (व्यवधान)

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, बंधुआ मजदूर इस समय प्रदेश के कई हिस्सों में हैं। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बंधुआ श्रमिकों का पास्ट में जो भी चिन्हीकरण हुआ है, उनका ठीक से पुनर्वास हुआ है या नहीं ? क्या इसके मॉनीटरिंग के लिए किसी प्रकार की कोई समिति गठित की जाती है ? क्या इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्देश है ? और यदि है तो उसका पालन प्रदेश में किस स्तर पर हुआ है ? मेरा अगला प्रश्न है, जिन बंधुआ श्रमिकों का चिन्हीकरण हुआ है और जिनके पुनर्वास की योजना पहले चलायी गयी है। क्या उनके पुनर्वास की द्वितीय चरण की कोई योजना चलाये जाने पर भी सरकार विचार करेगी, ताकि वे फिर से बंधुआ न बन जायें ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है कि जो बंधुआ मजदूर हैं उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था सरकार करे और सरकार ने पुनर्वास की व्यवस्था की है। मान्यवर, जिन पाँच लोगों को 20-20 हजार रु० दिये हैं। मान्यवर, द्वितीय चरण में लैण्ड एजूकेशन, स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करानी थी किन्तु इन पांच लोगों ने कोर्ट में जाकर यह कहा कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं जिससे कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गयी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब ये लोग बंधुआ मजदूर नहीं थे तो इन्हें 20-20 हजार रुपये क्यों दिये गये ? **(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इन लोगों को 20-20 हजार रु० इसलिए दिये क्योंकि वे चिन्हित हो गये थे। **(व्यवधान)**

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने गलत चिन्हीकरण क्यों किया ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, गलत चिन्हीकरण नहीं किया, उन्होंने पहले स्वयं कहा कि हम बंधुआ मजदूर हैं और अन्त में जब कोर्ट के अन्दर गये तो उन्होंने कलमबन्द बयान दे दिया कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं। **(व्यवधान)** मान्यवर, जब मालिक ने मुकदमा लड़ा तो

उन्होंने मालिक के पक्ष में कहा कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बंधुआ श्रमिक हैं उनके चिन्हीकरण के लिए एक समिति का गठन किया जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, बंधुआ मजदूरों के चिन्हीकरण के लिए ऑलरेडी एक समिति बनी हुई है। जिले में जिलाधिकारी जी इसके चेयरमैन हैं और परगना में उप जिलाधिकारी ही इसको अध्यक्ष होते हैं और इसके साथ एक डिपार्टमेंट भी होता है।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर आज प्रदेश में कई ऐसे बंधुआ मजदूर हैं, जो आज भी आजाद देश में गुलाम बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्रम मंत्री जी, माननीय सदस्य की चिंता है कि एक समिति बनायी जाय, जबकि आप कह रहे हैं समिति बनी हुई है। इस बात को देख लिया जाय कि समिति ठीक ढंग से कार्य कर रही है या नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा है इसका जरूर संज्ञान लिया जायेगा और कार्यवाही भी की जायेगी।

प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियमों की स्थापना तथा राजधानी के परेड ग्राउण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की योजना

*3 श्री प्रीतम सिंह–

क्या खेलमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियमों की स्थापना करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार की राजधानी के परेड ग्राउण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम को बनाने की कोई योजना है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि प्रदान किये जाने के उपरान्त भूमि वन विभाग से खेल विभाग को प्राप्त हो गयी है। स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रथम चरण के प्रारम्भिक कार्य, जैसे डिजायन आदि, तैयार करने हेतु रु0 50.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी के परेड ग्राउन्ड में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम निर्माण विषयक प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद योजित है।

उपरोक्तानुसार।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय खेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, पहला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के क्या मानक हैं ? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी के लिए कितनी वन भूमि अधिग्रहित की गयी है और जो वन भूमि अधिग्रहित की गयी है, उसमें एन०पी०वी० में कितना धन जमा किया गया है और प्रथम चरण में जो 50 लाख रुपया सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, उस 50 लाख रुपये के माध्यम से क्या–क्या कार्य सम्पादित कराये गये हैं और किस तिथि को यह 50 लाख रुपये जारी किये गये हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के क्या पैरामीटर होंगे, वह सबके लिए एक समान नहीं हैं। वहाँ पर भूमि कितनी है, वहाँ की स्थिति क्या है, उसके अनुसार सरकार तय करती है कि वहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए किस तरह के पैरामीटर तय किये जाएंगे। जहाँ तक हल्द्वानी इंटरनेशनल स्टेडियम का प्रश्न है, वहाँ पर 15.20 हैक्टेयर वन भूमि उपलब्ध करा दी गयी है, जिसमें एन०पी०वी० का पैसा जमा कर दिया गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कितना पैसा जमा किया गया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, एन०पी०वी० का 88 लाख 16 हजार रुपया जमा कर दिया गया है इसकी भूमि आज खेल विभाग के पास आ गयी है, 50 लाख रुपया उनको दे दिया गया है, वे डी०पी०आर० तैयार करेंगे, उस डी०पी०आर० में क्या–क्या पैरामीटर होंगे, वह बता देता हूँ, क्रिकेट ग्राउण्ड, हॉकी ग्राउण्ड, फुटबाल ग्राउण्ड एवं एथलेटिक्स ट्रैक 8 लेन का बनेगा। इण्डोर स्टेडियम टेबिल टेनिस, बैडमिन्टन, वालीबाल एवं बास्केटबाल का बनेगा, इसमें दर्शकों की क्षमता 1000 होगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या 15 हेक्टेयर के लिए है यह क्षमता ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, 15 हेक्टेयर जमीन सरकार के पास है। 1000 की क्षमता इण्डोर स्टेडियम के लिए बतायी है। (व्यवधान) मान्यवर, लेडीज एण्ड जेन्ट्स हॉस्टल, 50 महिला एवं 100 पुरुष का होगा, स्वीमिंग पूल 50 मीटर लम्बा होगा। मुख्य स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में 10 हजार दर्शकों के बैठने की सुविधा होगी और उच्च स्तरीय जिम बनेगा। यह इसमें प्राविधान किया गया है। इसमें 50 लाख रुपया निर्माण एजेन्सी को दे दिया गया है। जैसे

ही डी०पी०आर० तैयार होगी, उसमें काम शुरू कर दिया जाएगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न था कि परेड ग्राउण्ड में क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम को बनाने की कोई योजना है ? श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने जवाब में लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय में वाद है, जिस कारण से निर्माण नहीं किया जा रहा है। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ स्थगन आदेश दिया गया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है किन्तु वर्तमान में उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है और जो मामला उच्च न्यायालय में चल रहा हो, उसका यहाँ संज्ञान नहीं लिया जा सकता। **(व्यवधान)** मान्यवर, उस पर यहाँ कोई बहस नहीं हो सकती।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है, यदि कोई पी०आई०एल० जाकर कोर्ट में दे दे तो क्या हम सदन में उसका संज्ञान नहीं ले सकते ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मेरा कहने का मतलब यह है कि उस पर हम बहस इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि कोर्ट स्टेडियम बनाने के लिए 'हाँ' भी बोल सकता है और 'ना' भी बोल सकता है। **(व्यवधान)** अगर हम इसमें कार्य प्रारम्भ करते हैं और अगर कल कोर्ट ने स्टे कर दिया तो वह सारा पैसा बर्बाद चला जाएगा।

(व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या सरकार हर प्रकरण पर यही निर्णय लेगी कि जिसमें हाई कोर्ट में वाद योजित होगा, उसमें सरकार आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगी ? मान्यवर, सरकार की तरफ से यह वक्तव्य आ जाय कि जिस प्रकरण में वाद योजित होगा, उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। **(व्यवधान)** मान्यवर, यह निर्णय हो जाए सदन के माध्यम से।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमारी कार्य संचालन नियमावली में लिखा है–"उसमें किसी ऐसे विषय के संबंध में सूचना नहीं मॉंगी जायेगी, जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हो।" **(व्यवधान)** मान्यवर, इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम चर्चा की मांग नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, बेचारे बहुत सारे पीड़ित लोग हैं, जो मंत्री नहीं बन पाये, वह जवाब न दें। मैं, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर न्यायालय में इस तरह के वाद किसी भी विषय में होंगे, तो क्या उन कार्यों को रोक दिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, अगर कोई भी वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस विषय पर इस सदन में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम चर्चा कराने के लिये नहीं कह रहे हैं, यदि आप चर्चा स्वीकार कर दें तो उस समय ऐसा कह सकते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ऐसे प्रकरणों पर सदन में विचार नहीं किया जा सकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित मिड–डे मील व्यवस्था में परिवर्तन

*4 श्री प्रीतम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित मिड–डे मील की वर्तमान व्यवस्था में सरकार कोई परिवर्तन करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या शासन स्तर पर, जो विद्यालय हैं उसमें दोपहर के भोजन में बने–बनाये भोजन को पहुँचाने की व्यवस्था सरकार कर रही है और दूसरा मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि जो भोजन मातायें हैं, क्या उनके मानदेय को बढ़ाने पर भी सरकार विचार करेगी ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में जो व्यवस्था प्रदेश में लागू है, उस व्यवस्था के अन्तर्गत यह सारी व्यवस्थायें की जा रही हैं। भोजन माताओं का जो मानदेय है, उसे बढ़ाने के लिए वर्तमान में विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह भी पूछा कि भोजन माताओं के मानदेय को बढ़ाने के लिये विचार किया जा रहा है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस पर समय–समय पर विचार होता ही है, मानदेय बढ़ते भी हैं और छठे वेतनमान को लेकर कर्मचारी हड़ताल भी कर रहे हैं तो, इस पर भी विचार होगा, क्यों नहीं होगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, प्रदेश में कुल कितने विद्यालय हैं और इसके सापेक्ष कितने विद्यालयों में मिड–डे–मील योजना के तहत पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, कुल कितने विद्यालय हैं, इससे सम्बन्धित एग्जेक्ट फिगर तो नहीं है, प्रदेश में लगभग 14 हजार प्राथमिक विद्यालय तथा 4 हजार जूनियर हाईस्कूल हैं, सरकार ने सभी विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रति छात्र 100 ग्राम चावल तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति छात्र 150 ग्राम चावल दिया जायेगा। इसके अलावा प्राथमिक में ढाई रुपया प्रति बच्चा दिया जाता है। ____________

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न दूसरा है, मैंने यह नहीं पूछा कि कितने ग्राम दिया जा रहा है या कितना उनको मिलता है। मेरा प्रश्न यह है और मेरे संज्ञान में है कि प्रदेश में कई विद्यालय ऐसे हैं, जो किराये के भवनों में संचालित हैं, जो शहरों में हैं और नगरों के बीच में हैं। उनमें जो भवन स्वामी हैं, उनके द्वारा न तो किचन सेट बनाने की इजाजत दी गई है और न ही उन विद्यालयों में पेयजल की कोई लाइन है, न उनमें शौचालयों की कोई व्यवस्था है। तो ऐसे विद्यालयों में पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दी जा रही है, विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। दूसरा इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी को मैंने एक ऐसे ही विद्यालय का उदाहरण देते हुये, उस विद्यालय को सरकारी भवन में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया था। तो क्या ऐसे विद्यालय, जो किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं, उनमें भोजन की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था किये जाने हेतु सरकार कोई निर्णय लेगी अथवा इन विद्यालयों का अपना भवन बनाकर विद्यालयों को उनमें संचालित करने पर विचार करेगी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न, मूल प्रश्न से हटकर किया है, इन्होंने मुझे एक आवेदन–पत्र दिया था कि इनके क्षेत्र में एक विद्यालय किराये के भवन में संचालित हो रहा है, उसे खाली करा दिया जाये। मान्यवर, चूंकि प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले और वहाँ चूंकि वह किराये के भवन में चल रहा है, उसको

अलग करने की प्रक्रिया पर कार्यवाही हो रही है, जब वह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, हम उसको अलग कर देंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, उनको भोजन मिल ही नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी न तो उन्हें भोजन मिल रहा है, न पेयजल मिल रहा है। यह एक गम्भीर विषय है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है जो किराये के भवनों में विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उनकी जाँच कराई जा रही है, जाँच के बाद जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया अपनाने के बाद ही उस पर कार्यवाही होगी।

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय को मान्यता तथा शिक्षकों की नियुक्ति

*5 श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में कम्प्यूटर लगाये गये हैं ?

किन्तु इनके सापेक्ष न तो कम्प्यूटर विषय को मान्यता दी गई है, न ही इन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षकों को तैनात किया गया है ?

यदि हाँ, तो कम्प्यूटर लगाये जाने का औचित्य एवं प्रयोजन क्या है ?

सरकार कब तक कम्प्यूटर विषय की मान्यता प्रदान करते हुए कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

माध्यमिक स्तर पर कम्प्यूटर विषय को पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा पढ़ाये जाने वाले विद्यालयों में विद्यालय द्वारा अपने स्तर से कम्प्यूटर शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।

छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं।

120 कम्प्यूटर शिक्षकों के पद सृजन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न पर माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि सरकार का उद्देश्य कम्प्यूटर शिक्षा लागू करने का था। क्या सरकार इस शिक्षा को मान्यता प्रदान करेगी ? विद्यालयों में कम्प्यूटर दिये गये, लेकिन आज तक उन विद्यालयों में उन कम्प्यूटरों

को प्रयोग में नहीं लाया गया। क्या सरकार इन कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए गम्भीर है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निश्चित रूप से गम्भीर है। 120 अध्यापकों के सृजन की कार्यवाही वर्तमान में गतिमान है।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर दिये गये हैं और उनमें से जो कम्प्यूटर खराब हो गये हैं, क्या सरकार उन कम्प्यूटरों को ठीक कराएगी और दूसरा जिन विद्यालयों में अभी तक कम्प्यूटर नहीं दिये गये हैं, राजकीय विद्यालयों में, क्या सरकार उनको भी कम्प्यूटर देने जा रही है ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर खराब हैं, उनको ठीक कराने की कार्यवाही की जायेगी और जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर नहीं दिये गये हैं उनमें कम्प्यूटर देने की व्यवस्था आने वाले वर्षों में हम लोग योजना बनाकर करेंगे।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, कब तक ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जल्दी ही, इस प्रक्रिया में हम सतत् हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि माध्यमिक स्तर पर कम्प्यूटर विषय को पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा पढ़ाये जाने वाले विद्यालयों में विद्यालय द्वारा अपने स्तर से कम्प्यूटर शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कम्प्यूटर साइंस को एक विषय के रूप में, एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार करेगी, नम्बर–एक, नम्बर–दो, क्या जो कम्प्यूटर शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति के बारे में कोई नीतिगत निर्णय ले करके और अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का काम करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जहाँ तक कम्प्यूटर विषय में एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता देने की बात है, वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार कम्प्यूटर शिक्षा एक ऐच्छिक विषय है, इसे वर्तमान में अनिवार्य विषय बनाये जाने का कोई विचार नहीं है। दूसरा कम्प्यूटर शिक्षा के लिए, मैंने पहले भी कहा जल्दी ही हम लोग कम्प्यूटर शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए 120 कम्प्यूटर शिक्षकों के पद सृजन की कार्यवाही वर्तमान में गतिमान है।

(व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कितने विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का काम सरकार ने किया है और कितने कम्प्यूटर प्रशिक्षित शिक्षक हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी तक 1429 राजकीय विद्यालयों और 280 अशासकीय विद्यालयों में कुल 8899 कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं और मैंने जैसे कहा कि विद्यालय स्तर पर इसकी व्यवस्था करते हैं। 10 रुपये, जो बच्चे होते हैं, उनसे कम्प्यूटर के लिए अलग से लिए जाते हैं। मान्यवर, इस सारी व्यवस्था को वहाँ संचालित किया जाता है, प्रदेश स्तर पर प्रथम चरण में 120 कम्प्यूटर के शिक्षकों के पद सृजन की कार्यवाही वर्तमान में गतिमान है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वर्तमान में कितने कम्प्यूटर प्रशिक्षित शिक्षक हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह सतत् प्रक्रिया चलती है, प्रदेश के अन्दर कहीं छात्र संख्या कितनी होगी, दो भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, यह नीतिगत मामला है, अगर कहीं 120 छात्र हैं तो उनके लिए तीन सेक्शन चलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह इन्टरनल व्यवस्था विद्यालय की है, माननीय मंत्री जी ने बता दिया है।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यालयों में कम्प्यूटर दिये गये हैं वहाँ पर क्या विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से है या नहीं, नहीं है तो कब तक लगा दी जायेगी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निश्चित रूप से जिन विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था नहीं है, हम लोगों का प्रयास है, सरकार कृतसंकल्प है कि वहाँ पर विद्युत व्यवस्था जल्द से जल्द होगी। मैंने पहले भी कहा कि सरकार का उद्देश्य कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने कम्प्यूटर तो उपलब्ध करा दिये लेकिन वहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं है, आप वहाँ पर कब तक विद्युत कनेक्शन देंगे ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जैसे डिमाण्ड आयेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि जिन विद्यालयों में आपने कम्प्यूटर उपलब्ध कराये हैं, उन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ठीक है।

हल्द्वानी स्थित लेबर ट्रिब्यूनल में श्रमिकों तथा लेबरों के लम्बित मामले तथा सक्षम अधिकारी की नियुक्ति

*6 श्री मयूख सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमायूँ मंडल के हल्द्वानी लेबर ट्रिब्यूनल में श्रमिकों और उद्योगों के कितने विवादित मामले लम्बित हैं तथा उनका वर्ष वार ब्यौरा क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कब से लेबर ट्रिब्यूनल हल्द्वानी में सक्षम अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है और क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

कुमायूँ मंडल के औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी में श्रमिकों और उद्योगों के कुल 75 लम्बित मामले हैं जिनका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष 2002–22

वर्ष 2003–04

वर्ष 2004–14

वर्ष 2005–18

वर्ष 2006–06

वर्ष 2007–07

वर्ष 2008–03

वर्ष 2009–01

सक्षम अधिकारी की नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप दिनांक 23.07.2006 से 15.03.2007 तक तथा दिनांक 19.05.2008 से 03 सितम्बर, 2008 के मध्य सक्षम अधिकारी की तैनाती नहीं रही।

श्री मयूख सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हल्द्वानी लेबर ट्रिब्यूनल में सक्षम अधिकारी की नियुक्ति किस श्रेणी की है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि किस श्रेणी का अधिकारी वहाँ पर होगा। जो हल्द्वानी में हमारा ट्रिब्यूनल है, वहाँ पर हायर ज्यूडीसरी के आदमी 2008 से आ रहे हैं और सारे न्यायाधिकरण डिस्ट्रिक्ट जज लेविल के बैठे हैं, जो पीठासीन अधिकारी कहलाये जा रहे हैं, वे लोग वर्तमान व्यवस्था में हैं, वे लोग चारों कोर्टों में बैठ रहे हैं, चाहे लेबर कोर्ट हो चाहे ट्रिब्यूनल कोर्ट हो।

श्री मयूख सिंह-

मान्यवर, 7 वर्षों में जो 75 मामले लम्बित हैं उसके सापेक्ष अब तक कितने मामलों का निस्तारण किया गया है और इन सात वर्षों में पीड़ित श्रमिकों को त्वरित न्याय के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या सरकार इन पीड़ित श्रमिकों को मुआवजा देगी ? दूसरा विगत 14 वर्षों से मैग्नासाइट एण्ड मिनरल्स पिथौरागढ़ के लम्बित, मामले को जिसमें 200 श्रमिक पीड़ित हैं सरकार उसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी-

माननीय अध्यक्ष जी, न्यायालय में 75 मामले वर्तमान में लम्बित् हैं जो वर्षवार हैं 2002 में 22 हुए हैं, 2003 में 4 हैं और 2004 में 14 हैं, 2005 में 18 हैं, 2006 में 5 हैं, 2007 में 7 हैं, 2008 में 3 हैं, 2009 में 1 है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष, 2007-08 में 15 मामलों का निस्तारण हुआ है।

श्री मयूख सिंह-

मान्यवर, मेरा एक स्पैसिफिक प्रश्न कि पिथौरागढ़ में मैग्नासाइट एण्ड मिनरल्स, पिथौरागढ़, जिसमें 14 साल से लम्बित् मामला है, कार्यरत 200 श्रमिक इसमें पीड़ित हैं। उनके मामलों के निस्तारण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मामले ट्रिब्यूनल में हैं। उनके निस्तारण के लिए तो माननीय जज ही बता सकते हैं कि क्या व्यवस्था की जा रही है। इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं।

श्री मयूख सिंह-

मान्यवर, उनके त्वरित निस्तारण के लिए तो सरकार कोई प्रयास कर रही होगी। क्या सरकार श्रमिकों को कोई मुआवजा राशि देने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार उन्हें कोई मुआवजा नहीं दे सकती है, क्योंकि मामला न्यायालय में चल रहा है। मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि पहले विभागीय लोग जाते थे। उसमें आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 जाते थे। अब तो टोटल जितने कोर्ट यहाँ पर हैं, चाहे लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसमें सीधे हायर जूडिशियरी के लोग आ रहे हैं। उन पर नियंत्रण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

शिक्षा विभाग (माध्यमिक) देहरादून में पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात शिक्षा अधिकारी

*7 श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में गत पाँच वर्षों या उससे अधिक समय से कितने अधिकारी तैनात हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि एक ही स्थान पर इतनी लम्बी अवधि तक तैनाती के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद देहरादून में 11 अधिकारी पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात हैं।

कोई भी अधिकारी एक ही स्थान पर अविरल जिला स्तरीय पदों पर कार्यरत नहीं रहा है।

आगामी स्थानान्तरण नीति के अनुसार ऐसे अधिकारियों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

–तदैव–

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के प्रथम में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 11 अधिकारी पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात हैं। मेरा मूल प्रश्न यह था कि क्या कारण है कि लगातार 11 अधिकारी पाँच वर्षों से अधिक अवधि से यहीं पर तैनात हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने यह बताया कि कोई भी अधिकारी एक ही स्थान पर अविरल जिला स्तरीय पदों पर कार्यरत नहीं रहा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, एक ही जिले में रहने के क्या कारण रहे ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ये अधिकारी अलग–अलग पदों पर जिले के अंदर रहे हैं। कोई प्रधानाचार्य रहे हैं, प्रधानाचार्य के बाद डी0ई0ओ0 रहे। ऐसे–ऐसे पदों पर लगातार रहे हैं। मान्यवर, एक ही जिले में अवश्य रहे लेकिन लगातार पाँच वर्ष तक एक ही पद पर नहीं रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या पाँच वर्ष से अधिक तैनाती एक ही जिले में रहने का शिक्षा मैनुअल में कोई नियम है ? क्या कोई प्राविधान है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चूँकि शिक्षा मैनुअल इससे सम्बन्धित नहीं होता है। मान्यवर, कार्मिक विभाग की स्थानान्तरण नीति होती है, उसके अन्तर्गत ही ये सारे विभाग गवर्न होते हैं। उसके अन्तर्गत जो मिनिस्ट्रियल के पद होते हैं, उनमें पाँच वर्ष तक लागू होता है बाकी जो संवेदनशील सरकार के पद नहीं होते, उसके अनुसार उसमें 10 वर्ष तक छूट है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इलैक्शन कमीशन भी यह कहता है कि तीन वर्ष से अधिक कोई भी अधिकारी नहीं रहेगा। क्या माननीय मंत्री जी इन अधिकारियों को इस साल हटायेंगे ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आगामी स्थानान्तरण नीति आयेगी तो इस पर विचार किया जायेगा।

शिक्षा विभाग में जिला व खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर तैनात प्रभारी अधिकारियों की सूची

*8 श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि वरिष्ठता सूची को अनदेखा कर शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के पदों पर प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार तैनात अधिकारियो की वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ,

जिला शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर अधिकारियों की भारी कमी के कारण प्रभारी के रूप में तैनाती की गई है।

जी हाँ। †

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं माना है अपने उत्तर में कि वरिष्ठता सूची की अनदेखी की गई और जब वरिष्ठतम अधिकारियों की अनदेखी की गई है तो अनदेखी करने के क्या कारण हैं, क्यों उनकी अनदेखी की गई है ? क्या उन्हें प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनाती नहीं दी जा सकती थी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा सरकार को बधाई देनी चाहिए कि जिस समय शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नहीं थी प्रदेश के अन्दर, मान्यवर हमारी सरकार के आने के बाद पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पटरी में तो आयी है। मान्यवर, मेरा पूरा उत्तर तो सुन लें। (व्यवधान) जो डी0ई0ओ0ए0डी0ई0ओ0, प्रधानाचार्य, ब्लॉक खण्ड शिक्षा अधिकारी और डायट के प्रिंसिपल हैं, उनकी कहीं भी व्यवस्था नहीं थी। हमने उनको प्रभारी के रूप में

† (देखिये संलग्नक 'क' पृष्ठ स0–151 से 165 तक)

तैनाती देकर शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने का काम तो किया। माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकार ने प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किये हुए हैं वह पदोन्नति नहीं है, ये प्रभारी अधिकारी के रूप में किये हैं। मान्यवर, उसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कभी जाँच का प्रकरण आया हो या शिकायत आयी हो। मान्यवर, यह हमने इसलिए किया है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक ढंग से चले। मान्यवर, हमारे यहाँ प्रिंसिपल नहीं थे, आज उनका प्रमोशन हुआ है। उनको प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति दी गयी है।

काजी मो0 निजामुद्दीन--

मान्यवर, वरिष्ठता सूची को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गयी ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, हमने पदोन्नति नहीं की है, वे प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं चूंकि इस समय अधिकारियों की बहुत कमी थी। माननीय सदस्य प्रश्न के उत्तर को ठीक रूप से पढ़ ही नहीं रहे हैं। केवल प्रश्न करते जा रहे हैं। मान्यवर, उदाहरण के तौर पर, माना एक प्रधानाचार्य देहरादून में है, उसे हम अल्मोड़ा में भेजना चाहते हैं तो वह कहते हैं यदि मुझे अल्मोड़ा ही जाना है तो पदोन्नति के रूप में भेजें। मान्यवर, ऐसे में हमें अल्मोड़ा के ही अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाना पड़ेगा। सरकार को एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जिससे शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए माननीय सदस्य को इस बात को समझना चाहिए।

काजी मो0 निजामुद्दीन--

मान्यवर, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने प्रधानाचार्य थे जो प्रभारी बनना नहीं चाहते थे और उन्होंने प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए मना किया ? उनकी हमें सूची दे दें।

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, सरकार ने एक निर्णय लिया। उस निर्णय में सरकार ने कहा कि सारे विद्यालय खाली पड़े हैं और सारे जिले खाली पड़े थे, सारे ब्लॉक खाली पड़े हुए थे। हमने कहा प्रभारी अधिकारी के रूप में लोगों को नियुक्ति दी जायेगी। **(व्यवधान)**

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि प्रभारी व्यवस्था पदोन्नति नहीं है। जिले में स्थानान्तरण की व्यवस्था न पड़े। इसलिए जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर उन लोगों के बीच में ही प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गयी। मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या जिला स्तर पर जो प्रभारी बनाये गये हैं, क्या उसमें जिले की वरिष्ठता सूची का ध्यान रखा गया या आरबेटरी तरीके से किया गया ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमने यह प्रयास किया कि जिला स्तर पर वरिष्ठता सूची का ध्यान रखा जाए, लेकिन अनेक अधिकारी ऐसे थे। **(व्यवधान के मध्य)**

श्री अध्यक्ष–

पूरा उत्तर तो आने दीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार का प्रयास था कि ये पूरे पद भरने है। इसमें काउन्सिलिंग की व्यवस्था बनायी गयी। उस काउन्सिलिंग में वरिष्ठता सूची को भी ध्यान में रखा गया, यदि किसी के खिलाफ कोई जाँच हो इस बात का भी ध्यान रखा गया। कोई भी अधिकारी, इनको प्रभारी के रूप में भेजा जाता है, इनकी तो पदोन्नति नहीं है इसलिए वहाँ जो प्रभारी नियुक्त किये गये वह व्यवस्था को चलाने के लिए नितांत कामचलाऊ व्यवस्था की है, जो जरूरी थी और शिक्षा के हित में थी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत लिमिटेड प्रभाव का प्रश्न पूछा था कि ठीक है किसी अधिकारी ने जनपद से बाहर जाने में अस्थायी व्यवस्था में इंकार कर दिया। क्या जनपद स्तर पर जो आपने प्रभारी व्यवस्था की है, उसमें जनपद स्तर की वरिष्ठता का ध्यान रखा गया या नहीं, अनुपयुक्तता को छोड़कर जैसे जिनके खिलाफ जाँच है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमने सारी जो व्यवस्था की है वह प्रदेश स्तर के कैडर की व्यवस्था है। जिला स्तर की व्यवस्था है ही नहीं है। मान्यवर, डी0ई0ओ0 प्रदेश स्तर का, ए0डी0ई0ओ0 प्रदेश स्तर का। इसमें भी यह प्रयास हुआ है कि वरिष्ठता का ध्यान रखा जाय और ध्यान रखकर व्यवस्था बनायी गयी।

प्रदेश के निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के शुल्क निर्धारण हेतु नीति

*10 श्री किशोर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के निजी क्षेत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों से शुल्क निर्धारित करने के संबंध में सरकार ने नीति अथवा दिशा निर्देशों का निर्धारण किया है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया गया है। सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली

से सम्बद्धता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शुल्क का निर्धारण मात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु किया गया है।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शासनादेश संख्या 380/XXIV-3/2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा कक्षा 6 से 12 हेतु शुल्क की दरों का पुनरीक्षण कर निर्धारण किया गया है। कक्षा 1 से 5 के परिषदीय विद्यालयों में शुल्क की दरें विभागीय आदेश संख्या-बे०शि०9098776-10148/लेखा-2/87-88, दिनांक 04.08.1987 द्वारा निर्धारित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या:-10 पुकारे जाने पर, माननीय किशोर उपाध्याय जी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

प्रदेश के माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति का ब्योरा

*11 श्री मयूख सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु कोई नीति बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त नीति में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नव नियुक्त शिक्षक अपनी नियुक्ति स्थल पर तीन साल तक बने रहेंगे ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जनपद में कितने शिक्षकों को नियुक्ति अवधि के तीन वर्षों से पूर्व ही अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है और क्यों ?

श्री मदन कौशिक-

जी हाँ।

तत्सम्बन्धी ब्योरा संलग्न है। †

जी नहीं।

स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत 10 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

श्री मयूख सिंह-

मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान स्थानान्तरण नीति है उसमें कितनी विधवा महिलाओं को, कितने विकलांगों को और कितने पारस्परिक स्थानान्तरण किये गये हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं, क्या वे स्थानान्तरण जनपदीय हैं या अन्तर्जनपदीय हैं और तीसरा प्रश्न मेरा है कि क्या ऐसी आवश्यकता थी कि नियुक्ति के बाद ही उनका स्थानान्तरण करना जरूरी हुआ ?

† (देखिए संलग्नक नाथी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-106 से 151 तक)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जहाँ तक सवाल है 10 अध्यापकों के स्थानान्तरण का तो जो जनपदीय हैं उनकी संख्या–6 है जो अन्तर्जनपदीय हैं उनकी संख्या–3 है और जो अन्तर्मण्डलीय किये गये हैं उनकी संख्या–1 है।

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी आवश्यकता आ गयी कि नियुक्ति के तुरंत बाद ही उनका स्थानान्तरण किया गया ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने कहा कि नीति के अनुसार किये गये हैं नीति से बाहर कुछ नहीं किया गया है।

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, नियुक्ति के बाद ही क्या आवश्यकता थी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, स्थानान्तरण नीति में कोई गंभीर रोगी है, कोई तलाकशुदा है, कोई विधवा है, किसी को लम्बी बीमारी है, उनके आवेदन करने से स्थानान्तरण नीति में इस तरह के प्रावधान है, इसलिए किया गया है।

(व्यवधान)

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, यह जो 10 स्थानान्तरण किये गये उसमें मैं जानना चाहूँगा कि उसमें कितनी विधवा महिलाएँ हैं, कितने विकलांग और कितने पारस्परिक स्थानान्तरण किये गये हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें नं0–1 पर श्रीमती कविता, ये सहायक अध्यापिका हैं। माध्यमिक विद्यालय, ग्वाल में हैं, इनका स्थानान्तरण किया है। ये गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षिका हैं। (व्यवधान) दूसरी श्रीमती हेमा जी हैं। ये सहायक अध्यापिका हैं, इनका स्थानान्तरण यहीं पिथौरागढ़ में किया गया है, पति और पत्नी एक स्थान पर तैनाती के लिए। तीसरा श्रीमती सुनीता बेरी हैं, इनको पालात्र भुवनेश्वर में स्थानान्तरित किया गया है। पति–पत्नी के ही आधार पर किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट–तारांकित प्रश्न सं0–11 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार रोकने हेतु कार्ययोजना

*12 श्री प्रीतम सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए निम्नवद् कार्य योजना है :–

1. मण्डल स्तर पर प्रवर्तन इकाइयाँ (गढ़वाल/कुमाऊँ) प्रवर्तन कार्य कर रही हैं एवं अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही कर रही है।

2. प्रदेश की सीमाओं पर जहाँ अन्य राज्यों से सीमा लगती है, वहाँ पर प्रदेश में 13 आबकारी चेक पोस्ट बनायी गई हैं, जिनसे अवैध शराब के कारोबार के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

3. जनपद स्तर में प्रत्येक अपराध निरोधक क्षेत्रों में क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा प्रवर्तन कार्य (दबिश) किये जा रहे हैं एवं तस्करी कर रहे वाहनों को पकड़ा जा रहा है।

4. राज्य में अवैध मद्य निष्कर्षण/मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध होली एवं दीपावली पर्व पर नियमित रूप से प्रतिवर्ष प्रवर्तन अभियान चलाये जाते हैं एवं वर्ष में एक बार विशेष सघन प्रवर्तन अभियान भी चलाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के मोटाढाक में मिनी स्टेडियम के निर्माण में अनियमितता में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच

1. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या खेल मंत्री एवं युवा कल्याण मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार, विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत उ0इ0कालेज, मोटाढाक में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया था ?

क्या यह सत्य है कि कई गम्भीर आपत्तियों के निस्तारण के सशर्त हस्तांतरण के बावजूद कार्यदायी संस्था द्वारा उन गम्भीर आपत्तियों का निस्तारण डेढ़ वर्ष बाद भी नहीं किया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कार्यदायी संस्था द्वारा की गई अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही तथा स्टेडियम निर्माण की गुणवत्ता की जाँच करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग के द्वारा मिनी स्टेडियम के हस्तान्तरण के समय जो कमियाँ इंगित की गयी थीं, उनका निराकरण कार्यदायी संस्था के द्वारा कर दिया गया है।

कोटद्वार में राज0 बालिका महाविद्यालय की स्थापना

2. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र, कोटद्वार के अन्तर्गत कोटद्वार शहर की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कोटद्वार में राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना पर विचार करेगी ?

यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री [मे0जन0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी]–

जी हाँ।

जी नहीं।

कोटद्वार में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूर्व से संचालित है, जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा शिक्षा संकायों में सह–शिक्षा के अन्तर्गत पठन–पाठन सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है।

उत्तरकाशी के वि0ख0 पुरोला के इण्टर कॉलेजों की विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरणों की व्यवस्था

3. श्री राजेश जुवांठा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में कितने राजकीय इण्टर कालेज में विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं ?

क्या उक्त प्रयोगशालाओं में उपकरण सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था है ?

यदि नहीं तो उपकरणों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में 05 इण्टर कालेज वर्तमान में संचालित हैं। इनमें से 03 इण्टर कालेजों में विज्ञान प्रयोगशालायें हैं तथा 02 इण्टर कालेजों में प्रयोगशाला निर्माण कार्य निर्माणाधीन है।

जी नहीं। उक्त प्रयोगशालाओं में उपकरण न्यून हैं।

उपकरणों की व्यवस्था धनराशि उपलब्ध होने पर कर दी जायेगी।

उत्तरकाशी के वि0ख0 पुरोला के अन्तर्गत रा0इ0का0 पुरोला, हुडली, मौल्याड़ी गुडियालगाँव में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

4. श्री राजेश जुवांठा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद के विकासखण्ड पुरोला के अन्तर्गत रा0 इ0 का0 पुरोला, हुडोली, मौल्याड़ी, गुडियालगाँव (राजकीय इण्टर कालेज) में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार उक्त सभी इण्टर कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

उत्तरकाशी जनपद के विकासखण्ड पुरोला के अन्तर्गत रा0इ0का0 पुरोला, हुडोली, मौल्याड़ी, गुडियालगाँव (राजकीय इण्टर कालेज) में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों का विवरण	
		प्रवक्ता	स0अ0
1.	रा0इ0का0 पुरोला	03	01
2.	रा0इ0का0 हुडोली	03	03
3.	रा0इ0का0 मौल्याड़ी	04	00
4.	रा0इ0का0 गुन्डियालगाँव	05	03

जी हाँ।

सहायक अध्यापकों के पदों पर प्रारम्भिक शिक्षा से समायोजन की प्रक्रिया मण्डल स्तर पर गतिमान है साथ ही सहायक अध्यापक एल0टी0 से प्रवक्ता पदों पर मा0 लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड से सपरामर्श पदोन्नति हेतु अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है।

अथवा समायोजन/पदोन्नति की प्रक्रिया से शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

चम्पावत के राज0 कन्या इ0 कॉलेज, बाराकोट में प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति

5. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज, बाराकोट में प्रधानाचार्य व प्रवक्ताओं के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद चम्पावत में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज, बाराकोट नाम से कोई विद्यालय संचालित नहीं है, बल्कि राजकीय इण्टर कॉलेज, बाराकोट नाम से विद्यालय संचालित है, जिसमें श्री हरकराम कोहली, प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। प्रवक्ता के स्वीकृत 09 पदों के सापेक्ष 03 (अर्थशास्त्र, भूगोल एवं अंग्रेजी) पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

भविष्य में प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति एवं मा0 लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड से चयनित होने के फलस्वरूप प्रवक्ताओं की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के वि0ख0 मोरी में विज्ञान प्रयोगशाला युक्त राज0 इन्टर कॉलेजों की संख्या तथा उपकरणों की व्यवस्था

6. श्री राजेश जुवांठा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में ऐसे कितने राज0 इण्टर कॉलेज हैं, जिनमें विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं ?

क्या उक्त सभी प्रयोगशालाओं में उपकरणों की पूर्ण व्यवस्था है ?

यदि नहीं तो प्रायोगिक उपकरणों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत 02 इण्टर कॉलेजों में विज्ञान प्रयोगशालायें हैं।

जी नहीं। उक्त सभी प्रयोगशालाओं में उपकरण न्यून हैं।

उपकरणों की व्यवस्था धनराशि उपलब्ध होने पर कर दी जायेगी।

उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगाँव के अन्तर्गत रा0इ0का0 नौगाँव, गडोली, राजगढ़ी, गंगटाडी, बर्नीगाड़, डामटा में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

7. श्री राजेश जुवांठा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद के विकास खण्ड नौगाँव के अन्तर्गत राजकीय इंटर कॉलेज, नौगाँव, गडोली, राजगढ़ी, गंगटाडी, बर्नीगाड़, डामटा में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार उक्त सभी इण्टर कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् हैं :–

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों का विवरण	
		प्रवक्ता	स0अ0
1.	रा0इ0का0 नौगाँव	03	02
2.	रा0इ0का0 गडोली	02	00
3.	रा0इ0का0 राजगढ़ी	04	03
4.	रा0इ0का0 गंगटाडी	06	04
5.	रा0इ0का0 बर्नीगाड	04	02
6.	रा0इ0का0 डामटा	06	03

जी हाँ।

प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति एवं लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड से चयनित होने के फलस्वरूप तथा एल0टी0 वेतनक्रम में प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के समायोजन होने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी के राज0 इ0 कॉलेज ठेला नैलचामी का नाम रायफलमैन स्व0 दलवीर सिंह राणा के नाम पर रखने की कार्यवाही

8. श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कारगिल युद्ध में शहीद स्व0 राइफल मैन दलवीर सिंह राणा के नाम पर रा0 इण्टर कॉलेज, ठेला

गैलवागी का नाम स्व0 दलबीर सिंह राणा रखे जाने का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

शासन के पत्र संख्या–810/XXIV–2/08–02(08)/2008, दिनांक 03 नवम्बर, 2008 के द्वारा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून से विस्तृत आख्या माँगी गई है आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा स्थित स्व0 हेमवती नन्द बहुगुणा स्टेडियम का विस्तारीकरण एवं सुधारीकरण

9. श्री मनोज तिवारी–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा विधान सभा अन्तर्गत स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा स्टेडियम के विस्तारीकरण और सुधारीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा स्टेडियम में विस्तारीकरण के अन्तर्गत 01 अतिरिक्त इंडोर बैडमिन्टन कोर्ट के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। जिसका 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के कठनुड़िया काफलीगैर के मध्य आई0टी0आई0 खोलने का प्रस्ताव

10. श्री चन्दन राम दास–

क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के कठनुड़िया काफलीगैर के मध्य आई0टी0आई0 खोलने का प्रस्ताव है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के हाईस्कूलों में कला तथा गृह विज्ञान के सहायक अध्यापकों के जनपदवार रिक्त पद तथा नियुक्तियाँ

11. श्री ओम गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के दोनों मण्डलों के हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक, कला तथा गृह विज्ञान के जनपदवार कुल कितने पद रिक्त हैं तथा इन पदों पर नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त पदों पर कब से नियुक्ति नहीं की गयी एवं नियुक्ति न करने के क्या कारण थे ?

श्री मदन कौशिक–

प्रदेश के दोनों मण्डलों के हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक, कला तथा गृह विज्ञान के जनपदवार कुल रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

मण्डल का नाम	कला	गृह विज्ञान
गढ़वाल मण्डल		
1. पौड़ी	86	09
2. देहरादून	37	00
3. रुद्रप्रयाग	03	01
4. चमोली	61	03
5. उत्तरकाशी	48	04
6. टिहरी	43	03
7. हरिद्वार	21	05
योग	299	25
कुमायूँ मण्डल		
8. नैनीताल	05	06
9. अल्मोड़ा	45	13
10. पिथौरागढ़	35	03
11. ऊधमसिंह नगर	08	01
12. बागेश्वर	22	00
13. चम्पावत	07	00
योग	122	23

उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

गत वर्ष में नियुक्तियों की गयी थी तथा वर्तमान में भी सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

पत्राचार बी0टी0सी0 में उत्तीर्ण मृतक आश्रित तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय सेवा में नियुक्ति

12. श्री ओम गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 742/15–(13)–94–1439(6)/1977, दिनांक 06 सितम्बर, 1994 के क्रम में पत्राचार बी0टी0सी0 की द्वितीय वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण मृतक आश्रित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से कितनों को राजकीय सेवा में लिया गया एवं शेष जिन्होंने वर्ष 2007–08 में बी0टी0सी0 द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है उन में से अब तक कितनों को राजकीय सेवा में लिया गया ?

क्या शेष प्रशिक्षितों को भी राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति दी जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

समस्त मृतक आश्रित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण से पूर्व ही सेवायोजित थे, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सेवारत किसी भी शिक्षक को राजकीय सेवा में नहीं लिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सेवा में योजित किये जाने हेतु सम्बन्धित शासनादेश में सम्प्रति प्राविधान नहीं है।

प्रदेश के स्पोर्ट्स कॉलेज में स्नातक कक्षा शुरू करने की योजना

13. श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'मदू भाई'–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खेलों की महत्ता को देखते हुए प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज में स्नातक कक्षा शुरू करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

स्पोर्ट्स कॉलेज में स्नातक कक्षा शुरू करने की योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्पोर्ट्स कॉलेज में कक्षा–6 से 12 तक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। स्नातक कक्षा शुरू करने हेतु पृथक से डिग्री कॉलेज स्थापित करना होगा, जो अभी विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में कृषि विषय की मान्यता

14. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने की मान्यता दी जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

कृषि विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में योग शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति

15. श्री प्रीतम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में योग शिक्षकों को स्थाई नियुक्ति देने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

योग शिक्षा का प्राविधान वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम में नहीं है।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में इण्टर स्तर पर भू–विज्ञान वानिकी, कम्प्यूटर विज्ञान तथा सांख्यिकीय विषयों की कक्षाओं का संचालन

16. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने माध्यमिक विद्यालयों में भू–विज्ञान, वानिकी, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सांख्यकीय विषयों की इण्टर स्तर पर कक्षाएं संचालित की जा रही हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार वांछित विषयों की इण्टर स्तर पर कक्षायें संचालित हैं :–

विषय	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या
1. भू-विज्ञान	01
2. वानिकी	00
3. कम्प्यूटर विज्ञान	19
4. सांख्यकीय	00

सांख्यकीय एवं वानिकी विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत मछोड़ आई0टी0आई0 में स्वीकृत विषयों के शिक्षण कार्य की स्थिति

17. श्री रणजीत रावत–

क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में मछोड़ आई0टी0आई0 में स्वीकृत सभी विषयों का शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

आई0टी0आई0, मछोड़, जनपद अल्मोड़ा में वर्तमान में निम्नलिखित चार व्यवसाय स्वीकृत हैं :–

1. इलैक्ट्रीशियन
2. कटिंग स्वीइंग
3. आशुलिपि हिन्दी
4. टूरिस्ट गाइड

उक्त चार व्यवसायों में से व्यवसाय इलैक्ट्रीशियन एवं कटिंग स्वीइंग में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है। अन्य दो व्यवसायों आशुलिपि हिन्दी एवं टूरिस्ट गाइड में संस्थान किराये के भवन में संचालित होने, संस्थान में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने तथा अनुदेशक भी उपलब्ध न होने के कारण, प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 स्याल्दे के अन्तर्गत उ0मा0वि0 उपराड़ी में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था

18. श्री श्रीमती आशा–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद-अल्मोड़ा विकासखण्ड-स्याल्दे के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी में अध्यापकों की कमी है ?

क्या यह भी सत्य है कि इस वर्ष उपरोक्त विद्यालय का परीक्षाफल संतोषजनक नहीं रहा ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्रहित में उक्त विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जनपद–अल्मोड़ा विकासखण्ड–स्याल्दे के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चमराड़ी में सहायक अध्यापक एल0टी0 के स्वीकृत 07 पदों के सापेक्ष 04 पदों पर सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। सहायक अध्यापक हिन्दी, अंग्रेजी एवं सामान्य विषय के पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 मोरी अन्तर्गत रा0इ0का0 टिकोची, आराकोट, मोरी, नैटवाड़ जखोल एवं गड़ूगाड़ में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तैनाती

19. श्री राजेश जुवांठा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज टिकोची, आराकोट, मोरी, नैटवाड़, जखोल गड़ूगाड़ में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार उक्त सभी इण्टर कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज, टिकोची, आराकोट, मोरी, नैटवाड़, जखोल गड़ूगाड़ में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	प्रवक्ता	स0अ0
1.	रा0इ0का0 टिकोची	04	02
2.	रा0इ0का0 आराकोट	02	03
3.	रा0इ0का0 मोरी	04	03
4.	रा0इ0का0 नैटवाड़	06	02
5.	रा0इ0का0 जखोल	05	03
6.	रा0इ0का0 गड़ूगाड़	9	04

जी हाँ।

सहायक अध्यापकों के पदों पर प्रारम्भिक शिक्षा से समायोजन की प्रक्रिया मण्डल स्तर पर गतिमान है, साथ ही सहायक अध्यापक एल०टी० से प्रवक्ता पदों पर लोक सेवा आयोग से समपरामर्श पदोन्नति हेतु अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है। उक्त समायोजन/पदोन्नति की प्रक्रिया से अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों को बन्द होने से रोकने हेतु सरकार द्वारा कार्यवाही

20. श्री प्रीतम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों को बन्द होने से रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिये निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत आदर्श इण्टर कॉलेज सुरईखेत (द्वाराहाट) में इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय की मान्यता एवं प्रवक्ता पद का सृजन

21. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत आदर्श इण्टर कॉलेज, सुरईखेत (द्वाराहाट) को इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय की मान्यता दिनांक 09.10.1972, आदेश संख्या 18688 को मिली थी ?

यदि हाँ, तो अभी तक उक्त विषय से सम्बन्धित प्रवक्ता के पद को सृजन न करने के क्या कारण रहे हैं और कब तक पद सृजित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा वि0स0 क्षेत्र द्वाराहाट अन्तर्गत रा0क0 हाईस्कूल बग्वालीपोखर एवं उभ्याड़ी का उच्चीकरण

22. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0क0 हाईस्कूल, बग्वालीपोखर एवं रा0क0 हाईस्कूल, उभ्याड़ी का उच्चीकरण किये जाने हेतु क्षेत्रीय जनता की तरफ से कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो कब तथा इनका उच्चीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

निदेशक, विद्यालयी शिक्षा से प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील अन्तर्गत मासी आई0टी0आई0 के भवन निर्माण की प्रगति

23. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया तहसील के अन्तर्गत मासी, आई0टी0आई0 हेतु भवन निर्माण की प्रगति क्या है और कब तक संस्थान अपने भवन में संचालित हो जायेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मासी, आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन नहीं हो पाया है। भवन निर्माण हेतु वन विभाग की भूमि चयन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। संस्थान हेतु भूमि चयन होने के उपरान्त ही भवन निर्माण सम्भव होगा।

वर्ष 2008 में उत्तराखण्ड सहकारी एवं राजकीय मिलों की लाभ–हानि की स्थिति

24. श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में उत्तराखण्ड सहकारी एवं राजकीय चीनी मिलों की लाभ–हानि की स्थिति क्या है ?

क्या नुकसान की स्थिति चिन्ताजनक है? यदि हाँ, तो इस नुकसान को कम करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री मदन कौशिक–

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु राजकीय/सहकारी चीनी मिलों की लाभ–हानि की स्थिति निम्नवत् है–

(धनराशि लाख रु0 में)

चीनी मिल का नाम	वर्ष 2007–08 में हानि की स्थिति
सहकारी क्षेत्र	
बाजपुर	1979.98
गदरपुर	1345.09
सितारगंज	2206.32
नादेही	1511.64
राजकीय क्षेत्र	
डोईवाला	1716.62
किच्छा	1495.09
कुल योग	10254.73

गत वर्षों के सापेक्ष वित्तीय स्थिति बेहतर है। इस नुकसान को और कम करने हेतु चीनी मिलों के बेहतर प्रबंधन एवं कार्यक्षमता में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

वर्ष 2008–09 में जनपद टिहरी में शिक्षकों के जनपदीय/अन्तर्जनपदीय/अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण तथा शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण पर योगदान एवं स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध स्थानान्तरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

28. श्री ओम गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा सत्र वर्ष 2008–09 में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कुल कितने अध्यापकों के जनपदीय/अन्तर्जनपदीय/अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण हुए हैं तथा इन स्थानान्तरणों के सापेक्ष स्थानान्तरित हुए कुल कितने अध्यापकों ने स्थानान्तरण पर योगदान दिया ?

क्या माह, जुलाई, 2008 से फरवरी, 2009 के मध्य कोई स्थानान्तरण हुए हैं ?

यदि हाँ, तो किन–किन के तथा किसके आदेश से ?

क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध स्थानान्तरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक-

जी हाँ।

शिक्षा सत्र 2008-09 में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत शिक्षकों के जनपदीय-107, अन्तर्जनपदीय-13 एवं अन्तर्मण्डलीय-0, कुल 120 स्थानान्तरण हुए हैं, जिसके सापेक्ष 107 शिक्षकों ने स्थानान्तरण पर योगदान दिया है।

जी हाँ।

प्रवक्ता वेतनक्रम के 27, सहायक अध्यापक, एल0टी0 वेतनक्रम के 47 एवं बेसिक शिक्षकों के 46, वर्ष 2008-09 की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गत दो वर्षों में पू0मा0 विद्यालय तथा मा0 विद्यालयों के उच्चीकरण/प्रान्तीयकरण का विधान सभावार ब्यौरा

26. श्री मयूख सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गत दो वर्षों में कितने पू0मा0वि0 तथा मा0वि0 का उच्चीकरण/प्रान्तीयकरण किया गया है एवं उच्चीकृत विद्यालयों का विधान सभा वार ब्यौरा क्या है ?

श्री मदन कौशिक-

गत दो वर्षों में उच्चीकृत किये गये विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :-

पू0मा0वि0-302

मा0वि0-119

गत दो वर्षों में 97 माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया गया है।

उच्चीकृत विद्यालयों का विधान सभा वार ब्यौरा निम्नवत् है :-

क्रम	विधान सभा	पू0मा0वि0	मा0वि0
1	2	3	4
1.	धारी	04	01
2.	मुक्तेश्वर	05	03
3.	हल्द्वानी	09	03
4.	रामनगर	04	02
5.	नैनीताल	03	01
6.	बागेश्वर	05	02
7.	पिंडारी	07	01

1	2	3	4
8.	सोमेश्वर	09	02
9.	सल्ट	09	01
10.	द्वाराहाट	03	02
11.	रानीखेत	03	02
12.	अल्मोड़ा	03	02
13.	रुद्रपुर	03	01
14.	जसपुर	04	01
15.	काशीपुर	03	01
16.	बाजपुर	03	01
17.	पन्तनगर, गदरपुर	03	01
18.	सितारगंज	03	01
19.	खटीमा	03	02
20.	धारचूला	03	01
21.	पिथौरागढ़	03	01
22.	कनालीछीना	03	01
23.	गंगोलीहाट	04	01
24.	डीडीहाट	03	01
25.	बागेश्वर	04	01
26.	कपकोट	04	02
27.	काण्डा	03	02
28.	लोहाघाट	03	05
29.	चम्पावत	07	02
30.	धूमाकोट	08	03
31.	यमकेश्वर	04	03
32.	थलीसैंण	04	04
33.	पौड़ी	09	03
34.	लैन्सडाउन	07	05
35.	बीरोंखाल	03	01
36.	कोटद्वार	08	01
37.	श्रीनगर	08	03
38.	बद्रीनाथ	08	01

1	2	3	4
39.	कर्णप्रयाग	04	01
40.	पिण्डर	09	03
41.	नन्दप्रयाग	05	01
42.	रुद्रप्रयाग	04	02
43.	केदारनाथ	04	03
44.	टिहरी	03	01
45.	प्रतापनगर	03	02
46.	देवप्रयाग	02	01
47.	नरेन्द्रनगर	17	03
48.	धनोल्टी	04	01
49.	घनसाली	02	01
50.	पुरोला	03	01
51.	गंगोत्री	03	02
52.	यमनोत्री	04	01
53.	राजपुर	00	01
54.	सहसपुर	03	01
55.	चकराता	11	04
56.	विकासनगर	08	01
57.	लक्ष्मणचौक	02	01
58.	देहराखास	00	01
59.	मसूरी	02	01
60.	डोईवाला	02	02
61.	ऋषिकेश	04	01
62.	लक्सर	03	01
63.	भगवानपुर	03	02
64.	रुड़की	03	01
65.	इकबालपुर	02	01
66.	मंगलौर	03	01
67.	लंढौरा	04	01
68.	बहादराबाद	03	01
69.	हरिद्वार	02	02
70.	लालढांग	03	02

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य, श्री राजकुमार, श्री ओम गोपाल, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री प्रेमचन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री खजान दास, श्री काजी निजामुद्दीन, श्रीमती आशा नौटियाल तथा श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल की कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। आज वर्तमान सत्र का अन्तिम दिन है अतः मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

विधानसभा सहसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकांश कृषि भूमि पर जल बहाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार–

[माननीय अध्यक्ष जी, राजधानी देहरादून की समीपवर्ती विधान सभा, सहसपुर का अधिकांश क्षेत्र कृषि वाला तथा वनाच्छादित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 32 से अधिक नाले वनों से निकलते हैं। वर्षा के दिनों में इन नालों तथा वनों एवं पर्वतों से भारी मात्रा में पानी बहता है। इस जल बहाव से प्रतिवर्ष सैकड़ों निवास की जमीन कटान क्षेत्र में आ जाती है। इन नालों के कारण यह जमीन कटाव का शिकार होती है। परिणाम यह होता है कि उपजाऊ मिट्टी नालों–खालों के माध्यम से बहकर बेकार रह जाती है। अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाना किसानों के लिए महत्वपूर्ण समस्या है। वन विभाग से बहने वाले इन नालों से होने वाले कटाव को रोकने के लिए वन विभाग को निर्दिष्ट करें ताकि उत्तराखण्ड के किसानों की उपजाऊ जमीन को कटने से रोका जा सके। गत वर्ष 30–31 जुलाई, 2008 तथा 18 अगस्त, 2007 को इस क्षेत्र में भारी संख्या में भूमि कटाव हुआ। सैकड़ों परिवारों को इससे क्षति हुई। इन नालों के कारण होने वाले कटाव को रोकने के लिए कटाव क्षेत्रों में पुश्ता निर्माण प्रबन्धन के लिए सम्बन्धित विभागों तथा वन विभाग को निर्देश से किसानों को राहत पहुँचेगी। किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचा सकेंगे और अन्न उत्पादन में समर्थ होंगे। इससे क्षेत्र के किसानों को भारी राहत मिलेगी। यह अति लोक हित का विषय है इस पर आप और सदन का ध्यान अपेक्षित है।]

विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर अन्तर्गत जाखा में महाविद्यालय की स्थापना एवं गजा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम गोपाल–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र, नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत क्षेत्रीय जनता द्वारा पट्टी क्वीली पालकोट, पाखकरिया, मखलोगी के छात्र/छात्राओं हेतु जाखा में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए दिनांक 17–02–2009 से क्रमिक अनशन तथा दिनांक 22–02–2009 से सामाजिक कार्यकर्ता श्री कुंवर सिंह कयाल द्वारा जाखा में आमरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनशन किया जा रहा है। जिनका स्वास्थ्य अब चिन्ताजनक हो गया है। उपरोक्त पट्टियों के आस–पास उच्च शिक्षा के लिए कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इस क्षेत्र से काफी दूर एक महाविद्यालय नई टिहरी में है तथा दूसरा ऋषिकेश में है। इस क्षेत्र के ग्रामीण इन महाविद्यालयों में अपने बच्चों को गरीबी के कारण नहीं भेज पाते हैं, जिससे यह क्षेत्र उच्च शिक्षा से वंचित है। अब यहां की जनता निराश होकर आन्दोलित है। इसी प्रकार गजा में उप तहसील है किन्तु अधिकाँश कार्यों के लिए उपरोक्त पट्टियों की जनता को नई टिहरी तहसील जाना पड़ता है। इसी कारण इस उप तहसील को पूर्ण तहसील में परिवर्तित किये जाने की माँग जनता द्वारा लगातार की जा रही है। आन्दोलित जनता की माँग को पूरा करने हेतु गजा में डिग्री कॉलेज की स्थापना तथा गजा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की माँग करता हूँ। विषय लोक महत्व का होने के कारण अविलम्बनीय है।

अतः अविलम्ब कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद देहरादून में पुनर्वास क्षेत्र भानियावाला के ग्राम अठूरवाला में अनुपयोगी भूमि को मन्दिर निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

[मान्यवर, पुनर्वास क्षेत्र भानियावाला, ग्राम अठूरवाला, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून में प्लॉट संख्या–बी 108,109 में विकास कार्यों को चिन्हित करने के पश्चात बची हुई ऐसी अनुपयोगी भूमि, जिसका विभाग के लिए कोई महत्व नहीं है तथा वह खाली पड़ी है, यह भूमि बिजली घर एवं आवासीय भूखण्डों को जाने वाली सड़क के बीच विभाग द्वारा श्री महेश्वर प्रसाद, श्री कमलेश्वर प्रसाद एवं श्री सत्येश्वर प्रसाद को आवंटित आवासीय भूखण्डों के सामने है। सरकारी विकास कार्यों के लिए उपयोगी न रहने वाली इस खाली भूमि पर विस्थापित ग्रामवासी अपनी आस्था के अनुरूप भैरव देवता एवं हनुमान जी का मन्दिर स्वयं के व्यय पर बनाना चाहते हैं। पुनर्वास नीति में भी विस्थापितों के सामाजिक क्रियाकलापों को पुनर्वास स्थलों पर सुरक्षित रखने का प्राविधान है। विस्थापित ग्रामवासियों के द्वारा उपरोक्त वर्णित मन्दिरों के निर्माण हेतु इस सम्बन्ध में पुनर्वास निदेशालय, टिहरी बाँध परियोजना के अधीनस्थ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवेदन–पत्र प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन आवंटन नहीं किया गया है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद उत्तरकाशी के शेष 14 आन्दोलनकारियों तथा डुण्डा मुख्यालय के 16 आन्दोलनकारियों को सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपाल सिंह रावत–

[मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 1997–98 में दिनाँक 24–07–97 को पृथक

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्य व मुख्य डाकघर की माँग को लेकर चलाये जा रहे आन्दोलन के तहत 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो दिनांक 30–07–97 को रिहा किये गये, जिसकी पुष्टि जिला कारागार, टिहरी से प्राप्त सत्यापन सूची से स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष उत्तरकाशी की जाँच से उक्त 27 व्यक्तियों में से 08 उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के कारण सरकारी सेवा में लग गये हैं तथा दो सूचीबद्ध किये जा चुके हैं, 02 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, 02 व्यक्ति अन्य जनपदों के हैं और एक व्यक्ति पूर्व से ही राजकीय सेवा पर है। अवशेष 14 व्यक्ति अपने को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की सूची में अंकित कराने हेतु लम्बे समय से प्रयासरत् हैं।

वहीं दूसरी ओर जनपद मुख्यालय में राज्य प्राप्ति आन्दोलन के दौरान तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 16 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धारायें लगाकर टिहरी जेल भेजा गया था और उच्च न्यायालय की सी०बी०आई० विशेष अदालत में चार वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद सबको दोषमुक्त कर दिया गया था।

उपरोक्त अवशेष 14 तथा 16 आन्दोलनकारियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य प्राप्त आन्दोलनकारियों की सूची में सूचीबद्ध कर, रोजगार/पेंशन एवं सम्मानित किये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है तथा सूचीबद्ध न किये जाने की दशा में भारी आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है।

उपरोक्त आन्दोलनकारियों को राज्य प्राप्ति आन्दोलनकारियों की सूची में सूचीबद्ध कर अनुमन्य सुविधायें प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को नियम–300 में लेकर सरकार से प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

सहस्त्रधारा रोड, देहरादून से ट्रेंचिंग ग्राउण्ड को शहर से अन्यत्र न हटाये जाने में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दिनेश अग्रवाल–

[सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में पूरे शहर का कूड़ा–कचरा विगत कई वर्षों से डालने का विरोध डाँडा लखौण्ड, आँवला घोसन तथा ननूरखेड़ा के साथ ही हिलव्यू अपार्टमेंट, दून ईस्ट पार्क, एकता विहार, मन्दाकिनी विहार, अमन विहार, गोविन्दनगर के निवासी बराबर कर रहे हैं। इस कूड़े–कचरे से वहाँ के लोगों का जीना दुस्वार हो गया है। गंदगी एवं बदबू से वातावरण एकदम दूषित हो गया है। चील–कौवे बड़ी संख्या में इस एरिया में गंदगी के ऊपर मंडराते रहते हैं। इस ट्रेंचिंग ग्राउन्ड को शहर से दूर हटाने के लिए क्षेत्रवासियों ने दिनांक 24–06–2008 को धरना–प्रदर्शन का नोटिस जिलाधिकारी को दिया। जिसकी सूचना मा० मुख्यमंत्री, नगर प्रमुख, सचिव, नगर विकास, मुख्य नगर अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा रायपुर थाना को दी और दिनांक 29–06–2008 को सहस्त्रधारा रोड पर जबरदस्त धरना दिया तथा सड़क जाम कर इसका विरोध प्रकट किया। दिनांक 30–06–08 को इसी संदर्भ में उप जिलाधिकारी, जो धरना स्थल पर प्रदर्शन समाप्त करने के लिए आए, को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद दिनांक 08–07–08 को शहरी विकास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मंत्री जी को एक प्रतिनिधि मण्डल इस बारे में उनके कार्यालय में मिला। किन्तु अभी तक ट्रिचिंग ग्राउण्ड को वहाँ से नहीं हटाया गया।

मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम ने अपने पत्र संख्या-1245, दिनांक 05-08-08 द्वारा सूचित किया है कि कूड़ा निस्तारण स्थल पर नगर निगम की जे0सी0बी0 मशीन द्वारा प्रतिदिन खाई (ट्रेंच) खोदी जाती है। जिसमें कूड़ा वाहन कूड़ा पलटते हैं और जे0सी0बी0 मशीन द्वारा कूड़े को तत्काल मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा कीट नाशकों/दुर्गन्ध नाशक घोल का तत्काल छिड़काव किया जाता है। निस्तारण स्थल के समीप आबादी नहीं है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना अन्तर्गत देहरादून नगर के कूड़े के प्रसंस्करण एवं व्ययन हेतु शीशम बाड़ा, पछवादून में 8.325 है0 भूमि आवंटित हुई है। जहाँ योजना में निर्धारित प्रक्रिया एवं समयावधि के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के उपरान्त सहस्त्रधारा रोड पर कूड़ा निस्तारण का विकल्प संभव हो सकेगा। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना का क्रियान्वयन दिसम्बर, 2009 तक किया जाना है। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। बड़े स्तर के इस ट्रिचिंग ग्राउण्ड में न तो छिड़काव किया जाता है और न ही यह कारगर सिद्ध हो सकता है।

इस ट्रिचिंग ग्राउण्ड के आस-पास के लोग इसकी बदबू और इससे फैल रहे रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। शहर के बीचों बीच से यह कूड़ा घर हटना जन स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। गत वर्ष तृतीय सत्र में 19.12.08 को मेरे द्वारा दी गयी सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी किन्तु न तो सदन में वक्तव्य दिया गया और न ही मुझे इसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ और न ही स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मामले में अब तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी प्रतीत होती है। लोकमहत्व के इस अतिमहत्वपूर्ण मामले में, मैं शीघ्र कार्यवाही तथा वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

पन्तनगर-गदरपुर में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को ठीक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमानन्द महाजन-

[मान्यवर, माननीय सदन का ध्यान 60-पन्तनगर-गदरपुर क्षेत्र में खराब हुये इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प की ओर दिलाना चाहता हूँ। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक नल खराब पड़े हैं। सामने गर्मी का मौसम है, पीने के पानी की किल्लत है। विभागीय अधिकारी बजट न होने का रोना रोते हैं।

महोदय, यह विषय अति महत्व का है, आवश्यक कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

कुटीर ज्योति कनेक्शन एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन पर सरचार्ज माफ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र राकेश-

[मान्यवर, उत्तराखण्ड में बी0पी0एल0 परिवारों को भी कुटीर ज्योति कनेक्शन दिये गये थे। लेकिन बिजली विभाग द्वारा बहुत अधिक बिल वसूली के लिए भेज दिये गये हैं।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बी0पी0एल0 परिवारों के बिजली के कनेक्शन माफ किये जायें, क्योंकि उन्हें कनेक्शन भी फ्री दिये गये थे एवं ग्रामीण घरेलू बिजली कनेक्शन पर सरचार्ज भी माफ किया जाये, जिससे ग्राम उपभोक्ता बिजली के बिल जमाकर सकें, बिजली विभाग के कर्ज से मुक्ति पा सकें और बिजली विभाग की वसूली भी समय से हो सके। अतः इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर समुचित कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद टिहरी के विकास खण्ड जौनपुर हनुमान मन्दिर, डाडा की वैली होते हुए पर्यटक स्थल धनौल्टी तक मोटर मार्ग निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खजान दास–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग के हनुमान मंदिर से डाडा की वैली होते हुये अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल धनौल्टी तक मोटर मार्ग की माँग काफी समय से स्थानीय जनमानस द्वारा की जाती रही है तथा मेरे द्वारा भी समय–समय पर सरकार एवं शासन स्तर पर पत्र व्यवहार किया गया है किन्तु अब तक भी उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति नहीं मिल पायी है।

गौरतलब है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने से जहाँ एक ओर क्षेत्र के 14 से अधिक गाँव के काश्तकार अपनी नकदी फसलों को कम लागत में उचित स्थानों पर विक्रय कर सकेंगे वहीं दूसरी ओर पर्यटक एक साथ धनौल्टी एवं उत्तरकाशी के विभिन्न रमणीक स्थलों का भ्रमण बहुत कम समय एवं लागत में कर सकेंगे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्रता से कार्यवाही की माँग की जाती है।]

ग्राम आमखेडी, ब्लॉक नारसन, जिला हरिद्वार के निकट सोलानी नदी पर पुल न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*काजी मो0 निजामुद्दीन–

[मान्यवर, सोलानी नदी, जनपद हरिद्वार के नारसन ब्लॉक, खानपुर ब्लॉक और लक्सर ब्लॉक के बीच से बहती है। खानपुर ब्लॉक और लक्सर ब्लॉक के लोगों को नारसन ब्लॉक में आने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से हो कर आना पड़ता है या फिर लगभग 70–80 किलोमीटर का चक्कर काट कर। यदि ग्राम–आमखेडी ब्लॉक नारसन के निकट सोलानी नदी पर पुल बन जाए तो तीनों ब्लॉक के लोगों को आवागमन हेतु सुविधा हो जाएगी। अतः इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम पंचायत मयकोटी में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा–

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम पंचायत मयकोटी के पेयजल संकट की ओर लाना चाहती हूँ, ग्रामीण जनता लगभग 3 महीने से पेयजल संकट से जूझ रही है। विभाग को इस सम्बन्ध में तुरन्त अवगत करा दिया गया लेकिन विभाग द्वारा इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई और ग्रामीण जनता जनप्रतिनिधि ने विभाग में पहुँच कर भी सम्बन्धित अधिकारी से पेयजल आपूर्ति करने हेतु विभाग को अवगत कराया, लेकिन अभी तक भी ग्रामीणों की इस समस्या का निराकरण करने में विभाग सफल नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में अत्यन्त रोष व्याप्त है और वह पेयजल संकट के निराकरण की माँग कर रहे हैं। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जल संस्थान में वर्ष, 2002 से पूर्व एवं वर्ष 2002 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं भत्तों में असमानता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल–

[मान्यवर, जल संस्थान में वर्ष, 2002 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं 2002 के बाद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं भत्तों में भारी असमानता विभाग द्वारा की जा रही है। जिससे 2002 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। पूर्व में कर्मचारियों द्वारा विभागीय स्तर पर इस असमानता को दूर करने की माँग की गई है।

मैं सदन से माँग करता हूँ कि ऐसे कर्मचारी जो कि 2002 से पूर्व सेवानिवृत्त हुये हों, उन्हें भी समस्त कर्मचारियों के समान पेंशन एवं भत्ते दिये जायें। ताकि कर्मचारियों में असंतोष समाप्त किया जा सके।]

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, वाद संख्या–5 में मुझे बोलना है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आपकी सूचना नहीं है, सूचना लिखित में दीजिए।

श्री शहजाद–

मान्यवर, माननीय विधायक का अधिकार है मोबाइल मिलने का, जो एक साल से आज तक सरकार ने किसी भी सदस्य को मोबाईल उपलब्ध नहीं कराया है, जो इस सिरीज में मिलने थे, इससे शर्मनाक विशेषाधिकार क्या होगा, जो हक बनता है, जो पास हो चुका।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह विशेषाधिकार किसके खिलाफ है ?

श्री शहजाद–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के खिलाफ है। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है, फिर भी माननीय मंत्री जी जवाब दे दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, इस विषय पर वेतन, पेंशन और परिलब्धियों से सम्बन्धित विधेयक सम्मानित सदन में 2008 में पारित हुआ था, उसके अनुरूप नियमावली बन चुकी है और वह शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी, उसके आधार पर जितनी भी सुविधा दी जानी है वह शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी।

कार्यमन्त्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 2008 की बैठक में दिनांक 27 फरवरी, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

फरवरी, 2009

27 (शुक्रवार)

1. विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम,1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। (15 मिनट)

3. पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। (15 मिनट)

4. इकफाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। (15 मिनट)

5. देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। (15 मिनट)

6. हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण (15 मिनट)

7. पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 का विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2. श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।

3. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

(1) "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जिला उत्तरकाशी के रवाई, जिला चमोली के जोशीमठ, जिला टिहरी के जौनपुर तथा जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी एवं धारचूला के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश कर दी जाय।"

(2) "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमोशूद्र, पौण्ड, मॉझी जाति के व्यक्ति, जो भारतीय नागरिकता के हों, को उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की संस्तुति कर दी जाय।"

4. विगत तृतीय सत्र, 2008 का लम्बित असरकारी संकल्प :-

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा तृतीय सत्र 2008 में दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा जारी :-

(1) श्री चंदन राम दास — "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगना किया जाय ताकि युवाओं में सेना में अधिकारी बनने की रूचि बढ़ सके।"

5. प्रथम सत्र, 2009 के असरकारी संकल्प :-

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

(1) श्री पुष्पेश त्रिपाठी — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाय।"

(2) श्री सुरेन्द्र राकेश — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में एकरूपता के लिए समान शिक्षा नीति बनायी जाय।"

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष जी–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद, दूसरी चौ0 यशवीर सिंह, तीसरी श्री मनोज तिवारी, चौथी श्री हरिदास, पाँचवी श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री केदारसिंह रावत, छठवी सूचना श्री राजेश जुवाँठा, सातवी श्री प्रेमानन्द महाजन, आठवी श्री केदार सिंह रावत, नौवी श्री सुरेन्द्र राकेश, दसवी काजी निजामुद्दीन तथा ग्यारहवी सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा की, कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद की सूचना जो जनपद हरिद्वार के तहसील लक्सर के ग्राम सुल्तानपुर में उचित दर विक्रेता तनवीर खान द्वारा राशन वितरण में की जा रही अनियमितता एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उनका लाईसेंस निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री केदार सिंह रावत की है, जो जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज तहसील में बारह राणा ग्राम में राणा थारूओं द्वारा वर्षों से बारह राणा स्मारक बनाये जाने की माँग के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना काजी निजामुद्दीन की है, जो जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली एवं बागेश्वर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा भोजन न दिये जाने के सम्बन्ध में है चौथी सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा की है, जो जनपद पिथौरागढ के घुमचौड़ नामक स्थान से विद्युत ट्रान्सफार्मर हटाये जाने के सम्बन्ध में है, को ग्राह्यता पर सुनने हेतु अनुमति प्रदान कर रहा हूँ। शेष नियम–58 की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु निर्देशित करता हूँ, साथ ही नियम–310 के अन्तर्गत माननीय सदस्य मो0 शहजाद, चौ0 यशवीर सिंह, श्री हरिदास, हाजी तस्लीम अहमद तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना, जो जनपद बागेश्वर के ग्राम नमवाली पोता बगड़ निवासी पूजा देवी पत्नी श्री जगत राम के साथ मेला देखने जाते समय सामूहिक बलात्कार किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को विषय की गम्भीरता को देखते हुए नियम–58 में सुनने की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक सूचना आज भी नियम–58 के अन्तर्गत स्वीकार नहीं की गयी है। कल भी नहीं की गयी थी, परसों भी नहीं की गयी थी। आज तो अन्तिम दिन है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना है। कृपया मेरी सूचना को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया जायेगा।

***हाजी तस्लीम अहमद–**

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम सुल्तानपुर के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा श्री तनवीर खाँ, उचित दर विक्रेता, ग्राम सुल्तानपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की जाँच तहसील लक्सर के द्वारा की गयी है। मान्यवर, जाँच करने पर विक्रेता के द्वारा निर्गत किये गये गेहूँ, चावल की मात्रा का अंकन बिक्री रजिस्टर में नहीं किया गया है। बिक्री रजिस्टर में दिनांक 20.07.2008 को मजीद पुत्र इद्दू को खाद्यान्न वितरण दिखाया गया है, जिसकी मृत्यु दो वर्ष पूर्व होना प्रधान द्वारा बताया गया है। खुर्शीद पुत्र जिन्दा, तसलीम पुत्र गनी, रहीमुद्दीन पुत्र करीमुद्दीन, प्रेम चन्द्र पुत्र बुद्धू, यासीन पुत्र रशीद को विक्रेता द्वारा एक माह में दो से तीन बार वितरण दिखाया गया है। अगस्त, 2008 में कुछ कार्ड धारकों को बिक्री रजिस्टर पर निर्धारित मानक से अधिक चीनी वितरित की गयी दर्शाई गयी है। मान्यवर, विक्रेता द्वारा निर्गत किये गये गेहूँ, चावल की कीमत का आंकलन बिक्री रजिस्टर में नहीं है। मान्यवर, ये सब बी0पी0एल0 कार्डधारक हैं। मान्यवर, जाँच में गम्भीर आरोप सिद्ध होने के उपरान्त भी उपजिलाधिकारी, लक्सर ने सरकारी दुकान का लाइसेंस निरस्त न कर मात्र उसे बचाने के लिए औपचारिक कार्यवाही की है। मान्यवर, इस जनहित के गम्भीर एवं अति लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर, चर्चा की माँग करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक, लालढांग द्वारा जिस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है, वह जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत तहसीलदार लक्सर को जो शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, उस पर जाँच की गयी। इसमें जो तथ्य आपके माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराये गये हैं, उन सभी तथ्यों पर जाँच की गयी और जाँचोपरान्त यह पाया गया कि दुकान के परमिट को निरस्त किया जाना जनहित में उचित नहीं होगा और उनकी संस्तुति के आधार पर जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का परमिट था, उसको निरस्त नहीं किया गया। श्रीमन्, इसके अतिरिक्त जो भी आरोप पाये गये थे, उन आरोपों

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में वे आरोप प्रमाणित नहीं हुए, जिसके चलते वह दुकान निरस्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त भी यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो, तो वे उपलब्ध करा देंगे। हम उसका परीक्षण करा लेंगे।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, इसमें स्पष्ट अनियमितताएं पायी गयी हैं, जो तहसीलदार की जाँच में दर्शाई गयी हैं, उसके बावजूद भी इस डीलर को बचाया जा रहा है, क्यों ? क्या वजह है जो जाँच के अन्दर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे निरस्त नहीं किया जा रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अगर कोई स्पष्ट जानकारी माननीय सदस्य के संज्ञान में है तो इसे उपलब्ध करा दें। उसका हम परीक्षण करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, इस जाँच में स्पष्ट हो गया है, इस आदेश को आप देख लें। जब आरोप सिद्ध हो गये तो उसके बाद भी निरस्त नहीं हो रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, इसे जाँच में दर्शाया गया है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, इससे गम्भीर बात और क्या होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे इसका दुबारा परीक्षण करा लेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं इसका दुबारा परीक्षण करवा लूँगा कि क्या विषय है। जो भी विषय है, उसे मैं दिखवा लूँगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 की सूचना पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, सन् 1303 ईस्वी में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के राजा रतनसेन तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ तो राजा रतनसेन एवं उनकी सेना वीरगति को प्राप्त हो गयी तथा चित्तौड़ में मुगलों का शासन हो गया। वहाँ के राजपूतों पर मुगलों के अत्याचार होने लगे, तब बारह राणा चित्तौड़गढ़, राजस्थान से पलायन करके आये तो सबसे पहले उत्तराखण्ड के जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज तहसील के तराई जंगल में ठहरे तथा एक गाँव बसाया। इस गाँव का नाम बारह राणा पड़ा और इसी जंगल में एक किले का निर्माण किया, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इसी किले के कारण सितारगंज तहसील के एक परगने का नाम किलपुरी पड़ा। यहीं से राणा थारूओं का विस्तार हुआ। सिसौदिया वंश के नाम से सिसोना, वीर सिंह राणा के नाम से बिरिया, पूरण सिंह राणा के नाम से पूरनगढ़, रतन सिंह राणा के नाम से रतनपुर आदि गाँव बसाये गये। तराई क्षेत्र में रहने के कारण उनका नाम तारू पड़ा और धीरे-धीरे तारू शब्द थारू में परिवर्तित हो गया। इसलिये तराई के राणाओं को थारू कहा जाता है आज भी उत्तराखण्ड में ....।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, चूंकि माननीय सदस्य काफी पुराने सदस्य हैं और नियम-58 में यह प्रक्रिया है और परम्परा भी है कि नियम-58 में सूचना पढ़ी नहीं जाती है। उसकी ग्राह्यता पर बोला जाता है, यह सूचना तो आपने लिखित में दी है, इसकी ग्राह्यता को आप सदन के संज्ञान में ले आयें।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, थारू जनजाति ने एक आवेदन सरकार से किया कि सरकार उनकी थारू जाति के लिये, उनकी संस्था को एक भूमि का आवंटन करे। जिस भूमि में थारू जाति के निवासियों का स्मारक बने और स्मारक के साथ-साथ थारू जाति की अनेक गतिविधियों को संचालित किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीन एकड़ भूमि थारू जाति के उत्थान के लिये न देकर, एक संस्था, जो आर0एस0एस0 की एक संस्था थी, उसके आवेदन पर उस वनवासी जाति के उत्थान के लिये उस भूमि को आवंटित कर दिया और उसका लोकार्पण भी कर आये। मान्यवर, इस सन्दर्भ में थारू जाति बहुत ही आक्रोश के साथ-साथ उद्वेलित हो रही है कि क्या बारहराणा जो समाज है उसको आवंटित होने वाली वे भूमि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीधे उस समाज को न देकर आर0एस0एस0 की एक संस्था है, जिस संस्था को देकर वनवासी आश्रम के रूप में उसको संचालित (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कौन सी संस्था ने अप्लाई किया था इसके लिए ?

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, थारू जाति की संस्था ने अप्लाई किया था। पूर्ण रूप से उसको दिया जाना चाहिए था, न कि वनवासी आश्रम को वो भूमि दी जानी चाहिए थी। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा की माँग करता हूँ।

*श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, ये जो प्रश्नगत भूमि है जनपद ऊधमसिंह नगर में राजस्व अभिलेखों में भी लगभग 90 एकड़ भूमि बारहराणा के नाम पर दर्ज है और जो बारहराणा है। मान्यवर, ये जनजाति समुदाय के हैं और इनकी भूमि को किसी गैर जनजाति के व्यक्ति या संस्था को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता और ये वहाँ की जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहाँ पर ये स्मारक स्थापित करना चाहते हैं। इस भूमि को आर0एस0एस0 की संस्था सेवा प्रकल्प वनवासी कल्याण आश्रम को दिये जाने से वहाँ पर स्थानीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और नियमानुसार भी वे नहीं दी जा सकती, किसी गैर जनजाति संस्था या व्यक्ति को। इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की माँग करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गुनसोला जी और माननीय केदार सिंह रावत जी ने नियम–58 में इस सदन के सम्मुख जो विषय रखा है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री अध्यक्ष जी–

माननीय राणा जी कहाँ गये ? कल तो बहुत हल्ला कर रहे थे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसीलिए मुझे बल देने के लिए खड़ा होना पड़ा है। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है और जनजाति से जुड़ा विषय है कि सितारगंज में जो बारहराणा, जिसका उल्लेख माननीय केदार सिंह रावत जी और माननीय गुनसोला जी ने किया है, 90 एकड़ भूमि जो बारहराणा परिवार और समाज के नाम पर दर्ज है और ये समस्या माननीय अध्यक्ष जी, अचानक तब उठी जब 21 जनवरी, 2009 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बारहराणा सितारगंज में एक कार्यक्रम के दौरान बारहराणा स्मारक का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। वहीं से इस समस्या का जन्म हुआ कि मुख्यमंत्री के शिलान्यास कार्यक्रम के कारण जो थारू जनजाति थी, उसको लगता था कि राणा थारू जो परिषद है, उसको भूमि आवंटन होगी जिस जगह शिलान्यास हुआ है और स्मारक लगना है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की नीयत में खोट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था और सरकार ने राणा थारु परिषद्, जो जनजाति की एक सामाजिक संस्था है और जैसे माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि कई दशकों से वे इस भूमि पर काबिज हैं। उनका गाँव बसा है, वो खेती करते हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक गतिविधियाँ इस क्षेत्र में हो रही हैं। लेकिन राणा थारु परिषद् को वह भूमि, जहाँ शिलान्यास हुआ, स्मारक है, सामाजिक धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, मान्यवर, उसका आवंटन न करके एक ऐसी संस्था को, जो कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से जुड़ी संस्था है, जिसका रजिस्ट्रेशन सेवा प्रकल्प समिति वनवासी कल्याण आश्रम, ये जो वनवासी कल्याण आश्रम है, इसके नाम तीन एकड़ भूमि शिलान्यास स्थल पर आवंटन किया जाना, इससे जो राणा थारु जनजाति थी उनमें एक भावनात्मक आक्रोश पैदा हो गया है और विस्फोटक स्थिति खड़ी हो गयी है।

इन जनजाति के लोगों को लगता है कि वे अपने आर्थिक, सामाजिक विकास में सक्षम हैं। सरकार स्मारक बनाने के नाम पर वनवासी कल्याण आश्रम संस्था के नाम पर उनके बीच में अनावश्यक हस्तक्षेप करना चाहती है और कोई जनजाति, कोई संस्था, कोई धार्मिक समाज या समूह को अब किसी संस्था का अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार के द्वारा अपने से जुड़ी वैचारिक संस्था को भूमि आवंटन करना, निश्चित रूप से जातिगत द्वेष भावना पैदा करना यह प्रदेश के हित में नहीं है। इससे जो थारु जनजाति के लोग हैं वह अपने हितों में सरकार के द्वारा कुठाराघात समझ रहे हैं। उनको लगता है कि आज तीन एकड़ भूमि कल्याण आश्रम के नाम पर आवंटित की गई। अगर सरकार को रोका नहीं गया, सरकार ने अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं किया तो धीरे–धीरे सरकार के द्वारा इसी तरह की गतिविधियाँ दूसरी जनजाति के क्षेत्रों में भी, अल्प संख्यक समाज के जो मदरसे हैं, जो धार्मिक संस्थायें हैं, अनुसूचित जाति की जो भूमि है, जनजाति के जो गाँव हैं, अपने से जुड़ी वैचारिक रूप की संस्थाओं को आवंटन किया जायेगा। इससे पूरे प्रदेश में जातीय द्वेष की भावना पैदा हो जायेगी।

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इस लोक महत्व के और सरकार के अनावश्यक दबाव के कारण जो एक आक्रोश जनजाति के लोगों में पैदा हो गया है उसको रोकने के लिए, एक सौहार्द का वातावरण, भाई चारे का वातावरण, प्रदेश में पूर्व की भाँति कायम रहे, इसके लिए आपका हस्तक्षेप और आपका संरक्षण चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लोक महत्व के सवाल पर चर्चा स्वीकार कर ली जाय, इस पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक मसूरी, श्री जोत सिंह गुनसोला जी ने, केदार सिंह रावत जी ने नियम–58 के तहत एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और उस पर इस सदन के विद्वान सदस्य, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी अपने महत्वपूर्ण विचारों से अवगत कराया है। जैसा कि इस विषय की ग्राह्यता पर बोलते हुए माननीय सदस्यगणों ने बताया कि 1303 ई0 में मुगल काल में, माननीय अध्यक्ष जी, चित्तौड़गढ़ से उत्तराखण्ड की सीमान्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में महाराणा प्रताप के

वंशज आये थे और जिस मीराबारा राणा, जिसका उल्लेख आपके माध्यम से यहां पर किया गया उनके नाम से, आपने यह भी बताया कि 80 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। पूर्व में जब राज्य में औद्योगिक विकास का विषय चला और उस समय उस औद्योगिक विकास के चलते हुए ऊधमसिंह नगर में जो इण्डस्ट्रीयल स्टेट स्थापित हुए। इस भूमि में से अधिकतम भूमि का भाग उस इण्डस्ट्रीयल स्टेट में समाहित हो गया और यह महत्वपूर्ण स्थल, जिसमें मंदिर और उनके अवशेष हैं उसको संरक्षित किस प्रकार से किया जाए, यह बड़ी चिन्ता का विषय जब हमारी सरकार आई तो हमने प्रारम्भ किया।

उस समय हमें सेवा प्रकल्प संस्थान जो भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से सम्बद्ध है और यह एक वनवासियों के क्षेत्र में जहाँ–जहाँ पूरे देश भर में वनवासी निवास करते हैं, उस क्षेत्र में उनके उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाली संस्था है और उसके माध्यम से जब प्रस्ताव प्राप्त हुआ कि मीराबारा राणा का उनके उस मंदिर को जो पुरातन मंदिर है, उसको स्वयं के आधार पर न केवल संरक्षित करना चाहते हैं वरन् उस स्थान पर इस महत्वपूर्ण जनजाति, जिसका मुगलकाल से लेकर के आज तक हमारे आदम जातियों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। उस योगदान को ध्यान में रखते हुए और उसको आने की पीढ़ियों को भी अवगत कराया जा सके, इस विषय को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण संग्रहालय की स्थापना वहाँ हो सके और इसके साथ–साथ राणा, थारु परिवारों के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ियों को अपनी पुरानी यादें ताजा रहें और उससे वे मार्गदर्शन लेते रहें, इसके आधार पर वहाँ पर उस स्थान पर एक प्रकल्प की स्थापना हो, जो न केवल पुरातन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का कार्य करे वरन् जनजाति क्षेत्र के अन्दर आर्थिक उन्नयन, सामाजिक उन्नयन के लिए भी प्रयत्नशील रहे। इस तरह की एक विस्तृत परियोजना, जिसमें सरकार के स्तर पर कोई धनराशि नहीं दी जानी है और केवल उस क्षेत्र का, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र सिडकुल के अन्दर समाहित हो गया है, हमारी इण्डस्ट्रीयल स्टेट के अन्दर समाहित हो गया था जिस तरह की चिन्ता माननीय सदस्यगण कर रहे थे। आप जब इधर थे, उस समय आपने कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की कि मीराबारा राणा जिनका इतिहास 1303 ईस्वी से जुड़ा हुआ है, मुगलकाल से जुड़ा हुआ है, मुगलकाल के आतंक से जुड़ा हुआ है, मुगलकाल में महाराणा प्रताप पर किये गये अत्याचारों से जुड़ा हुआ है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या 1303 ईस्वी में मुगल आ गये थे ? बाबर कौन से सन् में आये ? मान्यवर, गलत इतिहास बयाँ किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह विषय इन्होंने रखा है। इन्होंने जो नोटिस दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ और जो महत्वपूर्ण इतिहास महाराणा प्रताप से जुड़ा है। मुगल से या बाबर से और अल्लाउद्दीन खिलजी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो महत्वपूर्ण इतिहास है, वह महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। इस इतिहास को संरक्षित करने का काम उस समय, जब सिडकुल को सम्पूर्ण जमीन दे दी गयी या उद्योग स्टेट स्थापित किया गया और जो मन्दिर का क्षेत्र था वह सम्पूर्ण क्षेत्र समाहित हो गया। हमने चिन्ता

की, कि इस क्षेत्र का संरक्षण कैसे हो ? किस तरह से इस जनजाति का आर्थिक उन्नयन और सामाजिक उन्नयन हो और इसी को दृष्टिगत रखते हुए, उस भूमि में मात्र तीन एकड़ भूमि है जो मन्दिर और उसके आस–पास का क्षेत्र है। उक्त संस्था के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा इसको निःशुल्क दिया गया है। इस आधार पर दिया गया है कि मन्दिर का संरक्षण, संग्रहालय, उनके उत्थान का स्थान यहाँ पर हो। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को और उत्तराखण्ड राज्य की जितनी भी सीमान्त जनपद में वह जनजाति रहती हैं, उनकी आर्थिक उन्नति हो और उनका सामाजिक उन्नयन हो। इस विषय पर आप लोगों को चिन्ता होनी चाहिए चूँकि माननीय गोपाल सिंह राणा जी उस जाति से हैं और उस महत्वपूर्ण पुरोधा वंश, जिन्होंने अपने को सम्पूर्ण समाहित किया और आप उनके वंशज हैं। उस महत्वपूर्ण पुरोधा के नाम पर वह इतिहास अपने स्वर्ण अक्षरों में इस उत्तराखण्ड में अंकित हो। आपने नियम–58 में स्थगन की सूचना दी, मैंने तो सोचा कितनी महत्वपूर्ण सूचना है। सरकार द्वारा इतना महत्वपूर्ण और पुनीत कार्य हो रहा है। इसमें कार्य स्थगन लेने की आवश्यकता कहाँ से हुई। इसलिए श्रीमन्, आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज जो सूचना नियम–58 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह राणा, श्री केदार सिंह रावत और श्री जोत सिंह गुनसोला की थी। मैं, माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् इसे अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा जी का नाम पुकारा गया तो आप उपस्थित नहीं थे। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। इनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जाय। जब तक ये अपने स्थान पर नहीं बैठें।

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

जब इनकी संस्था पहले से वहाँ पर कार्य कर रही है और डेढ़ करोड़ का भवन भी बना है तो उसे ही यह कार्य दिया जाना चाहिए। कल्याण आश्रम की जरूरत ही नहीं है, पिछली सरकार ने इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपया दिया था।

(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर न जाएँ तब तक इनकी बात का कोई संज्ञान न लिया जाय। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। विनिश्चय आ चुका है, इसमें।

(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया इसे हास्यास्पद न बनाइये। आपकी कोई सूचना नहीं थी और जिनकी सूचना थी, वे यहाँ पर नहीं थे तो क्या करें। (व्यवधान के मध्य) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए। कृपया स्थान ग्रहण करें। आज सदन का आखिरी दिन है। आप उत्तराखण्ड के विधायक हैं।

(माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा एवं श्री नारायण पाल 'वेल' पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले जायें, इसमें विनिश्चय आ चुका है, जब आपकी सूचना आई तो आप अनुपस्थित थे। माननीय सदस्य का नाम पुकारा था, कल आप बहुत चिंतित थे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा एवं श्री नारायण पाल अपने स्थान पर चले गये।)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आपने स्वास्थ्य विभाग के अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, वैसे उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य विभाग के सारे अस्पतालों पर नजर डालें तो पूरे स्वास्थ्य विभाग की हालत आज की तारीख में दयनीय है। स्वास्थ्य विभाग पर कहीं भी निगाह डालें तो स्थिति अत्यन्त गम्भीर है, दवा नहीं है, डाक्टर नहीं हैं तो आपरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। मान्यवर, कोई भी जो साधन सम्पन्न व्यक्ति है वह उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभाग के किसी भी केन्द्र में या किसी भी अस्पताल में किसी भी हाल में इलाज नहीं करा सकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी या सरकार में शामिल किसी भी माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि उनके घर में ऊपर वाला न करे कि कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाये तो क्या वे किसी स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में इलाज करा सकते हैं ? एक–आध वी0आई0पी0 वार्ड दून अस्पताल में बना रखा होगा तो उसके अलावा शायद सी0एम0आई0 ही जायेंगे सीधे।

श्री अध्यक्ष–

आपकी चर्चा तो भोजन से सम्बन्धित है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं विषय पर आ रहा हूँ, गरीब लोग उसमें इलाज कराने के लिए जाते हैं और सीधा–सीधा एक शासनादेश है कि जो भी सरकारी अस्पताल में इलाज करायेगा उस शासनादेश के हिसाब से उसको भोजन वहाँ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भोजन की क्वांटिटी भी शासनादेश में लिखी है और उसमें डाक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद उसको भोजन मिलना चाहिए। उसमें तो 465 ग्राम चावल, 560 ग्राम आटा, 116 ग्राम दाल, 174 ग्राम सब्जी, मसाला, नमक, घी सब कुछ शामिल है। मान्यवर, 13 जनपद हैं उत्तराखण्ड

में, 13 जनपदों में से 3 जनपद तो ऐसे हैं जहाँ स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अस्पताल में भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, बागेश्वर के एक टी०बी० हास्पिटल में खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, बाकी जो खाना उपलब्ध कराया जाता है, वह कराया जाता है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं या डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर जो हास्पिटल स्थित हैं उनमें उपलब्ध कराया जा रहा है। जो ब्लॉक लेवल के सी०एस०सी० हैं और जो छोटे हास्पिटल हैं वहाँ किसी प्रकार का कोई भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जहाँ भोजन उपलब्ध कराया भी जाता है उसमें बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है।

मैं, माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ, यह सारे कागज हैं आप देखना चाहें, अवलोकन करना चाहें तो कर लें। मान्यवर, पिथौरागढ़ जिले में श्री बी०एन० पाण्डेय हास्पिटल में वित्तीय वर्ष 2007–08 में 17 लाख 25 हजार 945 रुपये खाने के नाम पर निकाले गये, जबकि उससे बड़ा हॉस्पिटल रुड़की–हरिद्वार जनपद में है जिसमें 7 लाख 30 हजार 380 रुपये उसी वित्तीय वर्ष में लिये गये और चमोली जिले में मात्र 23 हजार रुपये उस वित्तीय वर्ष में प्रयोग किये गये। मान्यवर, एक जनपद में 23 हजार रुपये का इस्तेमाल हो रहा है, एक जनपद में 17 लाख से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और बड़े जनपद में 7 लाख रुपये का इस्तेमाल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मरीजों की संख्या बता दें।

काजी मो० निजामुद्दीन–

मान्यवर, मरीज की संख्या बेड के हिसाब से ही करेंगे, 120 बेड बी०एन० पाण्डेय हास्पिटल में। मान्यवर, उसके अलावा एक और घोटाले की बू आपके विभाग में आ रही है। श्रीनगर में मिल्क डाईट 25 रुपये की है और श्री बी०डी० पाण्डेय अस्पताल, नैनीताल में 54 रुपये की है। वही डाईट यहाँ 25 रुपये की है और वही डाईट वहाँ 54 रुपये की है। मान्यवर, टाईम कम है आप चाहें तो मैं सारे रिकार्ड के कागज दे दूँ। आप उसका अवलोकन स्वयं कर लें, कहीं 78 रुपये की डाईट है और कहीं 84 रुपये है। पिथौरागढ़ में 38 रुपये की, 33 रुपये की डाईट है। जहाँ महंगी होनी चाहिए वहाँ सस्ती है, हरिद्वार में 64 रुपये की डाईट है।

मान्यवर, हाथ उठाकर हवा में हाथ लहराना बहुत बुरी बात नहीं है, पर जमीन पर पाँव रखना बहुत जरूरी बात है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप किसी भी अखबार को देख लें, मैग्जीन, टी०वी० देख लें, किसी भी खबर को देख लें तो हाथ हवा में हैं, पैर भी हवा में न रखें, मान्यवर, धरातल पर रखें। बी०पी०एल० के लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ न हो, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो। सरकारी हास्पिटलों में ज्यादातर वे लोग भर्ती होते हैं, जो कुपोषण का शिकार होते हैं। अक्सर देखने में यह आया कि अगर दो–तीन दिन सही भोजन मिल जाय तो शायद उनकी बीमारी का इलाज खुद हो जायेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद।

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कुछ आँकड़ों को दे करके और जो भोजन की डाईट से सम्बन्धित बिन्दु यहां पर उठाया है, जो काफी महत्वपूर्ण भी है। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सभी अस्पतालों के लिए नहीं है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से ऊपर के जितने भी चिकित्सालय हैं, उनके लिए यह भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित है। दूसरी बात यह निश्चित है कि हम सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर डाईट सिस्टम करते हैं, लेकिन इसको पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने टेंडर्स किये हैं और जो प्रबन्धन समिति है, वह प्रबन्धन समिति इसको सुनिश्चित करती है। जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हमारी यह प्रबन्धन समिति होती है और वही फिर हर अस्पताल में एक प्रबन्धन समिति का गठन करती है, जो इन सारी व्यवस्थाओं को देखती है। लेकिन आपने कुछ जैसे पिथौरागढ की बात की है, श्रीनगर की बात की है, जो हमारे यहाँ टेंडर्स होते हैं, उन टेंडर्स के आधार पर, वह डाईट के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन टेंडर के हिसाब से जो सुनिश्चित होता है, वह उसमें किया जाता है, लेकिन फिर भी जो आँकड़े दिये हैं, इनको मैं दिखवा लूंगा। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि इतना बड़ा अंतर है जो हरिद्वार में 64 है। जिस प्रबन्धन समिति ने इसके टेंडर किये होंगे, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो प्रबन्धन समिति होती है तो उसने निश्चित रूप से यह देखा होगा, देखा ही होगा। चूंकि जिलाधिकारी, सी0एम0ओ0 सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी इस समिति में होते हैं और जनप्रतिनिधि भी होते हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, 09–10 प्रतिशत का अन्तर तो समझ में आता है, लेकिन दोगुने–तीन गुने का अन्तर तो समझ में आनी वाली बात नहीं है।

(व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूँ। हमारी सरकार हमेशा और हमेशा पारदर्शिता के आधार पर चलना चाहती है। मैं यह कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कहीं भी इस तरीके की अनियमितता नहीं होगी, किसी भी कीमत पर यह रखा नहीं जायेगा। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, पहाड़ के तीन जनपदों में भोजन की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, इन स्थानों पर कोई हरिद्वार के लोग नहीं जायेंगे।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने केवल रेट के अन्तर के सम्बन्ध में कहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इस समस्त प्रकरण को पूरी तरह से दिखवा लें, यह बहुत गम्भीर विषय है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बहुत बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है। जनपद पिथौरागढ़ में विद्युत विभाग के द्वारा ऐसी जगह ट्रॉसफार्मर लगा दिये गये हैं, ऐसी जगहें लाईनें खिंच दी गयी है, जिससे रोजमर्रा किसी भी हादसे को अंजाम दिया जा सकता है।

मान्यवर, जिस विषय में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, वह दो सड़कों के मध्य में विद्युत विभाग द्वारा खम्भे लगाए गये हैं और ट्रॉसफार्मर लगाया गया है और हाईटेंशन लाईन के तार इतने नीचे लटके हैं कि किसी दिन भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जबकि ये मोटरमार्ग है। एक सड़क में बड़ी गाड़ियाँ इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि विद्युत लाईन के तार इतने नीचे हैं कि किसी समय भी बस या जो बड़े ट्रक हैं, उनमें हादसा हो सकता है। अगर तुरन्त उन लाईनों को वहाँ से नहीं हटाया गया, उस ट्रॉसफार्मर को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा तो किसी दिन भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैं ज्यादा न कहते हुए, यह एक गम्भीर विषय है, लोक महत्व का विषय है। इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं चाहूँगा कि इसका तुरन्त निराकरण हो।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो गंभीर विषय सदन के समक्ष उठाया है, मैं उस पर बल देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से इसकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग जिन मोटरमार्गों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर यदि बिजली के तार जमीन से कम ऊँचाई पर होंगे और ऐसे स्थान पर बिजली के खम्भे और ट्रॉसफार्मर लगा होगा तो मानव जीवन की क्षति होने की संभावना हर समय बनी रहेगी। केवल मानव जीवन को ही नहीं हमारे पालतू जानवर गाय, भैंस, बकरियाँ हैं और जंगली जानवर हैं, क्योंकि जंगली जानवरों की सुरक्षा भी सरकार का और हम सब का उत्तरदायित्व है। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तत्काल ऐसे स्थानों पर जो सुरक्षित जगह नहीं है, लोगों का आना–जाना होता है, ऐसे स्थान पर बिजली की लाईन को ठीक करा लें और ट्रॉसफार्मर हटा लें। निश्चित ऊँचाई तक तारों को खिंचवा लें। माननीय सदस्य ने केवल एक स्थान का उल्लेख किया है लेकिन हम तमाम सदस्य अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों में यह महसूस करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी अपने विधान सभा क्षेत्र में एक विधायक के रूप में यह महसूस करते होंगे कि विद्युत विभाग के द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इस तरह की लापरवाही अक्सर की जाती है और इस वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं इस प्रदेश में न हों इसलिए लोक महत्व के इस विषय पर चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी ने ध्यान आकर्षित किया तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस पर बल दिया। श्रीमन्, पूर्व में भी यह विषय सदन के समक्ष उठा था और सरकार के माध्यम से यह तथ्य सदन के संज्ञान में लाया गया था कि जिन स्थानों पर आबादी नहीं थी, खाली पड़े खेत थे या खाली जमीन थी, जब विद्युत लाईन का निर्माण होता है तो लाईनों के निर्माण तथा ट्रॉसफार्मर इत्यादि लगने के पश्चात् कालान्तर में उन लाईनों के नीचे मकान बन जाते हैं। फिर लाईनों की हाईट कम होने की वजह से निश्चित रूप से दुर्घटना की संभावना बन जाती है। पिछली बार यह विषय सदन में उठा था, उसके माध्यम से हमने परीक्षण करवाया तो पता चला कि एक बहुत बड़ी धनराशि इसमें व्यय होनी है। लेकिन आज जो स्पेसिफिक प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा रखा गया है, मैं चाहूँगा कि थोड़ी मदद इसमें माननीय सदस्य भी कर दें। इसके लिए हमको भूमि दिलवा दें। क्योंकि भूमि निःशुल्क ही ली जाती है। भूमि हमें प्राप्त हो जाएगी तो उसके तत्काल बाद हम इसको स्थानान्तरित करवा देंगे।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महँू भाई"–

मान्यवर, वहाँ पर जमीन तो उपलब्ध है, अगर ये चाहें तो वहाँ पर काफी भूमि उपलब्ध है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस हेतु जमीन का मूल्य नहीं दिया जाता, भूमि निःशुल्क ली जाती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

शेष जो सूचनायें नियम–58 के अन्तर्गत दी गई थी, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ और सूचना जो नियम–310 के अन्तर्गत माननीय मो० शहजाद, माननीय हरिदास, माननीय सुरेन्द्र राकेश, चौ० यशवीर सिंह, हाजी तस्लीम अहमद द्वारा दी गई थी। उसे नियम–58 में परिवर्तित कर दिया गया था, मैं उसे अब सुन रहा हूँ।

***श्री हरिदास–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमारी नियम–310 के तहत दी गई सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत सुनने का निर्देश दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तराखण्ड प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और अगर इस प्रदेश में भी इस तरह की घटनायें घटेंगी तो निश्चित रूप से उन महिलाओं का बलिदान, जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य बनाने का ख्वाब देखा था, उनका ख्वाब तो अधूरा ही रह जायेगा। मान्यवर, बागेश्वर जनपद में पूजा नाम की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। इस घटना से निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में महिलायें सुरक्षित नहीं हैं, दलित महिलायें सुरक्षित नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा प्रकरण बहुत कम देखने को मिलता है, जैसा प्रकरण यह हुआ है कि उसके पति के सामने सामूहिक बलात्कार किया गया है और आज तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मान्यवर, उनकी गिरफ्तारी तो तुरन्त ही हो जानी चाहिये थी, ऐसे प्रकरणों पर तो सरकार को गम्भीर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

आपने सूचना में घटना की तारीख का उल्लेख नहीं किया है।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, 23 तारीख को मेले में वह महिला और उसके पति गये थे, बगड़ गाँव के ये रहने वाले हैं।

*चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको माननीय हरिदास जी की बातों से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने की अनुमति दी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ आज ऐसी घटना को नियम–58 में, मैं उठा रहा हूँ, जो देवभूमि उत्तराखण्ड में नहीं होनी चाहिये थी। उत्तराखण्ड एक ऐसा प्रदेश है, जिससे पूरे हिन्दुस्तान में यह मैसेज जाता है कि उत्तराखण्ड एक अलग ही प्रदेश है। लेकिन आज इस सरकार के रहते हुये अब मैसेज कुछ गलत जाने लगा है। क्योंकि आज दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किये जा रहे हैं। दिनांक 23 तारीख को वह घटना है कि पूजा नाम की एक स्त्री, जो अपने पति श्री जगत राम जी के साथ मेले में जा रही थी और मेला देखने के बाद जब वह वापस लौट रही थी तो वहाँ के कुछ गुण्डों ने, जिनका नाम गोपाल सिंह कोश्यारी और पूरन सिंह आदि लोग हैं। उन्होंने उसे बाँधकर, जबरदस्ती उसके पति के सामने सामूहिक बलात्कार किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब एक पति के सामने उसकी स्त्री का बलात्कार किया जाता है और वहाँ के अधिकारी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह कैसी सरकार है। कल अभिभाषण में प्रचार किया जा रहा था कि हम भयमुक्त समाज की कल्पना करते हैं, इस प्रदेश को भयमुक्त समाज देना चाहते हैं। यह ऐसा भयमुक्त समाज देना चाहते हैं, जहाँ महिलाओं की इज्जत सुरक्षित न हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसा भयमुक्त समाज देना चाहते हैं, जहाँ दलित महिलाओं का उत्पीड़न होता हो, मान्यवर, ऐसा भयमुक्त समाज देना चाहते हैं, जहाँ लूट, डकैती और बलात्कार होते हों, ऐसा भयमुक्त समाज यह सरकार देना चाहती है मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले चार दिनों के अन्दर वहां के एस0पी0 के द्वारा इतनी बड़ी घटना को दबाने का कार्य किया गया। दो दिन तक ये प्रयास किये गये कि इसमें समझौता हो जाये। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी दो दिन बाद रिपोर्ट दर्ज होती है और वो भी तब दर्ज होती है जब वहाँ के लोग ये मना कर देते हैं कि ये हमारी इज्जत, आबरू का मामला है, हमारी इज्जत को लूटा गया है, हमारी आबरू को लूटा गया है, पूरे दलित समाज की आबरू को लूटा गया है, पूरे उत्तराखण्ड के दलितों की इज्जत को लूटा गया है तो इसलिए हम इस पर फैसला नहीं करेंगे। इसमें रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसमें फाँसी लगनी चाहिए। ऐसे कृत्य करने वालों को फाँसी लगनी चाहिए, ऐसी माँग जब वहाँ की गयी तभी वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की गयी।

मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे गम्भीर प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए थी, तत्काल वहाँ गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और दो दिन बाद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी, वहाँ के परिवार के लोगों को थाने में नहीं बैठाया गया। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि इस गम्भीर प्रकरण में निश्चित रूप से इस लोक महत्व के विषय पर सदन में सारे कार्यों का स्थगन करते हुए जरूर चर्चा करायी जाय क्योंकि ये गम्भीर विषय है, दलित महिला से जुड़ा हुआ विषय है, सामूहिक बलात्कार का मामला है, दलितों पर अत्याचार का मामला है, दलितों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जा रही है। मैं इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, एक अत्यन्त दुःखद घटना पर माननीय सदस्यगणों ने सम्मानित हरिदास जी ने, सम्मानित सुरेन्द्र राकेश जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। श्रीमन्, और घटना की जानकारी देते हुए आपने अवगत कराया है कि किस तरह का लोमहर्षक कांड यह हुआ है। श्रीमन्, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना 23 फरवरी, 2009 को घटित हुई। जब पूजा देवी, पत्नी जगत राम, निवासी नमवती, पोता बगड, थाना कपकोट, बागेश्वर, ये अपने पति के साथ नाचनी में शिवरात्रि के मेले में गई थी और वहाँ से वापस घर आ रही थी। श्रीमन्, शाम को लगभग साढ़े सात बजे उसी के गाँव के दो व्यक्ति गोपाल सिंह, पुत्र पान सिंह एवं पूरन सिंह पुत्र राम सिंह, जिसकी जो रिपोर्ट इन्होंने लिखाई है जिसमें उल्लेख इन्होंने इस बात का किया है कि इन्होंने इनके पति के साथ मारपीट की और इनके साथ जबरन बलात्कार किया। श्रीमन्, और जब यह रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उक्त सूचना पर थाना कपकोट द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियोग 49/9, धारा 376, धारा 323, धारा 506, 34 आई0पी0सी0 के तहत तथा इसके साथ–साथ एस0सी0, एस0टी0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया श्रीमन्, गोपाल सिंह और पूरन सिंह के विरुद्ध और इसके तत्काल बाद उक्त अभियोग पंजीकृत होते ही वहाँ के क्षेत्राधिकारी बागेश्वर के श्री राकेश चन्द्र पंत और थानाध्यक्ष, कपकोट मय पुलिस बल के घटनास्थल पर रवाना हुए।

घटनास्थल का निरीक्षण, विवेचना इत्यादि करने के पश्चात् उन्होंने साक्ष्य संकलित किए और पीड़िता श्रीमती पूजा देवी का मेडिकल परीक्षण कराया गया, उनके कलमबंद बयान भी दर्ज हो गये और रवान न्यायालय में आज अभी जो न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही है, उसको वो सम्पादित कर रहे हैं श्रीमन्। इसके साथ–साथ अभियुक्त इसमें नामजद हुए थे, उन दोनों के घर में दबिश दी गयी, वो दोनों घर से फरार मिले और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष बैजनाथ और थानाध्यक्ष कपकोट, इन दोनों के नेतृत्व में दो टीमें अलग–अलग भेजी गयी हैं और गिरफ्तारी अगर नहीं हो पाती है तो तत्काल इनकी सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। उसके ही साथ–साथ पीड़िता को, चूंकि यह प्राविधान है कि उनको तत्काल फौरी सहायता दी जाय, उनको उचित मुआवजा दिये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं और इसके लिए जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। सरकार बिल्कुल इस विषय पर गम्भीर है और त्वरित कार्यवाही हो रही है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शीघ्र ही इनके अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जायेगा और इस तरह की घटना न हो पाये, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से स्पष्ट बात नहीं आयी कि अभियुक्तों को 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर दिया जायेगा या नहीं ? दूसरी उस महिला को कितना पैसा देंगे ? कम से कम दो लाख रुपये की घोषणा यहाँ सदन में सरकार करे कि उसे दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। उसके लिए एक बंदूक के लाईसेंस की भी व्यवस्था की जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में बंदूक की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

श्री हरिदास–

मान्यवर, आवश्यकता नहीं होगी तो दिन दहाड़े ये काम होते रहेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अगर वह लाईसेंस की माँग करेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा। वैसे पर्वतीय क्षेत्र में बंदूक की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि मुआवजा तो कुछ दे या न दें, इज्जत लूटी है एक महिला की, दलितों की इज्जत लूटी है, उसके लिए हम मुआवजा नहीं चाहते, उसके लिए हम पैसा नहीं चाहते। जो लोग उसमें दोषी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री हरिदास, श्री यशपीर सिंह, श्री सुरेन्द्र राकेश और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करता हूँ कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तों को जल्द से जल्द पकड़ा जाय और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ठीक है, इसमें शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, एक अतिमहत्वपूर्ण विधेयक, जो सम्मानित सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस विधेयक को लाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है, अभी तक डी0टी0एच0 प्रसारण सेवा उत्तर प्रदेश, आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन करारोपण से आच्छादित नहीं थी। जिसके चलते हुए डायरेक्ट–टू–होम (डी0टी0एच0) प्रसारण सेवा को करारोपण की परिधि में लाने हेतु यह विधेयक लाया गया है और इसके माध्यम से जो मूल प्राविधान किये गये हैं वे विशेष रूप से मूल अधिनियम की धारा–2 के खण्ड छ: को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें कहा गया कि मनोरंजन में डायरेक्ट–टू–होम (डी0टी0एच0) प्रसारण सेवा तथा कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, आमोदन, क्रीड़ा, खेल–कूद या दौड़ है, जिसमें अदायगी करने पर व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है और चलचित्र प्रदर्शनी की दशा में इसमें न्यूज रील, वृत्तचित्र, कार्टून, विज्ञापन, शॉट या स्लाइड का प्रदर्शन भी है, चाहे यह किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन से पहले या उसके दौरान या पृथकतः किए जायें। इस प्रकार से यह छोटी सी धारा अन्तःस्थापित करने हेतु यह व्यवस्था की गई है और धारा–2 में भी संशोधन किया गया है। श्रीमन्, धारा–2 के च में उसके साथ एक नई धारा "च च" जोड़ी गई है, नया खण्ड जोड़ा गया है। जिसमें यह कहा गया है कि डायरेक्ट–टू–होम (डी0टी0एच0) प्रसारण सेवा से ऐसी मल्टी चैनल प्रोग्राम वितरण सेवा अभिप्रेत है, जो सीधे उपभोक्ता के परिसर में बिना किसी मध्यस्थ, जैसे केबिल आपरेटर के, एक उपग्रह की व्यवस्था से जुड़ी है। ताकि यह भी कर की परिधि में आ जाए और इसके माध्यम से होने वाले आर्थिक नुकसान से राज्य को बचाया

जा सके और आर्थिक रूप से राज्य को इसके माध्यम से लाभ हो सके। इस व्यवस्था के तहत मैं इस विधेयक को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि प्रतिपक्ष ने अपना कोई संशोधन नहीं दिया है। इसलिए उम्मीद है कि सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे। इसलिए सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधेयक संख्या– वर्ष 2009)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत के गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (च) के पश्चात् एक नया खण्ड (च च) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा ; अर्थात्–

"(च च) 'डायरेक्ट–टू–होम (डी0टी0एच0) प्रसारण सेवा' से ऐसी मल्टी चैनल प्रोग्राम वितरण सेवा अभिप्रेत है, जो सीधे उपभोक्ता के परिसर में बिना किसी मध्यस्थ, जैसे केबिल आपरेटर के, एक उपग्रह व्यवस्था से जुड़ी है ;"

धारा 2 के खण्ड (ख) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्–

"ख" 'मनोरंजन' में डायरेक्ट-टू-होम (डी०टी०एच०) प्रसारण सेवा तथा कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, आमोदन, क्रीडा, खेलकूद या दौड़ (घोड़ा दौड़ भी) है। जिसमें अदायगी करने पर व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है और चलचित्र प्रदर्शनी की दशा में, इसमें न्यूज-रील, वृत्तचित्र, कार्टून, विज्ञापन, शॉट या स्लाइड का प्रदर्शन भी है, चाहे उन्हें किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन से पहले या उसके दौरान या पृथकतः प्रदर्शित किया जाये ;"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, (संशोधन) विधेयक, 2009]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, (संशोधन) विधेयक, 2009] पर विचार किया जाए।

श्रीमन्, ये अति महत्वपूर्ण विधेयक जिसे सरकार लेकर आयी है यह भूतपूर्व सैनिकों को दिये जाने वाले आरक्षण के सम्बन्ध में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, 1993 की धारा 2 में उल्लिखित परिभाषाओं में भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

तथा विकलांग के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् व्यवस्था दी गई है। अधिनियम की उक्त व्यवस्थाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की परिभाषा में ही केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासी का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर केवल उसी राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित सेवायोजन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त अधिनियम को उत्तराखण्ड में अनुकूलन एवं उपान्तरण किये जाने के फलस्वरूप केवल उत्तराखण्ड का ही अधिवासी आवेदन कर सकता है, इसके आधार पर आरक्षण प्राप्त कर सकता है, परन्तु यह व्यवस्था भूतपूर्व सैनिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उस अधिनियम में उसका उल्लेख नहीं होने से नहीं हो पा रही है। इसके कारण इस विशेष वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

इसको ध्यान में रखते हुए, इस संशोधन में निम्न संशोधन प्रस्तावित किये गये। मूल रूप से यह व्यवस्था दी गयी कि भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य उत्तराखण्ड के ऐसे अधिवासी से है, जिसने भारतीय थल सेना, वायु सेना या नौ सेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो अर्थात उसके आश्रितों को इसकी सुविधा मिल पायेगी। शारीरिक रूप से विकलांग का तात्पर्य उत्तराखण्ड के ऐसे अधिवासी हैं जो निम्नलिखित से ग्रसित हों–

एक–दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, दो–श्रवण, ह्रास, तीन–चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात और इस प्रकार से यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए उक्त अधिनियम के धारा–3(क) (1) (एक) में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 01 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। जबकि उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश दिनाँक 18.07.2001 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया हैं। जिसे शासनादेश दिनाँक 22 मई, 2007 द्वारा बढ़ाकर 05 प्रतिशत किया गया है। चूँकि मूल अधिनियम में भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख है। अतः अधिनियम की उक्त धारा में उल्लिखित लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का 02 प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का 01 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिये, के स्थान पर लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का 02 प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का 05 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए, का उल्लेख किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में संशोधन करते हुए प्रस्तावित विधेयक, 2009 प्रख्यापित किया जाना प्रस्तावित है। चूँकि इसमें भी किसी माननीय सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं की है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि भूतपूर्व सैनिको से जुड़ा हुआ प्रश्न है सम्पूर्ण राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के अमिट योगदान को देखते हुए उनके आश्रितों को इस प्रकार की व्यवस्था दिया जाना अति आवश्यक था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–5, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधेयक संख्या– , वर्ष 2009)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. भूतपूर्व सैनिक के स्थान पर पूर्व सैनिक पढ़ा जाना

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में जहां–जहां शब्द "भूतपूर्व सैनिक" आया है उसे "पूर्व सैनिक" पढ़ा जाएगा।

3. धारा 2 की उप धारा (ग) का प्रतिस्थापन

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा ; अर्थात्–

"ग" 'पूर्व सैनिक' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना या वायुसेना में योधक या अयोधक के रूप में सेवा की हो और जो–

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है ; या

(दो) चिकित्सकीय आधार पर जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गयी है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्यूटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं :–

(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले"

4. धारा 2 के खण्ड (ड) का प्रतिस्थापन — मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा ; अर्थात्–

"(ड) "शारीरिक रूप से विकलांग" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित से ग्रसित हो–

(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि ;

(दो) श्रवण ह्रास ;

(तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।"

5. धारा 3 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा रख दी जायेगी ; अर्थात्–

(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण अनुमन्य होगा :–

(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का पाँच प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए,

(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए :–

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि ;

(ख) श्रवण ह्रास ;

(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।'

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह कि खण्ड–2 से खण्ड 5, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलाँग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलाँग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सम्मति से सर्वस्वीकृत हुआ।)

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह एक छोटा सा विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है। इसको लाने के पीछे जो मूल कारण रहा क्योंकि पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को राज्य की विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया है और चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद–245 के खण्ड (1) में यह उपबंधित है कि किसी राज्य का विधान मण्डल सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। इसके चलते हुए इस राज्य के अन्दर बनाई गई विधियाँ वह किसी दूसरे राज्य के अन्दर बनाई गई विधियों पर प्रभावी न हो या उस राज्य की विधि व्यवस्था पर प्रभाव न डालें, यह व्यवस्था श्रीमन्, संविधान के 245 (1) में की गयी थी। लेकिन जब यह विधेयक यहाँ पर इस विधान सभा में पारित हुआ। इसके माध्यम से इस पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य के बाहर भी अपने अध्ययन केन्द्र या अपने परिसर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया आसानी से की जा सकती थी। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रो0 यशपाल तथा अन्य प्रति छत्तीसगढ़ राज्य तथा एक अन्य मामले में यह व्यवस्था दी है कि राज्य के विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित विधि से स्थापित किसी विश्वविद्यालय के राज्य से बाहर अध्ययन केन्द्र या परिसर नहीं हो सकते। इसके चलते हुए श्रीमन्, यह आवश्यक हो गया था कि हम इस अधिनियम में संशोधन करें और इसी को ले करके यह आवश्यक हो गया था कि एक छोटा सा संशोधन किया जाए जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है। इसमें भी कोई संशोधन माननीय सदन के सदस्यों की ओर से नहीं है। इसलिए मेरी अपेक्षा है कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो विषय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है और माननीय मंत्री जी ने संविधान अनुच्छेद–245 खण्ड (1) में उपबन्धित किसी राज्य का विधान मण्डल सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा और उच्चतम न्यायालय के प्रो0 यशपाल तथा अन्य प्रति, जो छत्तीसगढ़ का प्रकरण है उसका उल्लेख किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के द्वारा जो यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ मामले का उल्लेख किया गया है, वह सिर्फ उस निर्णय के एक भाग का, जो उच्चतम न्यायालय में चर्चा के दौरान व्यक्त किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट इस निर्णय में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी के निर्णय में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन में उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश और गाइडलाइन्स हैं, उसके अनुरूप कोई भी विश्वविद्यालय डिस्टेन्स प्रोग्राम स्टडी सेन्टर खोल सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें किसी भी प्रदेश का विश्वविद्यालय, जो उस प्रदेश की विधान मण्डल द्वारा गठित या एक्ट के द्वारा गठित किया गया है, वह विश्वविद्यालय अगर प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश में डिस्टेंस प्रोग्राम, पत्राचार कार्यक्रम अध्ययन केन्द्र खोलता है तो उस प्रदेश की सरकार से एन0ओ0सी0 (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) लेना होता है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से एन0ओ0सी0 और जिस प्रदेश में विश्वविद्यालय स्थापित है, उस प्रदेश के चॉसलर से जो कि पदेन महामहिम राज्यपाल हैं, सरकार से एन0ओ0सी0 लेने की विधि है।

इसलिए सरकार का यह विधेयक निश्चित रूप से भारत के संविधान के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के और जो इनका पूर्व में ही गजट नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार का 2003 का है, जिसके तहत यह विश्वविद्यालय प्रदेश में खुला है, उसके विरुद्ध है, क्योंकि आज हाईटेक का जमाना है, इण्टरनेट का जमाना है और इसी नियम के तहत इग्नू विश्वविद्यालय, इन्दिरा गाँधी ओपन यूनिवर्सिटी है, यह सारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के दिशा निर्देशों के तहत संचालित होते हैं। तो मान्यवर, सरकार का यह कहना कि संविधान और संविधान के तहत या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत 2003 के विधेयक में जो संशोधन करने के लिए सरकार सदन के सम्मुख लाई है, प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से यह उच्च शिक्षा के खिलाफ है, उत्तराखण्ड की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है और मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूँ क्योंकि यह और भी तमाम विधेयक प्रस्तुत हो रहे हैं। पतजलि विश्वविद्यालय का है और भी विधेयक सरकार प्रस्तुत करेगी, जो पटल में पूर्व में ही कल आ चुके हैं, इन सब के मामले में मेरा आपसे निवेदन है कि विश्वविद्यालय अनुदान का क्या दिशा निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है और इन विश्वविद्यालयों, जिन विश्वविद्यालयों को इस अधिनियम के तहत, इस विधेयक के द्वारा आच्छादित किया जा रहा है, उन सब के पक्ष को सुनने के लिए, क्योंकि आज की तिथि में कोई इतना बड़ा युद्ध स्तर पर या कोई आपातकालीन स्थिति प्रदेश के सामने नहीं है, कि अगर इस समय यह संशोधन या विधेयक पारित नहीं होगा तो प्रदेश में कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी, क्योंकि जून में बजट सत्र होगा और ज्यादातर विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा केन्द्र संचालित होते हैं या प्रोग्राम या पत्राचार कार्यक्रम संचालित होते हैं वह जुलाई के बाद ही होंगे।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाये जो देश के संविधान की भावनाओं के खिलाफ हो, देश के उच्च शिक्षा की जो विधि है उसके खिलाफ हो। उच्चतम न्यायालय ने यशपाल के मामले में जो निर्णय है, कुमाँचल विश्वविद्यालय के मामले में जो निर्णय है, बजाय उसके एक पार्ट को कोट करके मान्यवर, यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम उच्च शिक्षा जैसे विषय को जल्दबाजी में पारित करना और केवल संख्या बल के बलबूते पर प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था को लागू करना, मैं सोचता हूँ यह प्रदेश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, उच्च शिक्षा के हित में नहीं है, संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के खिलाफ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है।

इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो भी प्रस्ताव अभी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 संशोधन इस पटल के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हैं और आज पारित किये जाने हैं, इन सबको आपके माध्यम से आग्रह है और विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्हें प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। प्रवर समिति सबका पक्ष सुन ले, सभी चीजों का अध्ययन कर ले और उसके बाद एक कोई अच्छी व्यवस्था, अगर प्रदेश के हित में ये संशोधन आवश्यक हों, तो मैं सोचता हूँ उस समय हम सर्वसम्मति से चूँकि ये सत्तापक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। अगर यह व्यवस्था

प्रदेश के हित में है। अगर प्रदेश की जनता के हित में है, प्रदेश की उच्च शिक्षा के हित में तो संशोधन करना आवश्यक होगा जो जब समिति की रिपोर्ट सदन के पटल के सामने आयेगी तो हम सर्वसम्मति से उस समय इस विधेयक को पास कर देंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, ये जितने भी एक्ट आये हैं, इनका विषय एक ही है चूँकि इसमें बिन्दु एक ही है और सरकार का एमेंडमेंट भी एक ही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ठीक है बात आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो विभिन्न विश्वविद्यालय यहाँ पर खोले गये, इसके पीछे जो उद्देश्य था यहाँ पर एक एजुकेशनल हब बनाकर हम उत्तराखण्ड को आगे बढ़ायेंगे और इसलिए यहां पर चाहे इक्फाई विश्वविद्यालय, चाहे हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय खुला हो, चाहे पेट्रोलियम विश्वविद्यालय खुला हो, चाहे पतंजलि विश्वविद्यालय खुला हो आदि जो भी विश्वविद्यालय खुले हैं। उनके बारे में सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में एक प्रोफेसर यशपाल तथा अन्य प्रति छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्यवस्था में दिया है कि इसको हमें चेन्ज करना आवश्यक है और इसे हमें चेंज करना चाहिए। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही विस्तार से इस मामले में अपना प्रकाश डाला है। मान्यवर, मैं आपसे इस बारे में कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के, यू०जी०सी० ने जो कहा है कि "हाउ एवर ऑफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द मेन कैम्पस" जब इसको हमने बनाया था, मेन कैम्पस बनाये थे, "इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टॉन्सेज द यूनिवर्सिटी मे बी परमिटेड टू ओपन ऑफ कैम्पस सेंटर्स ऑफ–शोर कैम्पसेस एण्ड स्टडी सेन्टर आफ्टर फाईव ईयर्स ऑफ इट्स कमिंग इनटू एग्जेस्टेन्स सब्जेक्ट टु द फॉलोइंग कंडीशंस।" मान्यवर, उन्होंने कंडीशन लगा दी थी। "द ऑफ कैम्पस सेंटर्स एज एन ऑन द स्टडी सेंटर्स एज शेल बी सेटअप विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द यू०जी०सी० एण्ड दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर द सेंटर्स इज। आर प्रोपोज्ड टू बी ओपन" तो ये स्टेट गवर्नमेंट और यू०जी०सी० की परमीशन के बाद चाहे जितने डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस थे, उनको खोलने की अनुमति की बात थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो यह छत्तीसगढ़ के मामले में फैसला हुआ था उसमें वाईलेसन हुआ था। मान्यवर, संविधान का जो आर्टिकल 245 (1) था उसका क्रॉस वाईलेसन हुआ था और उसके ऊपर ये एक जजमेंट आया था, लेकिन उसमें मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यशपाल वाले मामले में बहुत स्पष्ट कहा है, एनी स्टेट लिजिस्लेशन व्हिच स्टलिफाइज और सेट्स ऐट नॉट एन एनेक्टमेंट

वैलिडिटी मेड बाई दि पार्लियामेंट बुड बी होली अल्ट्रावायरेसेज"। मान्यवर, उसके बाद "इन एक्सरसाइज ऑफ पॉवर कन्फर्ड बाई सेक्शन 26 ऑफ यू0जी0सी0 एक्ट दि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन हैज मेड दि यू0जी0सी0 स्टैबलिशमेंट एंड द मेंटीनेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्राईवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन एक्ट 2003" यह सीधा-साधा यू0जी0सी0 ग्रांट कमीशन का जो मामला था, उसमें सीधा कहा गया कि "यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ए लॉ मेड बाई दि पार्लियामेंट विद रिफरेंस टु दि एंट्री 66 लिस्ट वन हैव, इम्पावर्ड द यू0जी0सी0 टु मेक रेगुलेशन्स एनी प्रोविजन ऑफ एन इनाक्टमेंट मेड बाई दि स्टेट लेजिस्लेचर कन्सर्निंग हायर एजुकेशन विच इज कॉन्फ्लिक्ट विद दि रेगुलेशन बुड बी अल्ट्रावायरस।" मान्यवर, यह जो प्रापोज्ड एमेंडमेंट है, यह अल्ट्रावायरस हो जाएगा। इसमें जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस मामले में गम्भीरता से विचार हो जाय, इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, इसमें विचार-विमर्श हो जाय। कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि राज्य की यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि इस राज्य के अन्दर एजुकेशनल हब बनाने का जो एक स्वप्न हमने देखा है, वह पूरा हो।

आप इसमें एक समिति बना दीजिए, समिति बैठ कर 15 दिन में, एक महीने में, दो महीने में निर्णय ले ले। उसके बाद सदन में सब चीजें आ जाएं। दोनों जजमेंट्स का जो जिक्र किया गया है, वह भी आ जाए। यू0जी0सी0 की क्या रिकमेंडेशन है, यू0जी0सी0 ने क्या किया है। इसमें महामहिम के द्वारा जिस तरह से परमीशन देकर किया जाता है, उन सब बातों का उल्लेख उस समिति की बैठक में हो। मैं समझता हूँ कि सरकार इसमें जल्दबाजी में निर्णय न ले और खाली 10 मिनट की बहस के बाद हम इसमें एमण्डमेंट्स करेंगे तो कल को इसके कोई और कन्सीक्वेंसेज भी हो सकते हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें अविलम्ब एक समिति बना दें, प्रवर समिति को इसको सौंप दें, जिससे यह मामला दूध का दूध और पानी का पानी होकर आ जाय और जिससे राज्य को कोई हानि न हो। मैं समझता हूँ, इसमें सरकार का भी फायदा है। हम कोई अहित की बात नहीं कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि राज्य का हित सर्वोपरि रहे। हम ठीक नहीं समझते कि इसे जल्दबाजी में लाया जाय। कॉन्स्टीट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है, यदि उसका इन्टरप्रिटेशन ठीक नहीं है, तो उसको बैठकर प्रवर समिति देख ले और उसका निर्णय हो जाय। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित विद्वान साथियों द्वारा सदन में महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग किया गया और माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा इस सदन के विद्वान साथी श्री दिनेश अग्रवाल जी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट की धाराओं को उद्धृत करते हुए विषय को रखा गया। मैं केवल सम्मानित सदन का ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद-245 की ओर ले जाना चाहूँगा। श्रीमन्, इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, "इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत का सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधान-मंडल सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा।"

श्रीमन्, आगे लिखा है: "संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा।" इसका सीधा अर्थ यह हो गया कि राज्य की विधान सभा अपने राज्य की सीमान्तर्गत कोई विधि बना सकेगी। श्रीमन्, वर्ष 2003 में पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 प्रख्यापित किया गया, इसी सम्मानित सदन के समक्ष। इस अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था दी गयी कि हाइड्रो कार्बन्स एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी द्वारा प्रायोजित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

श्रीमन्, उसमें यह व्यवस्था दी गई है कि अधिनियम की धारा-4 की उपधारा 3 के अनुसार "विश्वविद्यालय का मुख्यालय, उत्तरांचल में, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये वह अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा।" अर्थात् श्रीमन्, इस विधि के माध्यम से यह अधिकार दे दिया गया कि राज्य से बाहर जाकर भी वह कोई स्टडी सेन्टर, अध्ययन केन्द्र या अध्ययन से जुड़ी हुई कोई गतिविधि सम्पादित कर सकेगा। अब हुआ यह, जैसा कि माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने उद्धृत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को, जो 11 फरवरी, 2005 को आया, इससे दो साल बाद 17 मई, 2007 को यह निर्णय आया, यह कुमांयल इंस्टीट्यूट ऑफ डिग्री एण्ड डिप्लोमा एण्ड अदर्स, वर्सेस चांसलर, एम0जे0आर0 रुहेलखण्ड यूनिवर्सिटी एण्ड अदर्स का केस था। श्रीमन्, इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था कर दी गई और यह निर्देश दे दिया गया, जो इस बात को बिल्कुल पानी की तरह से साफ कर देता है, क्रिस्टल क्लियर कर देगा। इसमें स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया कि "हैन्स स्टडी सेन्टर्स सिचुऐटेड बियोन्ड द टेरीटोरियल एरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी, कैन नॉट बी परमिटेड, टू बी आपरेटेड। नैनीताल नॉट बीईंग वन ऑफ द सेवन डिस्ट्रिक्टस फालिंग विद इन द टेरीटोरियल एरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी, एज मेन्शन्ड इन द शेड्यूल टू द एक्ट एण्ड बीईंग आलसो सिचुएटेड आउटसाइड स्टेट ऑफ यू0पी0"। श्रीमन्, इस एक्ट के माध्यम से यह व्यवस्था दे दी गई कि आप अपनी टेरीटोरियल, जो आपको सीमा दे दी गई है, उस सीमा से बाहर जाकर आप कोई स्टडी सेन्टर नहीं खोल सकते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इस निर्देश के चलते हुये जो वर्ष 2003 में विधियाँ बनाई गई थी, जिसके माध्यम से हमने इन सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यह अधिकार दे दिये थे कि वह राज्य से बाहर जाकर अपने स्टडी सेंटर खोलें, वह अधिकार इनका छीना जा सकता है। इसके तहत यह हमारी मजबूरी थी कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। ताकि हमारी बनाई हुई विधियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत न हों। इसी को लेकर यह छोटे से संशोधन आपके मध्य आये हैं और जहाँ तक यू0जी0सी0 की बात आपने कही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यह प्राविधानित करता है कि हम किस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार करें। इसके लिये वह विधियाँ बनाता है, इसके लिये वही सारी व्यवस्थायें करता है। जिस तरह से आपने

इग्नू के और अन्य स्टडी सेन्टर्स की बात कही तो वह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत गवर्न होते हैं और वे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चलाये जा सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट में कोई एक्ट बना रहे हैं तो स्टेट से बाहर किसी दूसरे राज्य में जाकर उस विधि के आधार पर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। यह असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिये हुये आदेशों के विरुद्ध है। इसको देखते हुये ही इस विधेयक में संशोधन लाये हैं। आपसे अनुरोध है कि इसे सर्वसम्मति से पारित कराने की कृपा करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संविधान की धारा 246 का उल्लेख किया है। मान्यवर, निश्चित रूप से किसी प्रदेश में, प्रदेश सरकार को और प्रदेश के विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के तहत 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, केन्द्रीय सूची और समवर्ती सूची। कुछ विषय राज्य सूची के होते हैं, कुछ विषय केन्द्र सूची के होते हैं, शिक्षा, विशेषकर जो उच्च शिक्षा का विषय है, वह समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा के मामले में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को भी है और संसद को भी है। इसीलिये विश्वविद्यालयों में, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने सुझाव देता है या निर्णय करता है। वेतन भत्ते हों, शिक्षकों की योग्यतायें हों और विश्वविद्यालय में समय–समय पर, विश्वविद्यालय के अधिनियम में परिवर्तन करने के दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिये जाते हैं और तदनुसार प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों को अपने अधिनियम में परिवर्तन करने का निर्देश देती है और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के उस अधिनियम में परिवर्तन करती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी पुनः किया। मैं सिर्फ आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ, मैंने पूर्व में भी, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय है, दोनों का उल्लेख, अभी कुमाँयू विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ के मामले में यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ के मामले में आपने उल्लेख किया, क्योंकि इस सदन के सम्मुख जो सरकार ने उल्लेख किया, जो पैरा, उसी का उल्लेख हुआ है। मैंने इसलिए आपसे प्रवर समिति का निवेदन किया है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर भावना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अनिवार्य होगा तो निश्चित रूप से प्रवर समिति इसका अध्ययन करेगी।

प्रवर समिति के सामने ये विषय भी, संविधान की जो मूल भावना है, वो विषय भी आयेगा और एक गहरा अध्ययन करने के बाद माननीय अध्यक्ष जी, अपने पूर्व सम्बोधन में मैंने स्वयं ही कहा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही होगा, यह प्रदेश की उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक होगा, तो निश्चित रूप से प्रवर समिति, आपके दिशा–निर्देश पर समिति गठित होगी, वो उसका अध्ययन करेगी। वो सभी पक्षों को सुनेगी, सरकार के पक्ष को भी सुनेगी, इन विश्वविद्यालयों के पक्ष को भी सुनेगी, संविधान का भी अध्ययन करेगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाईड लाईन का भी अध्ययन करेगी और तदनुसार वो अपनी संस्तुति इस सदन के सम्मुख रखेगी और उसके बाद जो

निर्णय होगा, मैं सोचता हूँ, इस तरह जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना और संख्या बल के बलबूते पर कोई विधेयक पारित करना, मैं सोचता हूँ, ये सरकार के लिए और इस सदन के लिए एक स्वस्थ परम्परा नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि मैंने पूर्व में भी कहा कि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति नहीं आयी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरह का दिशा-निर्देश नहीं दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वह दिशा-निर्देश अकेले उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों के लिए तो है नहीं। ये कर्नाटक के मामले में भी होगा, देश के जो सभी राज्य हैं, मेरी जानकारी में जो है, अभी तक अधिकाँश राज्यों ने इस तरह का विधेयक, इस तरह का नियम नहीं बनाया है। इसलिए दूसरे प्रदेशों का जो यूनिवर्सिटी का एक्ट है, उसका भी अध्ययन कर लिया जाय और मैं सोचता हूँ कि प्रवर समिति इसके लिए उचित माध्यम है कि सब पक्षों को सुनने के बाद और मैंने स्वयं कहा क्योंकि यह प्रदेश के हित में होगा, उच्च शिक्षा के हित में होगा, हम स्वयं सरकार के इस कदम का समर्थन करेंगे। इसलिए मैं आग्रह आपसे करना चाहता हूँ, पुनः मैं विनम्र शब्दों में आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर विचार करें और प्रवर समिति बनाने का प्रस्ताव अगर आपके द्वारा आ जाए तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रदेश के हित में होगा।

श्री अध्यक्ष-

क्योंकि इसमें चर्चा के लिए 15 मिनट निर्धारित किये गये थे और अभी 25 मिनट हो चुके हैं और कुछ अन्य माननीय सदस्य भी अपने विचार रखना चाहते हैं। विषय की गम्भीरता और महत्व को देखते हुए मैं इसकी अवधि अपराह्न 04.00 बजे तक के लिए बढ़ाता हूँ।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस विधेयक पर अभी माननीय सदन के अंदर चर्चा हो रही है, इसके बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय दिनेश अग्रवाल जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से कहा। श्रीमन्, उसके बहुत दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। मान्यवर, इस बात का ज्यादा महत्व नहीं है कि ये विधि या प्रस्ताव सरकारी पक्ष से आये या गैर सरकारी पक्ष से, इसका सीधा प्रथम प्रभाव तो यह होगा कि यह जो पैट्रोलियम एवं एनर्जी स्टडी विश्वविद्यालय का विधेयक हो या दूसरे जो विधेयक साथ में टेबिल किये गये हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी भी है, पेट्रोलियम एवं एनर्जी स्टडी विश्वविद्यालय का मुख्यालय, उत्तराखण्ड विधान सभा के प्रस्ताव के अनुरूप उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निर्मित विधि के अनुसार देहरादून में स्थापित किया गया। मुझे व्यक्तिगत जानकारी भी है और सदन के अधिकाँश सदस्यों को भी जानकारी है कि इस विश्वविद्यालय के देहरादून के साथ ही साथ गुड़गाँव में और आन्ध्र प्रदेश के राजा मुन्द्री में भी कैम्पसेस हैं, जहाँ पर इस विश्वविद्यालय के तमाम सारे कोर्सेज की, उनके अपने कार्यक्रम कोर्सेज चल रहे हैं। अब एक स्थिति उत्पन्न हो गई, निश्चित रूप से यदि इस विधेयक को इसी रूप में अंगीकृत किया जाता है तो अचानक जो तमाम सारे कैम्पस इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालय के, इस जैसे दूसरे विश्वविद्यालयों के देश के दूसरे कोने में स्टडी सेन्टर चल रहे हैं उसको डिसकन्टीन्यू करना है। स्थिति यह बनेगी कि उन केन्द्रों पर अध्ययनरत् छात्र–छात्रायें, जिनमें से बहुत सारे हमारे प्रदेश के भी हैं, अचानक एक स्थिति पैदा होगी कि उनका स्टेटस क्या होगा, उनकी स्थिति क्या बनेगी, उनकी लोकस्टेन्डाई क्या होगी, वह कहां के छात्र कहलायेंगे, उनकी स्टडीज कैसे कन्टीन्यू कर पायेंगी ? तो बड़े फॉर रिचिंग रिपरकेशन इसके हो सकते हैं।

इसलिए निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश बाध्यकारी होता है, हम सभी जानते हैं, उसका प्रभाव कानून में एक देश के कानून के समान है, लेकिन यह देखना भी आवश्यक होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस आलोक में, किस कन्टेस में आदेश जारी किया। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने संदर्भ क्या था, जिसके एवज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा या उसके बावजूद भी तमाम सारे निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे आते हैं, जिसके क्रियान्वयन में अलग–अलग राज्य सरकारों को और अलग–अलग संस्थाओं को कई बार कठिनाई आती है। कई बार यह स्थिति भी आती है कि संबंधित राज्य संबंधित पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने मूव करती है। खुद अपना एफीडेविट दाखिल करके कहती है कि अमुक–अमुक व्यवहारिक कठिनाई यह है कि जिसकी वजह से हम इसमें किसी इग्जामिन्स की मांग करते हैं। तो श्रीमन् चूंकि यह एक नितान्त विधिक प्रश्न है जैसे हमारे विद्वान संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा, निश्चित रूप से भारत के संविधानके अनुच्छेद 245 में किसी भी राज्य विधान सभा को अपने जो टैरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन के अन्दर ही विधि निर्माण का एक अधिकार है, लेकिन जो इस राज्य विधान मण्डल दल द्वारा इस विश्वविद्यालय के निर्माण की, विधि निर्माण की जो कार्यवाही की गई उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इस विश्वविद्यालय को राज्य से बाहर भी अपने स्टडी सेन्टर खोलने की अनुमति होगी और तद्नुसार खोले गये, वन स्ट्रोक ऑफ पैन, हम उसको विड्रा नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से श्रीमन्, कहीं न कहीं इस पर विचार होना चाहिए। बेशक मैं ट्रेजरी बेंचेज पर बैठा हूं, सत्ता पक्ष की तरफ बैठा हूं लेकिन आवश्यक नहीं है इस बात के लिए, यदि हमारे प्रदेश के व्यापक हित में है तो उसमें बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय किया जाय। निश्चित रूप से इसमें स्थिति दिखती है, इस पूरे विश्वविद्यालय के विधेयक पर एक बार फिर गम्भीरता से विचार हो और निश्चित रूप से जिस भी रूप में सरकार उचित समझे, जिस भी रूप में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उचित समझें, लेकिन इसके बारे में कहीं न कहीं गम्भीरता से विचार होना चाहिए।

यदि इस विधेयक के पारित हो जाने पर जो ये तमाम सारे विश्वविद्यालयों के स्टडी सेन्टर हैं, उनके जो कैम्पसेस स्टेट के बाहर चल रहे हैं, उसके ऊपर क्या प्रभाव

उसका जायेगा। ऐसा तो नहीं कि अल्टीमेटली हमारे इस प्रदेश के छात्र जिस प्रकार हम नाम से भी कहते हैं, विश्वविद्यालय का एक यूनीवर्सल करेक्टर है तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होना चाहिए, हम यह भी तो कहते हैं कि हावर्ड विश्वविद्यालय का कोई स्टडी सेन्टर यहाँ पर चल रहा है, कई बार हम यह कहते हैं कि कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय का स्टडी सेन्टर यहाँ पर चल रहा है, मुझे ज्ञात है कि कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय के, मान्यवर, लैंग्वेज वगैरह के कोर्सेज दिल्ली में चलते हैं। लंदन जाकर के कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय के कोर्सेज नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में बैठकर के कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय के कार्सेज हो रहे हैं। हावर्ड विश्वविद्यालय के कोर्सेज हो रहे हैं। तो तमाम तरह के कोर्सेज दिल्ली में हो रहे हैं। तो मान्यवर, इसके बारे में भी गम्भीरता से विचार किया जाना है। इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष का विषय न बनाकर के निश्चित रूप से इसमें समग्र रूप से विचार होना चाहिए। इतना मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ।

काजी मो० निजामुद्दीन–

मान्यवर, लगभग सभी बातें आ चुकी हैं। जैसा माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान, जो सबसे विद्वान सदस्यों में से एक हैं इस सदन के और ट्रेजरी बैंचेज से भी हैं, उन्होंने प्रवर समिति को सौंपने के लिए कहा। पहले भी उच्च शिक्षा के विधेयक इस सदन में आए और अभी तक और आज तक यूनिवर्सिटी एक्ट लम्बित् है। इसका कोई जिक्र सरकार नहीं कर रही है। पटल पर लाने के बाद आज तक वह पारित नहीं करा पाई। प्रवर समिति ने बहुत जल्दीबाजी में पास करा लिया। प्रवर समिति में यह कहा गया कि आज ही रखना है, कल को ही रखना है। इतनी क्या जल्दबाजी थी मैं नहीं समझ सकता। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए यह सारे मामले यकीनन मैं समझता हूँ, खिलवाड़ होगा आने वाले छात्रों के भविष्य से। तो बहुत सोच–समझकर बहुत बारीकी से देखकर इन सारे मामलों को पारित करें। अच्छा होगा अगर हम इन सारे मामलों को प्रवर समिति को दे दें। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जो भी इसका प्रस्ताव बने तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव इस सदन में होना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 2–3 आपत्तियाँ स्पष्टीकरण के रूप में की गई हैं। पहले तो माननीय नेता प्रतिपक्ष के रूप में की गई कि समवर्ती सूची में है और इस समवर्ती सूची के चलते हुए क्या राज्य के अंदर विधि द्वारा स्थापित कोई शिक्षण संस्थान भारतवर्ष के अंदर जाकर के कहीं और संचालित कर सकता है, या नहीं कर सकता है, अपने स्टडी सेन्टर या अपने परिसर। श्रीमन्, भारत के संविधान की सूची–3 में समवर्ती सूची है और जिसके भाग–25 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि सूची–1 की प्रविष्टि 63,64,65,66 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा और आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं, उसमें श्रमिकों का व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण अर्थात्

यह समवर्ती सूची का विषय हुआ। लेकिन इसके साथ–साथ संविधान का अनुच्छेद–245 इस बात की अनुमति नहीं देता कि इस देश के अंदर अन्य राज्यों के किसी भी सीमा के अन्तर्गत उस राज्य की किसी विधि पर हम हस्तक्षेप करें और इसी विषय का संज्ञान लेते हुए जो दो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं, वह इसी बात का संज्ञान लेते हुए इसी के आलोक में है।

हमारे विद्वान साथी श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने यह शंका जाहिर की कि इन विश्वविद्यालयों के जो अन्य अध्ययन केन्द्र हैं, उनमें अध्ययनरत् छात्रों के भविष्य का क्या होगा ? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह अधिनियम जिस तिथि से प्रवृत्त होगा उसके पश्चात् आने वाले कालखण्ड का प्रभाव इन विश्वविद्यालयों पर पड़ेगा। पिछले जो अध्ययनरत् छात्र हैं, उनके भविष्य को हम किसी भी तरह से संशय की दृष्टि से न देखें, उनके भविष्य में इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है और जो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद–245 के तहत यह आवश्यक है कि हम इस विधेयक के माध्यम से इस अधिनियम में संशोधन करें। इसके लिए सम्मानित सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यदि कहीं दो साल, तीन साल के स्टडी कोर्सेज़ हैं तो जिस दिन यह आ जायेगा, ऑटोमैटीकली प्रभाव पड़ जायेगा। माननीय पन्त जी फिर मेरा आग्रह है इसे सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। इससे बहुत बड़ा क्वैश्चन खड़ा हो जायेगा। इसकी टाइम लिमिट कर दें। 15 दिन, एक महीने में प्रवर समिति इसमें अपना प्रतिवेदन दे दे। जून में आ जाये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, राज्य के सामने वैधानिक कठिनाई तब होती, यदि राज्य के एक्ट को किसी ने सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में चुनौती दी होती। तब कहते कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे अधिनियम के अमुक सैक्शन को नल एण्ड वाइड घोषित कर दिया है। किसी ने भी राज्य द्वारा निर्मित इस अधिनियम को चुनौती नहीं दी है और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किसी दूसरे राज्य के लिए यानी किसी दूसरे विश्वविद्यालय के, किसी अलग संदर्भ में दिया। मान्यवर, हमारे राज्य और विधान मण्डल द्वारा निर्मित विधि को किसी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी। जब उसको चुनौती नहीं दी गयी। मान्यवर, पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय एक्ट को स्पेसिफिक कोई चुनौती नहीं दी है। मान्यवर, हम स्वयं कह रहे हैं कि हम इससे बाधित हो गये। उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित किसी विश्वविद्यालय के किसी अधिनियम को, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देकर, माननीय न्यायालय ने इस तरह की कोई दिशा–निर्देश जारी नहीं किये हैं। श्रीमन्, इसके दो बड़े गम्भीर प्रभाव होंगे। हमारे चार–पाँच साल के कोर्स होने से, हम एक बार में कैसे कह सकते हैं कि हमने इन सेन्टरों को बन्द कर दिया है और साथ ही साथ जो उसमें अध्ययनरत् छात्र–छात्रायें एडिमिशन जिनका कहीं न कहीं अन्तर्राष्ट्रीय चयन में है।

इसको क्या कहेंगे कि जिस संस्था में तुम पढ़ रहे हो, उस संस्था को हमने बन्द कर दिया है। इस प्रकार का निर्णय विधान सभा में लें। इस विषय में बहुत गम्भीरता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय उत्तराखण्ड राज्य के लिए नहीं दिया। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वोच्च न्यायालय ने, एक उदाहरण स्वरूप उसने एक निर्णय दिया है। मान्यवर, विधान सभा सत्र आज ही समाप्त तो नहीं हो रहा है। जब अगला सत्र आयेगा या सर्वोच्च न्यायालय का कोई ऐसा निर्णय आयेगा कि हमें उसका पालन करना अति आवश्यक हो, तो उस विषय के बारे में सोच सकते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अभी यहाँ पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं और लगभग ये सभी एक्ट एक तरह के हैं। इसी तरह से हम दूसरे विश्वविद्यालय का संशोधन ला रहे हैं, जैसे इक्फाई विश्वविद्यालय का। उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में उत्तराखण्ड को भी पार्टी बनाया गया है, वह भी लम्बित् है यानी अभी जजमैंट नहीं आया है और इसी विषय को लेकर।

(घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, प्रदेश में इसके बारे में एक व्यापक रूप से राय ली जाय, यदि इनके बारे में आवश्यक हो तो कार्यवाही भी की जा सकती है। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, सुबह ही यह मामला आया है कि माननीय न्यायालय में जो मामले लम्बित् हैं, वह विषय सदन में नहीं आयेंगे, जैसा परेड ग्राउण्ड विषय के मामले में आया है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह विषय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के रूप में आया है। (व्यवधान) राज्य के इक्फाई विश्वविद्यालय एक्ट को पार्टी नहीं बनाया है। मान्यवर, यहाँ पर मद्रास में इक्फाई विश्वविद्यालय के माध्यम से जो स्टडी सेन्टर खुले हैं और जो डिग्रियाँ दे रहे हैं (व्यवधान), उसको पार्टी बनाया गया है विधेयक से संबंधित कोई वाद उत्तराखण्ड का नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इक्फाई विश्वविद्यालय के सेन्टर पूरे देश में, हमारे राज्य में भी हैं, उसका नाम भी आयेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्ष, 2003 में जब ये विधेयक आ रहे थे, उस समय इस विषय का संज्ञान सदन में लाया गया था कि कहीं ये तो नहीं कि हम अनुच्छेद 245 का वाइलेशन कर रहे हैं। लेकिन उस समय ये विधेयक पारित हो गये। लेकिन उसके तत्काल बाद 2005 में और 2007 में इससे मिलती जुलती ही प्रक्रिया के तहत यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरे प्रदेशों की विधान मण्डल द्वारा क्या इस तरह का कोई कानून बनाया गया है ? कितने प्रदेशों में बनाया है, कोई जानकारी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

हाँ, बनाया है, लेकिन जानकारी अभी नहीं होगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

इसीलिए तो हम इसको प्रवर समिति को सौंपने के लिए कह रहे हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को विभिन्न प्रदेशों की विधान सभा ने अपने यहाँ इम्पलीमेन्ट किया हो और हम ही पीछे रह गये हों तो ठीक है। हम तो रिजेक्ट कर नहीं रहे हैं। हम तो प्रवर समिति की बात कह रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय और सम्भवतः भोपाल विश्वविद्यालय का है, तो श्रीमन्, मुझे मोटा–मोटा स्मरण है कि इन विश्वविद्यालयों द्वारा बिना स्टेट लेजिस्लेटिव की स्वीकृति के, बिना उन विश्वविद्यालयों के एक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग प्राविजन के, उन्होंने अपनी मर्जी से अपने स्टडी सेन्टर बनाए। उन स्टडी सेन्टर से तमाम तरह से अवैध तरीके से डिग्रियाँ बाँटी जाने लगीं, तो प्रश्न यह उठा कि क्या कोई विश्वविद्यालय इस प्रकार से स्टडी सेन्टर खोल सकता है ? उसमें मोटे–मोटे तौर पर यह है कि जब तक उस विश्वविद्यालय अधिनियम में दूसरी जगहों पर कैम्पस या स्टडी सेन्टर इस तरह का प्राविधान नहीं होगा तब तक वे नहीं खोल सकते। लेकिन हमारे पेट्रोलियम विश्वविद्यालय अधिनियम में और दूसरे विश्वविद्यालय में अन्तर यह है कि हमारे विधान मण्डल द्वारा जो विधि पारित की उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि इनको प्रदेश से बाहर भी स्टडी सेन्टर और कैम्पस खोलने की इजाजत होगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में जैसे मैंने कहा उस नियम में यह था कि संबंधित विश्वविद्यालय जैसे उत्तराखण्ड मुख्यालय, उत्तराखण्ड सरकार का एन0ओ0सी0, जोकि इन विश्वविद्यालय के एक्ट में है और जिस प्रदेश में वे अपना स्टडी सेन्टर खोल रहे हों, उस प्रदेश की एन0ओ0सी0, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की एन0ओ0सी0 लेने के बाद स्टडी

सेन्टर खोल सकते हैं। तो हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने इन सारे नियमों का पालन किया है। उत्तराखण्ड सरकार से एन०ओ०सी० लिया और जिस प्रदेश में खोलना है। उससे एन०ओ०सी० लिया। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की एन०ओ०सी० उनके पास है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमारे प्रदेश के इन विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होता।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, 500 छात्र केवल देहरादून के हैं। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के तीनों कैम्पस में जहाँ पर डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट बता रहा हूँ कि इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डेल्ट विथ द सिचुएशन इन विच द यूनिवर्सिटी हैड इट्स ज्यूरिस्डिक्शन ऑनली इन सेवन स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश–बदायूँ, बरेली, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर एण्ड सहारनपुर ऐज पर द एक्ट स्टेब्लिशिंग द यूनिवर्सिटी। द ऑनरेबल कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टडी सेन्टर इन नैनीताल, उत्तराखण्ड, विच इज आउटसाइड द एरिया ऑफ इट्स ज्यूरिस्डिक्शन। द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट इज क्लियर एण्ड डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द डिसटेन्ट एजूकेशन प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी पर फरदर द ऑनरेबल कोर्ट हैज मेड द फालोइंग पॉजेटिव ऑब्जरवेशन इन दिस रिगार्ड। इट इज वन थिंग टू से दैट द यूनिवर्सिटी टैक्स रिकोर्स टू द कारस्पॉन्डेन्स कोर्सेज फार कॉनफरिंग डिग्री ऑर डिप्लोमॉज बट इट वुड बी अनदर थिंग टू से दैट स्टडी सेन्टर्स कुड बी परमिटेड टू ऑपरेट विथ रिक्वायर्ड क्लोज सुपरविजन ऑफ द यूनिवर्सिटी। द परपज अमेन्डमेन्ट्स आर एम्ड ऐट डिस्क्रिमिनेटिंग द प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट।

सिमिलर अमेन्डमेन्ट्स आर नॉट बीइंग मेड इन द इस्टैब्लिशमेन्ट ऑफ द अदर ओन्ड यूनिवर्सिटीज। द इक्फाई यूनिवर्सिटी वॉज स्टेबलिश्ड टू द प्राविजन ऑफ द इक्फाई यूनिवर्सिटी एक्ट, 2003 ऑफ द गवर्नमेन्ट ऑफ उत्तराखण्ड। द एक्ट इनवायेस्ड द सबमिशन ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच द यूनिवर्सिटी वाज नोटीफाइड। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्लियरली इन्डीकेटेड दैट द यूनिवर्सिटी विल कन्डेक्ट बोथ द कैम्पस बेस्ड प्रोग्राम एण्ड द डिस्टेन्ट एजूकेशन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द अबव प्राविजन ऑफ द एक्ट द स्पॉनसर सोसाइटी हैज कमीटेड टू मेक सिग्नीफिकेन्ट इनवेस्टमेन्ट फॉर द यूनिवर्सिटी। इफ द अबव अमेन्डमेन्ट्स इज कैरिड आउट इट विल क्रीपिल द इनवेस्टमेन्ट प्लान फॉर द ग्रोथ ऑफ द यूनिवर्सिटी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो प्राविधान हम लेकर के आ रहे हैं, इसके आधार पर नये स्टडी सेन्टर खुलने प्राविधानित नहीं होंगे, लेकिन जो पुराने जहाँ पर चल रहे हैं, जो कोर्स ले रहे हैं, उसमें कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, यह बात मैं स्पष्ट रूप से

आश्वस्त कर रहा हूँ, लेकिन नये स्टडी सेन्टर हमारी राज्य की सीमा के अन्तर्गत स्थापित हैं वह आगे इस तरह से राज्य की सीमा से बाहर कोई कार्य नहीं कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधेयक संख्या वर्ष 2009)

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए :–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2\. पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष, 2003) में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहाँ "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (च), (झ), (म), (ल), तथा (त्र) का प्रतिस्थापन

3\. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (झ), (म), (ल) तथा (त्र) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे ; अर्थात्:–

"(च) 'संघटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है ;"

"(झ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर

ऑनलाइन, अन्य पारस्परिक विधियां, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई-लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो ;"

"(म) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो ;"

"(ल) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो ;"

"(त्र) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन अधिनियम विश्वविद्यालय से है, जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों और दिशा निर्देशों का पालन करेगा ;"

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी ; अर्थात्

धारा 4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

"(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये वह राज्य के भीतर अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा ;"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने कहा कि इक्फाई में मद्रास में हुआ है तो क्या आप व्यक्तिगत तौर से मद्रास वाले को मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात तो आ जाने दें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बात रखी है तो जानना चाहता हूं कि इसको अलग हटावेंगे ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अभी पहले वाले विधेयक पर आश्वासन दिया कि जो बालरेडी चल रहे हैं, उसके सेन्टर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सेन्टर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे प्रभावित नहीं होंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, तो आप उस तरह का विधेयक में संशोधन तो लावें।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, वे सारे–सारे के इल्लीगल हो जायेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ कुछ नहीं होगा, नये केन्द्र नहीं खोले जायेंगे और न ही यहाँ राज्य से बाहर कोई केन्द्र खोले जायेंगे। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, पहला प्रभाव तो यह पड़ेगा कि विश्वविद्यालय का फलाना सेन्टर अवैध तरीके से चल रहा है। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जब बच्चे महसूस करेंगे कि वे अवैध सेन्टर में पढ़ रहे हैं, तो वे सड़कों पर धरना देने के लिए उतरेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह विधेयक उस दिन से लागू होगा जिस दिन से प्रवर्त होगा।

(व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, लागू तो छात्रों–छात्रों होगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको डिग्री उत्तराखण्ड की दी जा रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पर वह तो बन्द हो जायेंगे, यह तो अन्याय हो रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वे उत्तराखण्ड में पढ़े।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, जिन सेन्टर के बारे में मैसेज जायेगा कि यह सेन्टर बन्द हो रहे हैं, तो द से मैसेज गो कि यह सेन्टर अब इल्लीगल हो गया तो कौन इण्डस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर कैम्पस इम्प्लीमेण्ट में जायेगा, वहाँ की सरकार कहेगी यह तो अवैध तरीके से चल रहे हैं, वहाँ की पुलिस चाहे तो ताला जड़ सकती है, तो यह तो अवैध हो जायेगा, इसलिए सरकार इस विधेयक में सांकेतिक संशोधन लावें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो विधेयक, 2003 में भी पास हुआ था, वह इस सोसाइटी के माध्यम से जो विद्यालय संचालित होंगे उसके लिए सोसाइटी के माध्यम से, शिक्षण संस्था के माध्यम से पारित हुआ था और मान्यवर, इसका प्रभाव राज्य से बाहर

भी रहेगा, ऐसी व्यवस्था उसमें भी, राज्य से बाहर इसका प्रभाव नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जब राज्य से बाहर प्रभाव नहीं रहेगा, तब फिर इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसीलिए तो इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि उस एक्ट में तो प्रोविजन था कि कोई कहीं भी जाकर केन्द्र खोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, वाईलेशन ऑफ दि सुप्रीम कोर्ट, राज्य की सरकार कर रही है। उसमें यू0जी0सी0 कमीशन की जो बात है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो यू0जी0सी0 है वह देश की शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार के लिए बनाया गया है।

(व्यवधान)

श्री नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी केवल एक पैरा का उल्लेख कर रहे हैं। आप पूरा डिसीजन बतायें। आप दूसरा पैरा भी तो पढ़ें। मान्यवर, स्वयं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मद्रास हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय पर जो उसकी डिग्री दी गयी थी, उस डिग्री को चैलेंज किया गया है, यूनिवर्सिटी इस मामले में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप ने ही तो कहा है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। (व्यवधान)

(शोर व्यवधान जो सका)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, न्यायालय में जो विचाराधीन है, उसके द्वारा दी गयी डिग्री के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा प्रमाण–पत्र दिया गया है, वह प्रमाण–पत्र न्यायालय में चैलेंज किया

गया है। उच्च न्यायालय में उसके प्रमाण–पत्र को चैलेंज किया गया है कि उत्तराखण्ड में उसका केन्द्र स्थापित है और आंध्र प्रदेश में जाकर उसको चैलेंज किया गया है।

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह तो डिस्टेंस प्रोग्राम के तहत चैलेंज किया गया है। चैलेंज किया गया है तो वह विचाराधीन हो गया है। मान्यवर, 2003 का एक्ट है प्रदेश के बाहर भी खोल सकते हैं, इसके तहत यदि किसी ने उसे चैलेंज किया है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चैलेंज एक्ट को नहीं किया है, बल्कि सोसाइटी को किया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सोसाइटी के तहत किसको चैलेंज किया है ?

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वह सोसाइटी अनेकों जगहों पर कार्यक्रम चला रही है, उन कार्यक्रमों को उसने चैलेंज किया है।

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वह सोसाइटी किस नियम के अन्तर्गत चला रही है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, उस केस में विधान सभा का मेन्डेट उसके पास नहीं था, लेकिन इस वाले केस में विधान सभा का मेन्डेट है। विधान सभा ने विधि बनायी है। उस सोसाइटी के पास किसी विधान सभा का मेन्डेट नहीं था, लेकिन इस सोसाइटी के पास तो विधान सभा का मेन्डेट है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

यह तो जबर्दस्ती हो रही है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के माननीय काजी निजामुद्दीन वेल में आ गये और जोर-जोर से अपनी बात एक साथ कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह कोई अच्छा तरीका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। मान्यवर, यह तो पूरे उत्तराखण्ड से सम्बन्धित मामला है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 4.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 04:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 05:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 5 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 प्रवर समिति को सन्दर्भित

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

माननीय अध्यक्ष जी, इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार के समय जो माननीय सदस्यों के विचार आये थे, उसके आधार पर श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, इसे सदन की नौ सदस्यीय प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसका कार्यकाल एक माह होगा और इसके सदस्यों की घोषणा बाद में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 प्रवर समिति को सन्दर्भित

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। श्रीमन्, जैसा कि मत सदन का बना है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009, इसे सदन की नौ सदस्यीय प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसका कार्यकाल एक माह होगा और इसके सदस्यों की घोषणा बाद में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 प्रवर समिति को सन्दर्भित

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, इसे सदन की नौ सदस्यीय प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसका कार्यकाल एक माह होगा और इसके सदस्यों की घोषणा बाद में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 प्रवर समिति को सन्दर्भित

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009, इसे सदन की नौ सदस्यीय प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसका कार्यकाल एक माह होगा और इसके सदस्यों की घोषणा बाद में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद्, विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह राज्य आन्दोलनकारियों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनकी शहादतों को नमन करने के लिए, इस राज्य का गठन हुआ है। 8 वर्ष इस राज्य को पूर्ण हुए हैं, हम शहादतों के लिए कृतज्ञ हैं और नमन करते हैं और मान्यवर, इसमें सरकार के द्वारा जहाँ एक ओर इस राज्य को प्राप्त करने में चल रहे आन्दोलन के दौरान सी0बी0आई0 के जिन पर मुकदमे चल रहे थे, उन मुकदमों को लड़ते–लड़ते आन्दोलनकारी काफी बड़ी मशक्कत में थे, इसका तो सरकार ने एक सम्मानजनक हल निकाला। लेकिन मान्यवर, इसका हल निकालने के बाद आज भी अपने ही राज्य में, अपने ही लोगों के लिए, वह आन्दोलनकारी, जो चिन्हित नहीं हो पाये हैं, उन्हें चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा न तो पैमाना तय किया गया है न ही उन आन्दोलनकारियों को चिन्हित करने का कहीं पर भी जिक्र किया है। इन आन्दोलनकारियों को चिन्हित करने में सरकार किन–किन मानकों को अपनायेगी ? मान्यवर, इस प्रदेश में जब हम यह मानकर चलते हैं कि यह पर्यटन प्रदेश है और पर्यटन प्रदेश में जब एक ओर सरकार ने जौलीग्रान्ट को और पंतनगर को वायुयान के यात्रियों के लिए सुलभ

करने का निर्णय लिया, लेकिन इस पर सरकार ने यह कोशिश नहीं की कि इसके बाद आन्तरिक क्षेत्र में चाहे वह पिन्थालीसौड़ का हवाई अड्डा हो, चाहे नैनीसैण का हवाई अड्डा हो, चाहे गोचर का हवाई अड्डा हो, उसके बारे में उसके सुदृढीकरण के लिए, उसके विस्तारीकरण के लिए, उसको चलाने की स्थिति में हम अपने पर्यटकों को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, जो एक खेद का विषय है।

साथ ही मान्यवर, इस प्रदेश में जब हम प्राकृतिक मौसम को और इन तमाम असंतुलनों के बारे में देखते हैं तो यह भी आभास होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इस प्रदेश पर भी है और पेयजल की इन तमाम समस्याओं से मान्यवर, आने वाले समय में यह प्रदेश भी जूझेगा। लेकिन मान्यवर, इस प्रदेश में जहाँ एक ओर ग्रैविटी से अधिकांश भाग को पेयजल का पानी उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर हम नलकूपों से पानी की व्यवस्था उस क्षेत्र के लोगों के लिए करते हैं। आज भी इस दस्तावेज में कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है कि कितनी पम्पिंग योजनाओं को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और कितनी-कितनी जगहों पर पेयजल का अभाव आज भी हमारे सामने परिलक्षित है। साथ ही जब बार कदम हम प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं तो उसमें यह अहसास होता है कि पीने के पानी की समस्या काफी ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। साथ ही हमारे कितने भू-भाग में कई क्षेत्रों में अधिकांश नगरीय क्षेत्र में इस बार बजट में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है कि सीवरेज की व्यवस्था का, सीवर की सुविधा की कोई योजना प्रचलित की गई है। इसका नितान्त अभाव इस दस्तावेज में स्वयं में झलक रहा है। जो बहुत चुनौतीपूर्ण है कि अगर सीवरेज का व्यवस्थित तरीके से डिस्पोजल नहीं हुआ, गारबेज का डिस्पोजल नहीं हुआ तो नगरीय क्षेत्रों में और आज विस्तारीकरण में ग्रामीण क्षेत्र हैं, वह भी इससे आच्छादित हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या के बारे में कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट प्लान लगाने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। गारबेज डिस्पोजल के लिए नगरीय क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कूड़ा प्रबन्धन की कोई व्यवस्था इस दस्तावेज में नहीं परिलक्षित होती है। जिसका अभाव देखने को हमको बराबर मिल रहा है।

मान्यवर, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, इस दस्तावेज के अन्दर दर्शाया गया है कि राज्य के अन्दर हमारा अपना माइक्रो हाइड्रोजनरेशन है और माइक्रो हाईड्रोजनरेशन के लगभग राज्य के अंदर 3140 मेगावाट क्षमता की परियोजनायें उपलब्ध हैं और आने वाले समय में लगभग 13000 मेगावाट की परियोजनाओं के विकास, निर्माण और उनकी योजनाओं का जिक्र किया गया है। मान्यवर, अच्छा होता, जिन योजनाओं का आज हमारा प्रदेश लाभ ले रहा है और आज में जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। मान्यवर, कई योजनाएं, वो योजनाएं अपना जो लक्ष्य है, वह पूर्ण कर चुकी हैं उसके बाद भी लाभ

की दिशा में चल रही हैं। उनको सरकार क्या स्वयं अपने उपक्रमों के माध्यम से संचालित करना चाहती है ? सरकार स्वयं अपने इंजीनियरों के माध्यम से उसको संचालित करना चाहती है ? मैं समझता हूँ, यह सब लाभ की योजनायें स्वयं सरकार के द्वारा सरकार के उपक्रम के रूप में संचालित होनी चाहिए, आने वाले समय में। लेकिन इसका जिक्र नही किया गया है। इसको साइलेंट रखा गया है मान्यवर, मैं इसलिए इंगित कर रहा हूँ क्योंकि प्रदेश की बहुत बड़ी कई योजनायें, जिनका जिक्र अभी समाचार-पत्रों में जो हमने पढ़ा और मैं जानता हूँ कि आप समाचार-पत्रों का संज्ञान नहीं लेंगे और दूरदर्शन के माध्यम से जो हमें देखने को मिला कि दो सौ किलोवाट की योजना या तीन सौ किलोवाट की योजना, छोटी-छोटी, जो एक माईक्रो वाट की योजना भी नहीं हैं, उन योजनाओं को दुरूस्त करने के लिए पी0पी0पी0 मोड में देने का जिक्र आया है। एक सौ, दो सौ, तीन सौ और पाँच सौ किलोवाट की योजनाएं, जो इस क्षेत्र विशेष के लिए बनायी गयी थीं, सरकार का कौन सा उद्देश्य उनके ऊपर है जो कि उनको पी0पी0पी0 मोड में दे रही है ? माननीय अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह है, जितनी भी हमारी बहुउद्देशीय और लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनको सरकार स्वयं चलाये, सरकार के इंजीनियर्स चलायें या सरकार के वर्कर चलायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गुनसोला जी, अपनी बात को सीमित करें।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, सरकार यदि कोई योजना को पी0पी0पी0 मोड में जरूर देना चाहती है तो नये प्रोजेक्ट को पी0पी0पी0 मोड में दे, क्योंकि इन योजनाओं का परीक्षण हम शुरू से कर सकते हैं और आखिर तक पहुँचाने की बात कर सकते हैं। आज राज्य की जो योजनाएं हमको लाभ दे रही हैं, उन योजनाओं को पी0पी0पी0 मोड में मोडिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, इसमें सरकार को आपका मार्गदर्शन होना चाहिए। मान्यवर, आपने समय दिया इसका मैं शुक्रिया करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके जो सुझाव हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और समय को ध्यान में रखते हुए आप इन सुझावों को लिखित रूप में दे दें।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, मैं अब कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। जो सरकार का यह दस्तावेज है, वह मुफीद दस्तावेज नहीं है। (हँसी)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, आज 27 फरवरी है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज के दिन ही, चूंकि दिनांक 21 फरवरी, 2007 को चुनाव हुए थे और 27 फरवरी, 2007 को गणना हुई थी। हम लोग विधायक बने थे, इसके लिए सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी द्वारा दिये गये अभिभाषण में सभी महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। मान्यवर, पर्यटन, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि की दृष्टि से जो भी हमारी सरकार द्वारा कार्य किये गये हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार ने नये आयाम जोड़े हैं। मान्यवर, पर्यटन की दृष्टि से कहा जाय तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ–साथ फूलों की घाटी, गोविन्द घाट, हेम कुण्ड साहिब, माणा और औली जैसे क्षेत्र को विकसित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, दीर्घकालीन विकास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा सहमति दी गयी। इसके साथ–साथ अभी माननीय श्री गुनसोला जी जौलीग्रांट के बारे में कह रहे थे, परसों ही जौलीग्रांट हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। इससे भी पर्यटन दृष्टि से लाभ होगा। साथ ही जो पौराणिक स्थल हैं और उत्तराखण्ड में जो मेले लगते हैं, उसको सरकार द्वारा जो मान्यता दी गयी और इस प्रकार के जो कार्य किये गये, जनता में बहुत अच्छा संदेश गया है। माननीय अध्यक्ष जी, चिकित्सा के क्षेत्र में 108 का जिक्र आ रहा था। उसके बारे में कहना चाहूँगा, राज्य में जिस प्रकार से इसने धूम मचायी है मान्यवर, कुछ दिन पूर्व डोईवाला से देहरादून हमारे कॉंग्रेसी मित्र आ रहे थे तो उनके सामने एक बन्दर आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। वे बेहोश हो गये और उनके शब्द थे कि "मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस सरकार को जिसके कारण मेरा जीवन बचा।

इसी प्रकार पूरे प्रदेश के अन्दर सिंचाई के जो ट्यूबवेल लग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उससे आम किसान का चेहरा मुस्कुराया है और इसके साथ–साथ जिस प्रकार से अभी कृषि मेलों का आयोजन, कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय कृषि मंत्री जी को। जिस प्रकार से एक पूरे क्षेत्र के छोटे–बड़े, मझोले किसानों को उससे लाभ हुआ है और उसके साथ–साथ 68 करोड़ का जो लम्बित किसानों का गन्ना बकाया था, उसका पेमेन्ट किया गया और गन्ना मूल्य बढ़ाया गया, उसके लिए भी मैं इस सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ, चूंकि मैं ऋषिकेश विधान सभा से चुना गया हूँ। मैं आभारी हूँ, चूँकि वहाँ पर पतित पावन माँ गंगा बहती है और उसके साथ–साथ उन सहायक नदियों को जिस प्रकार से प्रदूषण मुक्त करने का काम इस सरकार के द्वारा संकल्पित है, मैं निश्चित रूप से इस सरकार को साधुवाद भी देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पूरे ऋषिकेश में और हरिद्वार में कुम्भ का जो आयोजन अभी

2010 में होना है और जिस प्रकार से योजनाएँ सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं तो निश्चित रूप से पूरे विश्व से आने वाला जो तीर्थयात्री है, वह यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्र में एक विषय आता था कि प्रदेश की जवानी और प्रदेश का पानी कभी यहाँ पर काम नहीं आया लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्वतीय क्षेत्रों में बेरोजगारों के पलायन को रोकने के लिए, जिस प्रकार से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 का निर्णय लिया, मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ–साथ चूंकि अनेकों हमारी ऐसी भाषाएँ हैं, जिनकी मान्यता हमारी सरकार ने दी है। इसी प्रकार सब भाषाओं की जननी संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन सरकार द्वारा जो किया गया, इसके लिए भी अपनी सरकार को बधाई देना चाहूँगा। हम लोग जब विधायक नहीं थे, उस समय जिस प्रकार से वृद्धावस्था, विकलाँग और विधवा पेंशन में जो पेचीदगियाँ थी, जिसको लेकर एक गलत धारणा जनता के मन में थी लेकिन उसके सरलीकरण को लेकर और जिस प्रकार से पेंशन धारकों को पोस्ट ऑफिस और बैंक के माध्यम से पेमेन्ट करने का निर्णय जो सरकार ने लिया, उससे सरकार की पारदर्शिता परिलक्षित होती है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से गौरा देवी कन्याधन योजना के माध्यम से इस सरकार के द्वारा बी0पी0एल0 श्रेणी की उन कन्याओं को जो 12वीं पास करके 25 हजार रू0 एन0एस0सी0 देने की बात पिछले दिनों तय की गयी थी। उसी प्रकार से नन्दादेवी कन्या धन योजना के माध्यम से, जो 1 जनवरी से लागू होने का निर्णय इस सरकार ने लिया है, मैं उसके लिए सरकार को इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि इससे जहाँ भ्रूण हत्या पर अंकुश लगेगा वहीं इन बी0पी0एल0 श्रेणी की कन्याओं को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बावजूद मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगा। चूँकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जंगली पशुओं का ऐसा हिसाब है कि जानमाल की क्षति अनेकों बार हुई है।

मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे उस क्षेत्र में जंगली पशुओं द्वारा जानमाल की जो क्षति हो रही है, उसको लेकर कुछ रोकथाम की जाए। बाढ़ नियंत्रण के लिए, क्योंकि हमारे विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बहुत गम्भीर रहती है, उसके लिए कुछ किया जाय, साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लिए एक सुखद पहलू है कि ऋषिकेश महाविद्यालय को, मान्यवर, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, स्वयं आप भी एक कार्यक्रम में थे कि ऋषिकेश महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, यह मैं विशेष माँग आपके माध्यम से सरकार से करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ –साथ पर्यटन दृष्टि से सिल्लाचौकी में एक सुन्दर झील बन सकती है और उसका स्टीमेट भी बना है। सिंचाई विभाग के द्वारा, मेरा अनुरोध है कि उसको पास कर दिया जाये।

ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन दृष्टि से, सिंचाई और पेयजल दृष्टि से यह बहुउद्देशीय योजना है, इससे क्षेत्र को लाभ होगा। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं एक विशेष अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से करना चाहूँगा कि गंगा जल जो कि बिल्कुल घाट से थोड़ी दूरी पर है, उसको निकट घाट के पास लाने का प्रयास किया जायेगा तो इसका लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया खत्म करें।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आई०आई०एम० की बात सरकार के द्वारा चली है तो मेरा अनुरोध है कि इसे आई०डी०पी०एल० या ऋषिकेश के किसी स्थान पर स्थापित करने का काम सरकार करे और अन्त में आप सब को धन्यवाद देता हूँ और होली, नवरात्र की एडवान्स में बधाई देते हुये मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय श्री कोनिया जी द्वारा रखे गये महामहिम जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा रखे हुये इस समर्थन और धन्यवाद प्रस्ताव पर जो भी वक्तव्य माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये, उनसे अपने आप को सम्बद्ध करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेना में रहकर इस देश की सीमाओं की सुरक्षा में और इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, ठीक उसी तरह एक प्रदेश के मुख्य सेवक होने के नाते, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, इस प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति, हर समाज और हर वर्ग के व्यक्तियों को दृष्टिगत रखते हुये, इस अभिभाषण के माध्यम से जो योजना बनाई गई है, मैं वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें इस सदन के माध्यम से और इस समर्थन प्रस्ताव में हमारे माननीय सदस्यों ने रखी, लेकिन मैं यहाँ की महिलाओं के लिए, जिनके लिए हम बार-बार कहते थे कि इस राज्य को बनाने में यहाँ की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, पिछली पंचवर्षीय में भी इस सदन के सदस्य होने का मुझे गौरव हासिल था और हम बार-बार उन महिलाओं की आर्थिकी कैसे बढ़े, जिन महिलाओं के लिए हम ये कहते हैं कि यह राज्य महिलाओं के योगदान से बना है, मान्यवर, उन महिलाओं को

किस प्रकार का सम्मान इस राज्य में दे सकें, इसके लिए इस सदन में बार–बार कहते रहे, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई ठोस योजना उस समय नहीं बन पायी। लेकिन मैं आज अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले इस ओर ध्यान दिया। आज भी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, हमारे इस समाज में, जो बी0पी0एल0 परिवार और बी0पी0एल0 वर्ग के लोग हैं, उनके घर में अगर कन्या पैदा होती है तो वास्तव में वहाँ ऐसा समझा जाता है कि बहुत बड़ा बोझ हमारे सिर पर आ गया है, लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने नन्दा देवी कन्या धन योजना के नाम से जिस प्रकार से उन बी0पी0एल0 परिवार की बहिनों का प्रोत्साहन बढ़ाया, मैं समझती हूँ, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम जिस बात को कहते हैं कि यह राज्य महिलाओं के योगदान से बना है। मैं समझती हूँ उस ओर, उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं उन तमाम बहिनों की ओर से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

इसके अलावा गौरा कन्या धन योजना के माध्यम से हमारी जो बहिनें बी0पी0एल0 परिवार में जन्म लेकर और इंटर पास करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थीं, उनके लिए सरकार ने 25 हजार रु0 की धनराशि देकर कि ये कन्याएं उच्च शिक्षा ग्रहण करें और अगर ये अच्छी पढ़ने–लिखने वाली हों तो ये भी अपने भविष्य को उज्जवलमय बना सकती हैं। उनका मन ऐसा न हो कि हम उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पायेंगे। इस तरह से जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने बनायी है। मैं समझती हूँ कि आज उन बी0पी0एल0 परिवारों में जन्म लेने वाली, उन बालिकाओं का भी मनोबल बहुत ऊँचा है कि हम भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और हम भी अच्छे स्थानों पर उच्च शिक्षा ग्रहण करके पहुँच सकते हैं। मान्यवर, इसके अलावा स्वयं सहायता परियोजना के अन्तर्गत राज्य में ग्यारह सौ महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर वहाँ की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने में और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और वह अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकें, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो वृद्ध माताएं, बुजुर्ग लोग गाँवों में निवास करते हैं, उनके पास कोई ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं होती थी कि वह अपने बुढ़ापे को ठीक से चला सकें। उनके लिए जिस तरह से पेंशन योजना इस प्रदेश में लागू हुई है, मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी कल्याणकारी योजना और कोई नहीं हो सकती, इसके लिए, मैं अपनी सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, इसके अलावा भी अभी हम बहुत ज्यादा इस सदन में यो तो कह देते हैं कि यहाँ के गरीबों के लिए क्या सरकार कर रही है, कोई योजना नहीं बनायी जाती है, लेकिन मैं इस सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि अभी–अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ एक निर्णय यह हुआ है कि हम उन गरीबों के लिए दस हजार बी0पी0एल0 आवास, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन

कर रहे हैं, जिनके लिए आवास रहने के लिए नहीं है और कई बार हम भी इस विषय का संज्ञान लेते थे गाँवों में। मैं सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि माननीय अटल बिहारी बाजपेई आवास योजना के नाम से इस प्रदेश में दस हजार आवासों की स्वीकृति अभी मिली है, इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं।

मान्यवर, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना हमारे प्रदेश में संचालित है, मैं इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, एक सुझाव भी देना चाहती हूँ कि हमारी विधवा महिलाओं के लिए जो पेंशन योजना इस प्रदेश में लागू है, इसके साथ ही कई बार हमारे सामने यह समस्या भी आती है कि जो परित्यक्ता महिलाएं होती हैं, उनके लिए कोई भी परियोजना इस प्रकार की नहीं होती है। मान्यवर, उनका जीवन कैसे आगे बढ़े, उनके लिए बड़ा संकट होता है। मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूँ कि 5 साल से ऊपर अगर कोई ऐसी बहनें हैं, तो उनके लिए भी कोई पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनेकों योजनाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इस प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रही हैं। मैं इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद, जो आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। इससे पहले भी सन् 2002 में महामहिम सुरजीत सिंह बरनाला, उनके बाद महामहिम सुदर्शन अग्रवाल और फिर महामहिम बी0एल0 जोशी ने 2 बार यहाँ पर अभिभाषण पढ़ा। अभिभाषण में सरकार की सबसे बड़ी विफलता तो यह है कि सरकार इस सत्र में बजट नहीं लायी। लेखानुदान द्वारा पैसा पास करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बजट आ सकता था और बजट भी पास हो सकता था। माननीय अध्यक्ष जी, फोनिया जी कल बोल रहे थे कि पहले जो महाराजा हुआ करते थे, कोई गज यात्रा करते थे, कोई अश्व यात्रा करते थे। इन्होंने भी यह यात्रा शुरू की। इन्होंने तो माननीय मुख्यमंत्री की तुलना अशोका दि ग्रेट और विक्रमादित्य से कर डाली। मैं समझता हूँ, वे संसार के सर्वश्रेष्ठ राजा थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ एक छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

*कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, वे स्वयं राजा हैं।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, राजा आपके लिए होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब आ जाते हैं, सरकार जनता के द्वार। इन्होंने फर्स्ट पेज पर लिखा, सरकार जनता के द्वार। जनता के द्वार में कोई खास बड़ी उपलब्धि सरकार की नहीं है, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग जा रहे हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनसे प्रार्थना–पत्र ले लेते हैं, अव्वल तो उसमें अधिकारी ही नही आते हैं। 50 प्रतिशत अधिकारी वहाँ गैर हाजिर रहते हैं। मंत्रीगण एक काम अवश्य करते हैं कि उस प्रार्थना–पत्र पर लिख देते हैं, यदि प्रकरण समाज कल्याण अधिकारी का है तो समाज कल्याण अधिकारी को रैफर कर दो, आवश्यक कार्यवाही करें। इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं हो रहा। यह कार्यान्वित होना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश हैं। सब अधिकारियों को वहाँ आना चाहिए। दूसरे पैरा में अनुशासित प्रदेश और भयमुक्त समाज की बात कही गयी है यह तो हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी कर ही रहे हैं। दलित अधिकारी को जूता मार रहे हैं। तो भयमुक्त समाज तो अपने–आप ही आ गया। कोई विधायक थाने में से मुजरिमों को लेकर चला जाता है तो भयुक्त समाज की परिकल्पना अपने आप पूरी हो गयी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि हमने एशियन बैंक से 50 मिलियन का लोन ले लिया। यह काहे की उपलब्धि है ? बैंक लोन ले लिया, जब तिवारी जी ने लिया था, तो इसी सरकार ने उनका मजाक उड़ाया था। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो एक बोझ हो गया है जनता पर, जो सूद समेत आपको लौटाना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, लोक निर्माण की गुणवत्ता की बात है, निर्माण की गुणवत्ता बनाने के लिए 4–4 आदमियों का पैनल बना दिया है। पी०डब्लू०डी० में किसी सड़क का जो टेण्डर होता है, वह ऐसे ही 30 परसेंट, 40 परसेंट बिलो तक होता है। गुणवत्ता कहाँ से आएगी, जब वह 30–40 परसेंट पहले ही बिलो हो गया। अब तो तीन अधिकारी और बैठा दिये, एक समिति बना दी। पहले एक आदमी कमीशन लेता था, अब तीन लेंगे। उसमें गुणवत्ता कहाँ से आ जाएगी ? माननीय अध्यक्ष जी, गन्ने की बात कर लें, कौशिक जी ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश से दो रुपये किसानों को ज्यादा मिलेंगे। आज भी काश्तकारों का पैसा लम्बित् पड़ा है। काश्तकारों को अब तक पैसा नहीं मिला है। नये का भुगतान हो गया है, पुराना आज भी लम्बित् पड़ा है, कृपया उनका भुगतान दिलवा दीजिए, यह मेरा आपसे आग्रह है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार खुद ही मान रही है कि आज भी 40 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे है जब 40 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे है तो मैं तो समझता हूँ कि विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं हरिद्वार की बात करता हूँ। मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, हरिद्वार के, हरिद्वार जनपद में लगभग 13–14 लाख की जनसंख्या आज की तारीख में है और वहाँ पर मात्र 17625 लोगों को ही वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है अगर जनसंख्या का अनुपात देखा जाये तो एक चौथाई भाग वृद्ध लोगों का होता है तो 14 लाख में ढाई लाख वृद्ध तो होंगे ही। (व्यवधान) कहाँ मिल रही है पेंशन, जो पात्र हैं, उन्हें तो मिलनी चाहिये।

मान्यवर, इसी तरह से हरिद्वार में विकलांग पेंशन मात्र 3731 को ही मिल रही है, अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह में सहायता राशि देने का प्राविधान है, मेरे

विधान सभा क्षेत्र में मात्र 17 लड़कियों को 10 हजार रुपया अनुदान दिया गया, जबकि 200 से अधिक आवेदन आये थे। पूरे हरिद्वार जनपद में 284 लड़कियों को ही 10 हजार की सहायता दी गई है, जबकि प्रस्ताव बहुत ज्यादा आये थे। जो पैसा देता है, उसका अनुदान स्वीकार कर लिया जाता है और जो पैसा नही देता उसकी एप्लिकेशन को फाड़ कर फेंक दिया जाता है।

(शेम-शेम की ध्वनि)

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से यह अभिभाषण दलितों के, निर्बलों के और अल्पसंख्यकों के विरोध में है और यह अभिभाषण भारत के संविधान के अनुच्छेद की धारा 13, 14, 15, 25, 29, 51, 340 और 307 का भी उल्लंघन करता है, इसलिये मैं इसका निश्चित रूप से विरोध करता हूँ, धन्यवाद।

* श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका अभिवादन करता हूँ। मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय फोनिया जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ, मैं पूर्व वक्ताओं से, आदरणीय प्रेम अग्रवाल जी और आशा नौटियाल जी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुये बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात, चौधरी साहब की बात का भी जवाब दूँगा। (व्यवधान) पहले सिपाही जवाब देगा, फिर जनरल साहब देंगे।

मान्यवर, कल नेता प्रतिपक्ष ने अपना वक्तव्य देते हुये, आज तो जनरल साहब की मूछें सामने दिखाई दे रही हैं, कल जब जनरल साहब यहाँ पर नहीं थे तो भी इनको जनरल साहब की मूछें दिखाई दे रही थी। तो जब से जनरल साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे मित्रों को जनरल फोबिया हो गया है। जनरल साहब यहाँ पर नहीं भी होते हैं, तो इनको मूछें दिखाई पड़ती है। लेकिन आज फोनिया जी की सलाह मानते हुये अपनी सुरक्षा के लिये आपने जोत सिंह जी को अपने बगल में बैठा दिया है, जो कल तक दूर बैठते थे। (हँसी) लेकिन मुझे एक बात का बड़ा कष्ट है कि कल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने सम्बोधन में उपनल की बात करते हुये कहा कि उपनल के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, उपनल के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा हो रही है मान्यवर, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, उपनल जो काम कर रहा है, चाहे मीटर रीडिंग की बात हो या किसी संस्थान में भूतपूर्व सैनिकों को लगाया हो। वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आज मुझे बहुत कष्ट होता है।......

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी समझ में नहीं आया, मैंने कहा था कि उपनल के माध्यम से केवल सैनिक परिवारों को ही रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अन्य परिवार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लोगों को भी दिया जा रहा है। जबकि उसकी स्थापना सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिये हुई थी, मैंने यह कहा था, यह भी संविदा पर लिया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा पर लिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, आप समझ नहीं पाये और गलत अर्थ निकाल रहे हैं।..................

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, वहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को भी रोजगार दिया जा रहा है मुझे बड़ा कष्ट होता है कि माननीय हरक सिंह जी जिस क्षेत्र से जीतकर आते हैं, लैंसडाउन, मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग की है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वे जिन वोटों से जीतकर आये हैं, उसमें आधे से अधिक वोटों का प्रतिशत हमारे भूतपूर्व सैनिक भाइयों का है। आपने इन शहीदों का अपमान किया है, अगर आपमें इतनी हिम्मत है तो यही बात अपने विधान सभा क्षेत्र में कह कर दिखायें।

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ये मेरी चिन्ता न करें, मैंने किसी का अपमान नहीं किया है, मेरे खिलाफ वहाँ पर पिछले 2002 के चुनाव में कर्नल ध्यानी चुनाव लड़े थे, यहाँ बहुत आर्मी के अफसर मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं। मेरे पिताजी आर्मी में रहे, मैं स्वयं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ और लैंसडाउन, जहाँ गढ़वाल राईफल्स का हैडक्वार्टर है, वहाँ से चुनकर आता हूँ। मैं वहाँ से दो–दो बार चुनकर आया हूँ, पहली बार 558 वोटों और इस बार 5600 वोटों से जीता हूँ और मेरा घर भी वहाँ पर नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया नाम लेकर बात न करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप दिखवा लीजिये कि मैंने कहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों का अपमान किया है, मिनिट्स में दिखवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

इसे दिखवा लेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मिनिट्स में दिखवाएं या न दिखवाएं। जवाब माननीय नेता सदन देंगे, आप जवाब क्यों दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। अभी आपकी हैसियत कैबिनेट मिनिस्टर या सरकार की नहीं है।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, कानून–व्यवस्था की बात करते हुए बार–बार हमारे विद्यार्थी परिषद् के छात्रों को आरोपित करने का प्रयास किया गया। यह बात माननीय प्रीतम सिंह गुनसोला जी कहते तो समझ में आती, यशपाल आर्य जी कहते तो बात समझ में आती, लेकिन वह व्यक्ति जिसकी शुरूआत विद्यार्थी परिषद् से हुई हो और जिसका जीवन आरोपों से भरा हो, जिसने खुद रिकार्ड है, कुलपति की खुद वहां पर पिटाई की हो, उसके मुँह से ये बात शोभा नहीं देती है। (व्यवधान) मैं छूट की बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोशी जी, कृपया समय का ध्यान रखिए।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, और जिस तरह का आचरण इस हाऊस के अंदर हमारे साथियों ने किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं कहूँगा तो फिर बार–बार इशारा होगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यदि हाऊस के आचरण की कोई गलत बात आती है तो उसके लिए पीठ है, उसके लिए माननीय सदस्य (व्यवधान) मैं पीठ से कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। मान्यवर, यदि किसी का आचरण इस हाऊस में गलत होगा तो उसके लिए पीठ है। पीठ को उसका आदेश।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

हाऊस के आचरण की कोई बात नहीं आ रही है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, हमारी सरकार चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी माननीय सदस्य ने हाऊस के आचरण पर कोई टिप्पणी की होगी तो उसे निकाल दिया जायेगा।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, आज यहाँ जो सरकारें अपने को गरीबों का मसीहा होने की बात कहती हैं। राज्य सफाई आयोग का गठन हमारी सरकार ने किया है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, यहाँ पर गुजराड़ा इंटर कालेज जो कि क्षेत्र की लगभग एक लाख की आबादी को पोषित करता है। आज इस विद्यालय की यह स्थिति है, जब विद्यालय बना था तब सात या आठ हजार विद्यार्थियों के लिए बना था, अब यहाँ पर 25 हजार से ऊपर विद्यार्थी हैं। मेरा अनुरोध है कि गुजराड़ा इंटर कालेज को डिग्री कालेज बनाया जाय। दूसरा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई0टी0 पार्क की स्थापना हुई थी। आई0टी0 पार्क की स्थापना के समय वहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने एक आंदोलन किया था और तब एक समझौता सरकार से हुआ था कि उसके (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आप जो कहना चाहते हों, लिखकर दे दीजिए।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय फोनिया जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ।

*श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अनिल जी, कृपया पाँच मिनट में अपनी बात सीमित करिए।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, पाँच मिनट में कैसे होगा। औरों को दस मिनट दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप तो गागर में सागर भरने के आदी हैं।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के पक्ष में माननीय फोनिया जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, महामहिम जी का अभिभाषण किसी भी सरकार की नीतियों और कार्यों का दर्पण कहा जाता है और हम सब इस प्रदेश के वासी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया विषय पर आईये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, हम सब प्रदेशवासी जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी, आज महसूस कर रहे हैं कि इन दो वर्षों के अन्दर इस प्रदेश के अन्दर माननीय खण्डूड़ी जी की सरकार ने जो कार्य किये हैं, इस प्रदेश की जनता को महसूस होने लगा है कि उनके संघर्षों के द्वारा निर्मित इस प्रदेश के अन्दर जनरल खण्डूड़ी जी की सरकार वास्तव में जिन जनहित के मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच में जा रही है, वह सराहनीय कदम जनता के द्वारा कहा जा रहा है और आज हम महसूस कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, कि जनता दरबार, बहुउद्देशीय शिविर, जनता मिलन के कार्यक्रम जो दूरदराज के क्षेत्रों में आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण स्वयं उपस्थित होकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। आज हमारी सरकार द्वारा जिलाधिकारियों को, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह दूरदराज के क्षेत्रों में जायें और विशेषरूप से गाँव में जा करके रात्रि को विश्राम करके जनता की जो समस्याएँ हैं उनका निराकरण करें और मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी लगभग 10 दिन पहले जनता दरबार हमारे क्षेत्र में आयोजित किया गया। उसके अन्दर वह प्रस्ताव पास किया गया, क्षेत्र की जनता के द्वारा कि कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी हैं, उनके द्वारा सात सौ वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आवंटित किये गये, उनको स्वीकृत किये गये, यह बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमारी सरकार की है। मैं जनता की तरफ से भी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मान्यवर, पिछले पाँच वर्षों में, आज जो विपक्ष में बैठे हुए लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अनिल नौटियाल जी, सीमित कर दीजिए।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, इस प्रदेश में आज हमारी सरकार के द्वारा बहुत ऐसी योजनायें, अनेकों योजनायें गरीब से गरीब परिवारों के लिए लाभान्वित साबित हो रही हैं, जैसे गौरा देवी कन्या धन योजना, नन्दा देवी कन्या धन योजना, आज हमारे माननीय मंत्रीगण (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दीजिए, आपकी बात आ गई। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो दो मिनट भी नहीं हुआ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हरेक जनपद का पाँच से छः बार भ्रमण किया गया। माननीय अध्यक्ष जी हम

सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जनता के जो वक्तव्य आ रहे हैं, जो हम क्षेत्र में जाकर महसूस कर रहे हैं कि आज जनता को लगने लगा है कि वास्तव में इस प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों की सरकार इन दो वर्षों में धरातल पर कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व में सड़कों की स्वीकृति हुई थी उसमें कहीं पर भी धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वन भूमि के कागजों सहित धनराशि अवमुक्त की जा रही है माननीय अध्यक्ष जी, मैं अन्त में एक दो बातें जो क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ी हैं, उनको यहाँ पर आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष जी–

ठीक है, आप बिन्दुवार फटाफट गिनवा दीजिए।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, चूँकि कर्णप्रयाग और गौचर में पेयजल की भारी समस्या है उसमें लिफ्ट योजना का आगणन तैयार है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी स्वीकृति आपकी अगर हो जायेगी तो जनता को काफी लाभ मिलेगा। गौचर में हवाई पट्टी का निर्माण हो चुका है, उस पर एक ट्राइल भी की जा चुकी है। क्योंकि 01 मई से श्री बद्रीनाथ जी के पट भी खुल रहे हैं, वहाँ पर हवाई सेवा प्रारम्भ कर दी जाय तो उसका लाभ भी जनता और यात्रियों को मिलेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने विकास की अनेकों योजनायें स्वीकृत की हैं, मेरे क्षेत्र में, इसके लिए मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय फोनिया जी ने जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा उस पर मैं बल देता हूँ। धन्यवाद।

*श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य सम्मानित माननीय सदस्यों, जिन्होंने भी संशोधन के रूप में अपने वक्तव्य इस सदन में रखे, उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। माननीय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण इस सदन के पटल पर रखा, यह अभिभाषण मात्र 20 पन्नों का है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को बतायें। सीमित समय में अपनी बात को कहें। पाँच मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। घड़ी देख लीजिए।

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनोज तिवारी–

मानीय अध्यक्ष जी, थोड़ा समय तो दें।

(इसके बाद माननीय सदस्य मनोज तिवारी बिना अपनी बात कहे बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

फिर मौका देंगे।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस दिशाहीन अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ और इस सदन से निवेदन करूँगा कि जो समस्त विपक्ष द्वारा इस दिशाहीन अभिभाषण में संशोधन प्रस्तुत किये गये वह सर्वसम्मति से पारित कर दें ताकि इस अभिभाषण को कुछ दिशा मिल सके। मान्यवर, अभिभाषण की बात हम करें उससे पहले बहुत जरूरी बात है कि हर चीज से पहले प्रदेश में राजधानी का मसला आज तक हम तय नहीं कर पाये, उससे पहले क्या मसला हमारे सामने होगा। यू0के0डी0 के लोग भी सरकार में शामिल हैं, यह भी शेर की तरह बाहर दहाड़ते हुए घूमते थे और आज कोई आवाज नहीं आ रही है। कहे देहरादून राजधानी है, डिक्लेयर करें या कहीं और करनी हो तो डिक्लेयर करें कि दो मास में, एक साल में कहीं न कहीं हम राजधानी कर देंगे। हमारी राजधानी नहीं है। हमें क्या मालूम कहाँ विकास कार्य करने हैं, किस हिसाब से करना है कुछ नहीं मालूम। माननीय कोठियाल जी ने परसों हमारे बीच में धन्यवाद प्रस्ताव रखा था और बड़ी ऐतिहासिक बातें बताई थीं। बड़ी इतिहास की बात करते हैं, ज्ञानी आदमी हैं। इण्टरनेशनल हिस्ट्री तो आपने पढ़ी लेकिन अपनी सरकार की हिस्ट्री जरा सी भी नहीं पढ़ी। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। आपके सरकार की हिस्ट्री यह रही और बजट और अभिभाषण की प्रति यह रही। (बजट और अभिभाषण की प्रतियाँ सदन में दिखाते हुए) इसमें की हुई घोषणायें, जो पिछले दो सालों में आपकी सरकार द्वारा की गई हैं, अगर एक निगाह मारते तो शायद आप अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए खड़े न होते। अनुसूचित जाति हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, हर एक के साथ कोई न कोई फरेब की बात की गई है। मान्यवर, 2008–09 के बजट में 4 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया था। बी0पी0एल0 के लोगों को गैस के कनेक्शन देने के लिए और अभिभाषण में कहते हैं सिर्फ 600 लोगों को आपने कनैक्शन दिये हैं। 4 करोड़ रुपया कहाँ गया, गरीब लोगों के साथ फरेब।

मान्यवर, ओपन बोर्ड का जिक्र करते हैं। इत्तेफाक से शिक्षा मंत्री जी सदन में नहीं हैं। आई0टी0 का जिक्र और इसमें एन0आई0टी0 आपको आखिरी नम्बर दे रही है। यह बड़ी अजीब सी स्थिति है। बहरहाल कहीं बुराई है तो कहीं अच्छाई भी है, एक अच्छाई यकीनन मुझे नजर आई मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को जरूर बधाई देना चाहूँगा।

विपक्ष का काम केवल बुराई निकालना ही नहीं है, अच्छाई की तारीफ भी करना है। जो इस सरकार ने कार्बन कॉपी देकर इम्तिहान कराने की बात कही है, इससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, आज बजट नहीं ला पाये यह एक बहुत बड़ी कमी की बात है। मैं इसको दिशाहीन कह रहा हूँ, उसकी वजह खासतौर से शुरूआत ही इसकी बड़ी खराब है। छठा वेतन आयोग लागू करने से आपके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है और सरकार कह रही है कि आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करेंगे। सबसे बड़ा आपका आंतरिक संसाधन ऊर्जा है। आपकी पॉवर कॉरपोरेशन ही नुकसान में चल रही है। इसके अलावा आप कौन से संसाधन तलाश कर लेंगे ? वन सम्पदा काटेंगे या क्या करेंगे आप लोग या खनन करेंगे ? दोनों चीजें आप नहीं कर सकते लिमिटेड रिसोर्सेज हैं।

मान्यवर, इस वजह से यह बेसिक चीज है। यदि आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो यह अभिभाषण बेमानी है यानी कोई मायने नहीं रखता। अल्पसंख्यक को शिक्षा मिल रही है आप दें या न दें हिन्दुस्तान का संविधान सबके लिए बराबर है, इसलिए वो तो पढ़ेंगे ही। आपने कहा कि हम आई0आई0एम0 मांगेंगे केन्द्र सरकार से, ऐसा माननीय कोनिया जी, आपने कहा था। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार से प्रस्ताव माँग रही है कि जमीन दें, लेकिन आप दो साल से उनको जमीन नहीं दे पा रहे हैं। आप किस बात के लिए आई0आई0एम0 माँग रहे हैं, अगर अखबार सही हैं तो। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कम से कम गरीब लोगों के साथ कोई मजाक न करें। जो उस श्रेणी में आ रहे हैं, उनको बी0पी0एल0 कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध करायें। मान्यवर, एस0सी0पी0 के लोगों का पैसा लैप्स हो रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, पशुपालन विभाग के बारे में पढ़ें, तो शायद कोई अधिकारी लखनऊ रहकर आयें होंगे, यहाँ पर बटेर पालन की बात कर रहे हैं। लखनऊ अमीनाबाद के जायके खत्म नहीं हुए हैं, यहाँ बटेर पालन की बात कर रहे हैं। मान्यवर, यहाँ पर कोई ढंग की बात करते तो समझ में आती। इस समय मैं सदन से निवेदन करूंगा और मुझे शेर याद आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी–

हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन,

दिल को बहलाने को गालिब, ये ख्याल बहुत अच्छा है।

माननीय अध्यक्ष जी, जो विपक्ष ने संशोधन दिये हैं, वह सर्वसम्मति से पारित करें। जिससे दिशाहीन इस अभिभाषण को दिशा मिल सके।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम के अभिभाषण में मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अपने को नेता प्रतिपक्ष और अपने सभी साथियों से सम्बद्ध करता हूँ। जैसा कि प्राईमरी एजुकेशन में सरकार लगातार अपनी उपलब्धियाँ बता रही

है, इसमें प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोई भी विशेष उल्लेख नहीं किया गया है और न ही सरकार ने कोई दीर्घकालीन नीति बनायी है और जहाँ तक प्राईमरी एजुकेशन में लगातार शिक्षकों का रोना है, इस अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ जो प्राईमरी एजुकेशन की गुणवत्ता की बात है, उसमें प्रत्येक विषय के शिक्षक का निर्धारण हो, इसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। मान्यवर, जो हमारी उच्च शिक्षा है, जिसकी गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र से जो हमारा नया युवा वर्ग है, वह अपनी आधार शिला को और मजबूत करने का प्रयास करता है इसके लिए भी सरकार द्वारा कोई नीति का इस अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, सरकार द्वारा यहाँ पर दोहरी नीति शिक्षा के क्षेत्र में की गयी है एक ओर गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है और दूसरी ओर कुमाऊँ विश्वविद्यालय आज लगातार शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहा है। वहाँ आज यू0जी0सी0 ग्रान्ट के तहत हो या राज्य सरकार के तहत हो, वहाँ का चाहे हमारा लेक्चरर हो या प्रोफेसर हो या कर्मचारी हो, राज्य सरकार उनको भत्ता देने के लिए भी तैयार नहीं हो रही है। इस प्रकार से सरकार द्वारा दोहरी नीति की जा रही है। इस अभिभाषण में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

इसके साथ-साथ जो आई0आई0एम0 संस्थान की बात सरकार द्वारा यहाँ पर कही जा रही है कि केन्द्र सरकार द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, निश्चित रूप से अल्मोड़ा को हमेशा बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है। वास्तव में आई0आई0एम0 अल्मोड़ा में खोला जाए तो निश्चित रूप से सरकार की एक उपलब्धि होगी। इसके साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, जिसके बारे में लगातार सरकार ने यहाँ पर दे रखा है कि हमने 8 लाख लोगों को जॉब कार्ड वितरित किया है और उसके साथ लिखा है कि 1 लाख श्रमिक लोगों का आवेदन किया है। मान्यवर, जब 8 लाख लोगों ने जॉब कार्ड बना लिया और जब केन्द्र सरकार के सीधे निर्देश हैं कि जिनका जॉब कार्ड बन गए, उनको 15 दिन के अंदर रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। लेकिन सरकार सीधे-सीधे दोहरा मापदण्ड अपनाते हुए। लाख लोगों का आवेदन दे रही है।

इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, जो ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना है, जिसकी 73 रु0 मजदूरी थी जिसको 100 रु0 किया गया है, क्योंकि यहाँ का जो मजदूर था, वह उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ की सरकार द्वारा 100 रु0 मजदूरी दी गयी थी और यहाँ का मजदूर उत्तर प्रदेश में चला जा रहा था। हम सरकार से यह माँग करते हैं कि इसका इस अभिभाषण में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्रामीण रोजगार गारण्टी में 100 रु0 की मजदूरी से किसी का काम नहीं चलता है। हरियाणा और अन्य प्रदेशों में 120 रु0 मजदूरी है तो इसमें इस ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में 150 रु0 दी जाती तो यह कहा जा सकता कि यहाँ के मजदूरों को लाभ दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, कृपया अपने क्षेत्र की समस्याएं बता दें, यह सब विषय आ चुके हैं।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर लगातार पिछली सरकार द्वारा मेडिकल कालेज की घोषणा की गयी थी और वर्तमान सरकार ने उसमें 5 करोड़ रु0 इसमें रखा था। लेकिन अभी तक दो साल इस सरकार के हो गए हैं, लेकिन उसमें 5 करोड़ रु0 का उपयोग नहीं हो पाया है अभी तक उसमें न भूमि हस्तांतरित हुई है और न कोई प्रक्रिया इस ओर शुरू की गयी है निश्चित रूप से जो सपना यह प्रदेश सरकार दिखा रही है, मेडिकल कालेज का कि मेडिकल कालेज खुलेगा तो दो साल से इसमें अभी कुछ नहीं हुआ है। इस अभिभाषण में भी इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अल्मोड़ा में झील के निर्माण का प्रस्ताव इस अभिभाषण में कहीं नहीं किया गया है, इसके साथ–साथ हमारे विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्ग हों या लोक निर्माण विभाग के मार्ग हों, उनके लिए भी यहाँ पर कहीं उल्लेख नहीं किया गया और यह भी कहना है कि पेयजल को लेकर आज पूरा प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं पूरा विश्व पेयजल को लेकर चिंतित है और इसके लिए कोई ठोस, कोई दीर्घकालिक योजना इस अभिभाषण में नहीं है कि कितनी पम्पिंग योजनाएँ या कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। सिर्फ एक स्वैप का गाना, इस अभिभाषण में रोना रोया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण एक झूठ पुलिन्दा है और इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। श्रीमन्, योजना विशेष के बारे में मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा कि 108 जो स्वास्थ्य सेवायें प्रारम्भ हुई हैं वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक अनोखी पहल पूरे देश के अन्दर है। मैंने कुछ आँकड़े इसके बारे में जुटाने का प्रयास किया था, अभी तक 8 महीने इस सेवा को प्रारम्भ करते हुये हुए हैं और उस सेवा से 18 हजार जो फैमिली–में में महिलायें रहती हैं, गर्भवती माता–बहनें हैं उनको इस एम्बुलेंस की सेवा का लाभ मिला, इतना ही नहीं लगभग 350 के करीब इस 108 एम्बुलेंस सेवा के दौरान आते–जाते समय बच्चों ने जन्म लिया, यह अपने आप में बताता है कि यह कितनी जीवन दायिनी योजना है, किस प्रकार से लोगों के जीवन को बचाने का काम इस योजना के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात अभी सरकारी कर्मचारी हैं, वे सभी लोग सोचते थे कि रिटायरमेण्ट के बाद एक बड़ी स्थिति होती थी कि उनके इलाज के लिए कहीं जाना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे, एक कैशलेस कार्ड की शुरूआत की गई, एक स्मार्ट कार्ड

की शुरूआत की गई, इसमें पैसा नहीं देना पड़ेगा केवल एक हैल्थ कार्ड के जरिये वे अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें ले सकते हैं, यह एक बहुत अच्छा काम हुआ है।

इसी प्रकार से श्रीमन्, आप जिस जनपद से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, हमारे जनपद का मुख्य अस्पताल है जिसे दून अस्पताल कहते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मैं कहूँगा कि एक्रीडेशन हुआ है, उसे आई0एस0ओ0 प्रदान किया गया है, तो यह हैल्थ सर्विस अपने आप में एक प्रमाण है। इसी के साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात बार–बार करते रहे। जहाँ एक तरफ विधवा, विकलांग और तमाम तरीके की पेंशन थी उसमें शत–प्रतिशत लोगों को आच्छादित करने का काम किया है उसी प्रकार से ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में जहाँ एक तरफ मनेरी भाली 320 मेगावाट की परियोजना प्रारम्भ की, मैं विशेषरूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी भी हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व ही मेरी विधान सभा क्षेत्र में जो व्यासी जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की है, उसका शुभारम्भ किया गया और यही नहीं उसके साथ ही साथ उस परियोजना का जो दूसरा चरण था लखवाड़ बाँध परियोजना 320 मेगावाट का, वास्तव में मैं कहता माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसका भी साथ ही साथ शुभारम्भ करें, लेकिन एक मजबूरी थी कि जो लखवाड़ परियोजना है वह अपर यमुना वाटर एकोर्ड से आच्छादित है। उससे बाधित है वहाँ पर 5 स्टेट का वाटर शेयरिंग का इश्यू है, क्योंकि उस पर निर्णय भारत सरकार की मध्यस्थता में होना है लिहाजा चाहकर भी अभी उस 300 मेगावाट की परियोजना का ...... अभी भी मैं जरूर कहूँगा, सरकार से कहूँगा कि विशेष प्रयास करें जिससे कि लखवाड़ परियोजना भी प्रारम्भ हो सके।

श्रीमान्, एक खाने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एक भीषण दुर्घटना मेरे क्षेत्र में हुई और माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने हुये सम्भवतः 4–5 दिन हुये थे और आपका दौरा पहला था, उस दुर्घटना में जिन लोगों की मौत हुई थी, घर–घर तक जाने का काम आपने किया था, लगभग उसी दिन उस योजना का शुभारम्भ हुआ। उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि का। उस दिन आपने एक नीतिगत फैसला किया कि पिक एण्ड चूज के बेस पर नहीं बल्कि एक नीति बनाकर दुर्घटना में जो भी हताहत होते हैं उनको एक समान रूप में राहत दी जाये, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन दुर्भाग्य से यह योजना एक मकड़ जाल में जाकर फंस गयी, इस योजना का सीधा–सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि, पहले तो इसको एक ब्यूरोक्रेटिक लाल फीता शाही में फंसा दिया। उसमें कहने लगे यह जो सड़क परिवहन है, अर्थात् जो यात्री बसें हैं उससे कोई दुर्घटना होगी तब वह व्यक्ति या उसका परिवार इससे कवर होगा, यदि किसी का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो जाए तो उसको नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि सहयोग करें, कृपया समाप्त करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं जल्द समाप्त करूँगा, दूसरी बात जो योजना लागू की गई उसकी कोई मॉनिटरिंग का प्राविधान नहीं है, न जिलाधिकारी के स्तर पर फण्ड उपलब्ध है। मान्यवर, कहाँ जाना है, यह प्रार्थना-पत्र कहाँ से सैंक्शन होना है, मालूम नहीं पड़ता है। इसी प्रकार श्रीमन् एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो एक आर एण्ड आर व्यवस्था के अन्तर्गत जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं, जनता भी कहती है कि जल विद्युत परियोजना बनेगी, इससे स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा। एक बहुत शानदार कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया कि आर एण्ड आर व्यवस्था के तहत जो भी विद्युत का उत्पादन होगा वहाँ पर लगभग एक प्रतिशत विद्युत का स्थानीय कम्युनिटी को जायेगा। उससे वह स्थानीय उपभोक्ता के रूप में भी काम कर सकते हैं। जो सरप्लस विद्युत होगा उससे मार्केटिंग भी करेगा और उससे धन भी अर्जित कर सकते हैं, यह एक बहुत ही क्रान्तिकारी शुरूआत है, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, लेकिन उत्तराखण्ड परिवहन सड़क राहत निधि है इसको सिम्पल बनाया जाय, इसमें धनराशि उपलब्ध करायी जाय। मान्यवर, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास की सुविधा है, उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में भी गरीबों के लिए आवास की सुविधा होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में गरीबों को आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक बहुत सुंदर काम एक्सेस कंट्रोल, एक्सप्रेस-वे, जो परिकल्पित किया है। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि सहारनपुर के बाद कलसिया तक यह मार्ग बनेगा, कलसिया के बाद यदि यह मार्ग हर्बटपुर चौराहे से देहरादून जब पहुँचेगा तो निश्चित रूप से उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून भी इस एक्सप्रेस-वे से लाभान्वित होगी।

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यदि आप कहें तो मैं लिखकर दे दूँगा। माननीय प्रतिपक्ष के सम्मानित साथियों ने और नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कहीं उन बातों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। आज निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है वह सच से परे है, सत्य से परे है और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे तमाम साथियों ने अपनी-अपनी बातें कहीं। मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं करता हूँ। चूँकि अभी उत्तराखण्ड परिवहन सड़क दुर्घटना राहत निधि का जिक्र हुआ। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात कही गयी कि उत्तराखण्ड परिवहन सड़क राहत निधि की स्थापना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की गयी है। यह अभिभाषण 24 तारीख को इस सदन के सम्मुख रखा गया है, वहीं दूसरी ओर, जैसा मैंने कहा कि यह अभिभाषण सत्य से परे है। वहीं दूसरी ओर दिनाँक 26-02-2009 को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में, आज परिवहन मंत्री जी यहाँ पर नहीं हैं, उन्होंने जो जवाब दिया मैं उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। मैंने प्रश्न किया था कि क्या परिवहन मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उत्तराखण्ड परिवहन सड़क दुर्घटना राहत निधि का गठन किया गया है, तो माननीय मंत्री जी का उत्तर आता है-'जी नहीं।' यह बात मैंने नहीं कही, ये बात सदन में मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा कही गयी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये महामहिम जी का अभिभाषण सत्य से परे है। फोनिया जी आपने कहा था कि यदि हम इसको पढ़ते तो बहुत अच्छा होता, यदि हम इस अभिभाषण को सुनते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन के अंदर रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे। आपने उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना में राहत निधि की स्थापना का जो जिक्र किया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह स्थापना हुई है या नहीं। इसको भी आप इस सदन में निश्चित रूप से स्पष्ट करने का कार्य करेंगे।

मान्यवर, मैंने कहा कि यह अभिभाषण सत्य से परे है। इसका दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में लिखा गया है कि 'मेरी सरकार द्वारा मौसम आधारित सेब बीमा योजना का लाभ कृषकों को दिया जा रहा है।' माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि मैं स्वयं भी सेब का उत्पादन करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे सेब के बागान हैं। मेरा छोटा भाई जब बीमा कराने गया तो बीमा के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए इस बीमा योजना को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वह बात कह रहा हूं, जो घटना मेरे साथ घटी। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आपने कहा कि हम सेब बीमा योजना इस प्रदेश में लागू कर रहे हैं। ये दो उदाहरण मैंने इसलिए दिए, ये दोनों ही बातें इस बात का संकेत हैं, इस बात की द्योतक हैं कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सत्य से परे है। माननीय अध्यक्ष जी, अन्य विषयों पर यदि मैं अपनी बात कहूँगा तो आप कहेंगे कि ये बातें पहले भी आ चुकी हैं। ये बातें दुबारा दोहराई जा रही हैं। इसलिए मैं इसपर बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं।

एस0सी0पी0 और एस0टी0पी0 का जिक्र इस सदन में प्रश्न प्रहर में हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति सरकार का कितना ध्यान है, वह इस सदन में आपके सम्मुख आया है लेकिन मुझे पीड़ा इस बात की है। अभी हमारे सम्मानित सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे कि व्यासी बाँध के शुभारम्भ के अवसर

पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहली मर्तबा जनजाति क्षेत्र में गये। हमें बड़ी उम्मीद थी, हमें बड़ा भरोसा था, माननीय मुख्यमंत्री जी पहली मर्तबा जनजाति क्षेत्र में आये हैं, निश्चित रूप से जिस तरह से प्रदेश के अन्य हिस्सों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, उसी तरह से जनजाति क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करेंगे। लेकिन पूरे जनजाति क्षेत्र के लोग इस बात से आहत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए लेकिन एक भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं की गयी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है, वह सत्य से परे है। आज प्रदेश के अन्दर केन्द्र सरकार के सहयोग से जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को अपनी योजना बता कर यह सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है और अगर देखा जाय तो सरकार यह भी नहीं कर पा रही है। एस0सी0पी0 के अन्दर जिस तरह से धन के बारे में बात हुई, वह प्रश्न माननीय सुरेन्द्र राकेश जी ने उठाया था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मुख्यमंत्री [मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री कोनिया जी द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए उठा हूं। जिसका कि श्री जोगा राम टम्टा जी ने समर्थन किया।

श्री अध्यक्ष जी–

आप बैठ कर भी बोल सकते हैं।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यदि पीठ में दर्द हो तो बैठकर बोल सकते हैं।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, धन्यवाद, जब आवश्यकता होगी बैठ जाऊँगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे और माननीय सदन से क्षमा चाहता हूं कि मैं पिछले दो दिन सदन में उपस्थित नहीं था, अस्वस्थ होने के कारण। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोगों के सुझाव मैं नहीं सुन सका हूं। आज जिनको सुन सका हूं, उनमें जो भी करने की आवश्यकता है, वह करूँगा लेकिन अन्य माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, उनको नोट किया गया है और यथा शीघ्र उन पर कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर माननीय अध्यक्ष जी, 20 सदस्य

बोले हैं, जिनमें माननीय नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि अपनी–अपनी बातें सबने रखी होंगी। महामहिम का अभिभाषण हो या इस तरह की कोई अन्य बातें हों, पक्ष और विपक्ष के अन्दर मतभेद होना स्वाभाविक है। अपनी बात किसी ने सामान्य तरीके से कही, किसी ने आक्रोश में कही, यह सब ठीक है। मैं इसको किसी प्रकार बुरा नहीं मानता हूँ। हम लोगों का कर्तव्य है, अगर हम लोग भी उधर बैठे होते तो यही कहते। इसलिये इसमें व्यक्तिगत रोष या भावना की आवश्यकता नहीं है।

आपने हमारी कमियाँ निकाली हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यह भी निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो भी किया है, पिछले दो सालों के अन्दर, कोशिश की है कि हम ईमानदारी से उस रास्ते पर चलें, जिसके लिये यह प्रदेश बना था। आन्दोलनकारियों ने अनेकों यातनायें सही, उत्तराखण्ड ने गोलीबारी को देखा है, उत्तराखण्ड ने मुजफ्फरनगर में अपमान सहा है। उसमें सभी लोग, हम लोग शामिल थे, आप लोग शामिल नहीं थे, यह संयोग की बात है। कष्ट सभी लोगों ने सहा है.......................।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मे०ज० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

आप शामिल थे, उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलन में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर छोटे प्रदेशों के पक्ष में नहीं थी। (व्यवधान) इसलिये मैंने साथ में यह भी कहा कि सभी लोग शामिल थे, लेकिन पार्टी शामिल नहीं थी।

(व्यवधान)

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपने चर्चा की है और इससे एक संदेश देश और प्रदेश में गलत जायेगा। हम सब लोग उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में शामिल थे, क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन एक जनान्दोलन था, वह किसी राजनैतिक दल की सीमाओं में नहीं बँधा था। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी से विधायक था, आपके साथ, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, आपके साथ मुजफ्फरनगर का दौरा हम लोगों ने किया। मैं पौड़ी सीट से विधायक था, जब पौड़ी में लाठीचार्ज हुआ तो आप, हम, सब लोग जेल भी गये थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी आये थे। कांग्रेस के भी आये थे, माननीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, हम सब लोग उनसे भी मिले थे। हम चाहे विपक्ष में बैठे हों या सत्ता पक्ष में बैठे हों, मैं समझता हूँ कि उस आन्दोलन में चाहे मुस्लिम लोग थे, हमारे अल्पसंख्यक भाई थे, यहाँ तक कि जो नेपाल के बहादुर थे, एक दिन मैं पौड़ी में एक दुकान में बैठा था तो बहादुरों का एक

जुलूस निकल रहा था और वे नारे लगा रहे थे कि 'आज दो-अभी दो, उत्तराखण्ड राज्य दो।' इसलिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लोगों ने यह लड़ाई लड़ी, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह टिप्पणी न करें। (व्यवधान) मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूँ, क्योंकि आन्दोलन में तो यहाँ बैठे सभी लोग थे।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी-

देखिये मैंने जो कहा कि शुरुआत में उत्तराखण्ड के सभी लोग शामिल थे। लेकिन हम लोग अपनी-अपनी पार्टियों की नीतियों से भी बँधे हुये हैं, इसलिये मुझे यह कहने में कोई शंका नहीं है आपको भी यह स्वीकार करना चाहिये, आपकी पार्टी उस समय छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं थी, ये मेरा कहने का आशय था।

(व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल-

मान्यवर, छोटे राज्य के पक्ष में नहीं थी, लेकिन आन्दोलन के पक्ष में थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप देखेंगे उत्तराखण्ड आन्दोलन में राज्य बनाने का मेमोरेन्डम, माननीय नरसिम्हा राव जी पौड़ी में आये थे, तो उनको राज्य बनाने के लिये जो ज्ञापन हमने दिया था, मैं उसकी प्रति आपको दे सकता हूँ।

काजी मो0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, उत्तराखण्ड बनाने का पहला प्रस्ताव जब भेजा गया था, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य बनाने का नारा सबसे पहले उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने दिया था और 1994 में सब लोग उसमें शामिल हुये थे।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, इस आन्दोलन में हमने अपने परिजन गँवाये हैं, आप पार्टी की बात करते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, ऋषि बल्लभ सुदरियाल जी ने 1972 में दिल्ली तक की यात्रा निकाली, गुंजी से गुंज्याल जी पैदल दिल्ली तक गये। 1979 में देवी दत्त पंत जी ने मसूरी में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल का गठन, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण को लेकर किया था। मान्यवर, इस बहस की कोई आवश्यकता नहीं है, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने सबसे

पहले अलग उत्तराखण्ड राज्य का नारा दिया, 1994 में इसमें और दल आये, जब जनता इस आन्दोलन में आई, चाहे वह काँग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो।

*श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, आप सदन में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं हैं, आप काँग्रेस की हैसियत से यहाँ पर हैं, आपके लिये जो भी सम्बोधन होगा, काँग्रेस पार्टी के नाम से सम्बोधन किया जायेगा। जिस दिन आप और मैं बाहर बैठेंगे, मैं कहूँगा पोत सिंह जी, आपने डण्डे भी खाये, आपने पिचकारियाँ भी खाई। लेकिन जब तक आप सदन में हैं, आप काँग्रेस की हैसियत से हैं। इसलिये आपको संबोधन कांग्रेस पार्टी को ही होगा।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस बात को यहीं समाप्त करें।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि काँग्रेस छोटे राज्यों की पक्षधर नहीं थी। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह टिप्पणी की थी और मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन तो कोई भी राष्ट्रीय दल चाहे काँग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह पुरानी बात हो गयी है अब मिलजुल करके हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं। इस विषय पर चिंतन करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "भई भाई"–

मान्यवर, यह टिप्पणी तो कार्यवाही से निकाल दी जाए।

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पूरे देश में इससे संदेश जाएगा कि काँग्रेस राज्य के विरोध में थी। जबकि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हमारा बहुमत था। उनके बहुमत से पास किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय रावत जी, आप इतिहास कैसे बदल देंगे, वो तो इतिहास की चीज है।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक था और माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी, कॉंग्रेस से विधायक थे और हमने लखनऊ की विधानसभा में सामूहिक रूप से कॉंग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी, मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक था, माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी उस समय कॉंग्रेस से विधायक थे, छः विधायक हमारे कॉंग्रेस से उत्तराखण्ड से थे और हम दस विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। हम लोगों ने सामूहिक लड़ाई लड़ी थी। (घोर व्यवधान) मान्यवर, मेरी पहली आस्था उत्तराखण्ड के प्रति है, इस देश के प्रति है, दल के प्रति बाद में है। मैं अपनी माँ के पेट से उत्तराखण्ड के, देश के नागरिक के रूप में पैदा हुआ हूँ, मेरी पहली आस्था उत्तराखण्ड के प्रति है, इस देश के प्रति है, दल के प्रति बाद में है। आपकी आस्था पहले दल के प्रति है और उसके बाद राज्य और देश के प्रति है।

(घोर व्यवधान)

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

माननीय अध्यक्ष जी, उस पर तो काफी चर्चा हो गयी। आपने मुझसे ज्यादा बोल लिया है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह हो सकता है कि भाजपा ने पहले स्वीकार किया हो, कांग्रेस ने बाद में स्वीकार किया हो, लेकिन पहले सभी राष्ट्रीय दल छोटे राज्यों के विरोध में थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, कृपया ध्यान रखिये। सदन की गरिमा बनाकर रखिये।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, जिनको हमें सबको स्वीकार करना पड़ा है। हरक सिंह जी ठीक कहते हैं कि हम कोई एक पार्टी या दूसरी पार्टी में नहीं हैं, अदला–बदली तो आजकल चलता रहा है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जिस पार्टी में हम हैं, उस पार्टी के सिद्धान्तों के आगे चलते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, जोकि सच हैं। अभी आप कह रहे थे कि आप और हम नरसिम्हा राव जी के पास गये थे, साथ गये थे और भी साथ तीन–चार आदमी थे, वहाँ पर क्या वार्ता हुई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसको यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उद्देश्य यह है कि मैंने जो आपसे कहा था, जिस दिशा में आंदोलनकारी जाना चाहते थे उस दिशा में सरकार ईमानदारी से कोशिश कर रही है। उसमें कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, आप बताएं हमको। इसलिए उस पर आगे न जाते हुए अभी जो कुछ बातें यहाँ पर हुई हैं, उनका मैं कोशिश करूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं यहाँ पर नहीं था। मान्यवर, लेकिन जो बातें ध्यान में लायी गई उनका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, आपने कहा कि सैफ गेमों की तैयारी प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई है, आपका मतलब शायद इसलिए था कि वह पोस्टपॉन हुए हैं, पोस्टपॉन इसलिए नहीं हुए हैं। हमारी तैयारी चल रही थी, हमें आशा थी कि हम फरवरी तक तैयारी कर पायेंगे, लेकिन 26–11 को जो हादसा हुआ

है उसके बाद टीम दिल्ली से आयी थी उन्होंने देखा, तैयारियों के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन इस परिस्थिति में हम नहीं चाहते थे कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सैफ गेम यहाँ पर हों, इसलिए वह बन्द हुए थे। हम बराबर उन पर काम कर रहे हैं, दिसम्बर या जनवरी, जब भी होगा, हम उसके लिए दूसरे प्रयोग करेंगे। हमारा अच्छा सौभाग्य था, हमको वही योजना बनाने का मौका मिला और जो चलता है वह अच्छी तरह चल रहा है, हमारा वह एक अच्छा शानदार स्थान बन पायेगा और हम उसके लिए ट्रैनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, जो भी होगा उसके बाद खेल समय-समय पर वहाँ पर करते रहेंगे।

दूसरी बात आपने कही कि उद्योगों ने पलायन करना प्रारम्भ कर दिया है, यह कुछ वास्तविक स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपको आँकड़े दे दूँगा जिससे आपको पता लगेगा, वर्ष 2007-08 में जब सरकार बनी थी तब 8281 करोड़ की पूँजी निवेश का प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ था, वर्ष 2008-09 में दिसम्बर तक 3940 करोड़ के पूँजी निवेश के प्रस्ताव हमको मिले थे, इसके अतिरिक्त वर्ष 2007-08 में 1551 उद्योग जिनमें 4718 करोड़ पूँजी निवेश हुआ, उत्पादन में आये। वर्ष 2008-09 में दिसम्बर तक 1007 उद्योग जिनमें 3363 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है, उत्पादन में आये हैं। इसके अलावा दूसरी भी चीजें हैं जैसे आपकी तरफ से भी वक्तव्य आया था, पहाड़ों में उद्योगीकरण का। हमने कोशिश की है कि पहाड़ों के अन्दर भी उद्योगीकरण हो, जो नहीं हो पाया, उसके लिए एक विशेष नीति बनी है। इसी प्रकार ऊर्जा के बारे में नीति बनी है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारा जो औद्योगिक पैकेज था वह 2013 तक एन0डी0ए0 सरकार ने दिया था, उसको घटाकर वर्तमान में 2010 है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से तीन दफे मिल चुका हूँ, वित्त मंत्री से मिल चुका हूँ। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इसको 2013 तक एक्सटेण्ड कर दें तो बहुत अच्छी बात है, इस वजह से भी लोग कम आ रहे हैं। ढाई साल प्रोडक्शन में लगता है, छूट मिल रही है जिस दिन प्रोडक्शन शुरू होगा, तो लोगों ने आना बन्द कर दिया, इसलिए हमको बड़ी परेशानी है। मैंने व्यक्तिगत रूप से हर प्रकार से प्रयास कर दिये हैं। आपकी सरकार अभी वहाँ पर है, आप लोग इसको कर सकें तो बड़ा अच्छा होगा। कम्प्यूटर के बारे में आपने शंका जताई कि कम्प्यूटर स्कूलों में जंग खा रहे हैं, यह सही है। मैंने आँकड़े इकट्ठा किये हैं, 2002 से 2007 तक 8900 कम्प्यूटर खरीदे गये थे, उनका उपयोग नहीं था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका सदुपयोग हो। जहाँ-जहाँ सम्भव है, जहाँ-जहाँ बिजली उपलब्ध है, उनको दिया जा रहा है।

उच्च शिक्षा के बारे में आपने चिन्ता जाहिर की है। 45 महाविद्यालयों में प्राचार्य नहीं हैं, यह सही बात है, प्राचार्यों की नियुक्ति जो न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। हमने प्रभारी प्राचार्य बनाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आप

सबसे सहमत हूँ कि उच्च शिक्षा में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, शिक्षक नहीं हैं, भवन नहीं हैं। हमारे पास जितनी मात्रा में प्रोफेसर, लेक्चरर होने चाहिए थे वह नहीं हैं, इसलिए हम इनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आँकड़े भी दिये थे कब, कितने और किस समय थे। हमारे शुरू से ही डिग्री कालेज बहुत खुल गये हैं उनमें भवन नहीं हैं, मुश्किल से अभी 26 परसेन्ट भवन हैं, कोई किराये पर चल रहा है तो कोई ऐसे ही चल रहा है, सब लोगों की उम्मीद है कि ठीक हो जायेगा, क्योंकि पाँच साल के अन्दर आपकी सरकार ने बनाये, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाये। मैंने कोशिश की है कि अब कम से कम महाविद्यालय को न बनाया जाय, जब तक कि हम पुराने को स्थापित नहीं कर सकते, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। मेडिकल कालेज के बारे में आपने कहा है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वह दयनीय स्थिति में है। कुछ समय थोड़ी समस्या हो गयी थी, अब कोई समस्या नहीं है। उसको हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हास्पिटल और मेडिकल कालेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी उसमें उपकरण चाहिए वह ले लिये गये हैं। बीच में कुछ फैकल्टी की परेशानी हुई थी, वह भी सुलझ गई है, फैकल्टी में भी कुछ लोग आ गये हैं, 65 प्रतिशत फैकल्टी आ गयी है और बेड एक्यूरेसी भी वहाँ पर बढ़ गई है, जो करीब 65 परसेन्ट है, तो मैं आपकी चिन्ता से सहमत हूँ लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह पूरी तरह व्यवस्थित हो।

पर्यटन के बारे में यह कहा गया था कि 20 लाख प्रत्येक विधायक को विधान सभा क्षेत्र में दिये जाने चाहिए थे, वह नहीं दिये गये। मेरी सूचना के अनुसार यह सभी प्रस्ताव गतिमान हैं, कुछ मिल गये हैं, कुछ चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आठ विधायकों से अभी तक प्रस्ताव नहीं आये हैं और पर्यटन मंत्री जी भी कोशिश करेंगे कि उनसे प्रस्ताव लें और ज्यादा सम्भावना है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपने एक और बिन्दु आबकारी नीति के बारे में कहा है कि आबकारी नीति सफल नहीं हुई है। आबकारी नीति में बहुत सारी कठिनाईयाँ हैं। इसको हम कब सफल कह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। एक पक्ष लीजिए आप बहुत आसान है, बहुत ज्यादा उससे अपना इनकम बढ़ाना। दूसरा पक्ष हमारा सामाजिक दायित्व है। हमको यह भी देखना है कि शराब के आधार पर ज्यादा पैसा वसूल न करें, लोगों की जो मान्यतायें हैं, सामाजिक मान्यतायें हैं, जो समाज में चरित्र निर्माण होता है, उसकी भी हम कोशिश करें। लेकिन अब आप इसको केवल तस्करी के माध्यम से देखें तो 43 हजार 634 बल्क लीटर शराब पकड़ी गई है और हमारी इनकम में भी 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नीति के आधार पर ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि नीतिगत गलतियाँ हों। हमारी बराबर कोशिश है दोनों बातें ध्यान में रखें। हमारा सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है। यह भी है कि तस्करी न हो। लोगों को लालायित न किया जाए कि शराब पियें। उनकी आदतों में कमी की जाए। ऐसा वातावरण न बने कि जैसे होटल में बैठकर लोग चाय पीते हैं, वैसे शराब पियें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने एक सवाल और पूछा था। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब नहीं देंगे तो वह असंतुष्ट रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

पुष्पेश जी, कृपया शान्त रहें।

मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उनकी चिन्ता आप क्यों करते हैं, वे स्वयं सक्षम हैं। कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछेंगे। गुनसोला जी ने, हाईड्रो पॉलिसी, इनर्जी के बारे में उन्होंने कुछ बात कही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कुछ उनकी टिप्पणी से सम्बन्धित है, कुछ नहीं है। पहली बात उन्होंने कही पी0पी0पी0 मोड में जा रहे हैं। वह इसमें शायद कुछ गलत संदेश है, जो नीति हमारे प्रदेश की है उसमें पहली नीति एक किलोवाट, दो किलोवाट और पाँच किलोवाट, एक मेगावाट तक सिर्फ उत्तराखण्ड के लोगों को ही दिया जायेगा। बाहर के किसी लोगों को नहीं दिया जायेगा। यह उनके लिए आरक्षित है। इसलिए आप का कहना कि दो, चार, पाँच और दस मेगावाट में हम पी0पी0पी0 में जा रहे हैं। यह शायद इसी गलतफहमी से है। एक मेगावाट से पाँच मेगावाट तक यह जो नई नीति हमने 2008–09 में बनाई है, उसमें प्राथमिकता पहाड़ के लोगों को, उत्तराखण्ड के लोगों को दी जा रही है, उत्तराखण्ड के निवासी हैं, उसमें छूट दी गई है अगर उनमें से कोई नहीं आता है तो फिर बाहर के लोगों को दिया जायेगा। पाँच मेगावाट से 25 मेगावाट तक जो नीति बनी है, उसमें ओपन बीड्स है। एक तो यह स्पष्टीकरण है दूसरा आपने कहा कि हमें गवर्नमेंट की एजेंसी से कराना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं देना चाहिए। हमारे पास जितनी भी क्षमता है, उस क्षमता का पूरा–पूरा इस्तेमाल करना हमारा उद्देश्य है। हमारे प्रदेश में विद्युत की क्षमता करीब 25 से 30 हजार तो सामान्य है, नहीं तो 40 से 45 हजार मेगावाट तक आँकी जाती है। हम मुश्किल से अभी 10 हजार तक पहुँचे हैं। इसलिए हमारी नीति यह है कि हमारा संगठन चाहे वह विद्युत विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, जो भी वह कर सकता है करे। इसीलिए हमने कुछ योजनायें अपने हाथ में ली।

मनेरी भाली परियोजना को अपने आप पूरा किया। अभी व्यासी की बात हो रही थी। वह भी एन0एच0पी0सी0 के साथ बहुत हमारी बातें चली, नहीं देना चाह रहे थे हमको। हमने वापस लिया और हम शुरू करेंगे। जो भी हमारी क्षमता है, पूरा का पूरा हमारा अपना संगठन करेगा। जो हमारी क्षमता से बाहर है, उसको हम ओपन टैन्डरिंग के हिसाब से बाहर के लोगों को देंगे। पहली प्राथमिकता, हमारा अपना सरकारी उपक्रम एन0टी0पी0सी0, एन0एच0पी0सी0 आये तो उनको देना चाहेंगे, अगर वह नहीं लेंगे तो फिर बाहर वालों को देंगे। इस ऊर्जा को ऐसे ही बहते रहना और ऐसे ही समुद्र में मिल जाए

यह अच्छा नहीं। किसी बाहर वाले का फेवर नहीं किया जा रहा है किसी को कोई इस तरह पी0पी0पी0 मोड में नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो कि सामान्य जानकारी में नहीं होगा, हमारा उद्देश्य, अपने संगठनों से अपने संसाधनों से ऊर्जा बनाने का यह भी फायदा है, अगर हम बाहर किसी को देते हैं, चाहे एन0टी0पी0सी0 को या एन0एच0पी0सी0 को दें तो वह हमको सिर्फ साढ़े 12 प्रतिशत देते हैं। मनेरी भाली में हमको 300 मेगावाट मिला। उसमें सिर्फ साढ़े 12 प्रतिशत हमको देते। हमने खुद बनाई है तो पूरा 300 का 300 मेगावाट हमको मिल रहा है। इसी प्रकार व्यासी में 120 मिलेगी। वह पूरी की पूरी हमको मिलेगी। हमारी क्षमता बढ़ सके इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए जितनी ज्यादा से ज्यादा योजनायें हैं, वह हम स्वयं करें। लेकिन इसमें मैन पॉवर की समस्या है, इसमें पैसे की समस्या है। इसलिए उस सीमा को रखकर हम ये काम कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए।

काजी जी की बात पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन फिर भी आपने एक छोटा सा नुस्खा छोड़ा था। मान्यवर, नन्दा देवी कन्या धन के बारे में कहा, इस पाँच हजार रुपये से क्या होगा ? काजी भाई इस पाँच हजार से कुछ नहीं होगा लेकिन आप किस दिशा में जाना चाहते हैं उसका यह एक सूचक है। पाँच हजार रुपये हम कन्या पैदा होने पर जमा कर रहे हैं। कन्या की भ्रूण हत्या न हो, उस चीज को हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार से हम प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं कि कन्याओं को जिन्दा रखें और 15 या 18 साल बाद उसकी शादी की उम्र या पढ़ने की उम्र हो जाती है। उस समय तक यह रुपया पच्चीस से तीस हजार हो जायेगा। हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन यह भी अच्छा होता कि हम उसको पच्चीस से तीस लाख रुपया दे दें, यह हमारी क्षमता नहीं है। क्योंकि आपने भी खुद ही यह कहा है कि बजट तो है नहीं और लुटाये जा रहे हैं, इस प्रकार से दोनों चीज तो नहीं चलेगी ना। आपकी अन्य टिप्पणियों पर मैं बाद में आऊँगा।

माननीय चौ0 यशवीर सिंह जी ने पी0डब्ल्यू0डी0 में कोटिंग लो करने को कहा था, ये बीमारी हो गयी हैं लेकिन आप मुझे बतायें क्या करें इसका ? कायदे जो हैं, लोएस्ट कोट से देना पड़ता है। मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि वे वर्केबिल और नॉनवर्केबिल भी देखें, लेकिन जैसी प्रथा है, यदि कोई इसे नॉनवर्केबिल कहे तो उस पर आरोप लगता है कि वह इसको किसी दूसरे को देना चाहता है या ज्यादा कीमत में देना चाहता है इस प्रकार से हम एक भवर में फँसे हैं, इससे निकलना आसान नहीं है।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, इसमें एक लिमिट तो कर दी जाय, जिससे उसमें गुणवत्ता आयेगी।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, अगर कोई काम दस लाख में होना है उसका जो वर्केबिल है उसे आठ लाख में देना है तो अब आप उसको कहेंगे कि आठ लाख के काम को दस लाख में करो। इस प्रकार अधिकारी समस्या में आ जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसको लॉटरी सिस्टम से कर लीजिए। (हँसी)

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, दूसरी बात चौधरी साहब आपने कही थी कि विकलांग, विधवा पेंशन हरिद्वार जनपद में नहीं मिल रही है। क्षमा कीजिए यह बात सही नहीं है। जो आपने हरिद्वार का जिक्र किया है, जरा आप इससे देख लीजिए।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इसमें टाइम लिमिट कर दें, यदि कोई विधवा या विकलांग आवेदन लेकर जाता है समाज कल्याण विभाग में, एप्लाई करने के एक या दो महीने में उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि इसमें अनलिमिटेड टाईम लग जाता है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, आपका सुझाव स्वागत योग्य है। लेकिन हम सब जनप्रतिनिधि हैं और हमारा भी कर्तव्य है, मैं जहाँ–जहाँ जाता हूँ इसकी बात करता हूं और आप सब लोग क्यों नहीं कहते हैं। इन फॉर्म को लेकर क्यों नहीं आप उनके घर पर जाते हैं और उनसे हस्ताक्षर क्यों नहीं करते हैं ? (व्यवधान) चौधरी साहब हरिद्वार में दस बारह महीने के अन्दर 1 लाख 74 हजार उन लोगों को पेंशन मिली जिनको इस योजना के अन्तर्गत नहीं मिल रही थी।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, इसमें धन्यवाद की बात नहीं है। इसमें काम हो रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधि मिलेंगे तो बहुत अच्छी योजना होगी। गोचर के लिए अनिल जी ने हवाई पट्टी की बात कही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हवाई पट्टी चारों ओर बने, पन्तनगर हवाई पट्टी को बढ़ाया जा रहा है और पिथौरागढ़ हवाई पट्टी को बढ़ाया जा रहा है, गोचर के अन्दर कुछ लैण्डिंग की समस्या है, हम देख रहे हैं किस प्रकार से करें। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी को बढ़ाया जा रहा है। काजी निजामुद्दीन साहब ने काफी बातें कही हैं, जिससे सारा पेज भर गया है। आपने राजधानी की बात कही है, हम भी समझते हैं। लेकिन काजी साहब कुछ समस्या ऐसी है, जो जल्दी में करके बाद में पछताने वाली हो जायेगी। सात साल, साढ़े सात साल इस रिपोर्ट को आने में लग गये हैं। इसलिए मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, पहले हम जो पढ़ें और समझें और जो हमारी कैबिनेट है वो समझे। मैं आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ कि हम सब लोग इसमें

मिलजुल कर एक राय बनायें तब उस पर कोई निर्णय लिया जायेगा। आप लोगों से भी पूछा जायेगा और जनता से भी पूछा जायेगा। उन्होंने जिस प्रकार से सुझाव दिये हैं उसमें चर्चा कराने की आवश्यकता है। इसलिए हमको इसमें थोड़ा समय दीजिए, धैर्य रखिये आप लोग इसमें सात साल ठहर गये हैं।

आपने कहा, फरेब शब्द आपने जो इस्तेमाल किया मुझे अफसोस हुआ। आपने गैस के पूलर के लिए कहा। हमने जो शुरू में किया था। आपने कैसी शब्दावली, आप फरेब कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ हेराफेरी। हमने कहा जब योजना शुरू हुई थी, बजट हमने 4–4.50 करोड़ किया था। हमारी उम्मीद थी कि हम इसमें खर्च करेंगे, इसलिए ऐसा रखा था। अब इसमें हमने जिस प्रकार योजना बनाई है, हम चाहते हैं जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको मिले, लेकिन ऐसा नहीं है जो अधिकृत नहीं हैं। जिनको मान्यता है उनको मिले। इसमें थोड़ी कमी होगी लेकिन आपकी बात को ध्यान में रखूंगा। आंतरिक संसाधन आपने कुछ मजाक सा उड़ा कर बताया कि सरकार के पास संसाधन कहाँ से मिलेंगे। काजी भाई, मैं आपको बताऊँ इस प्रदेश के अंदर इतने संसाधन हैं, इतने संसाधन हैं कि अपने खर्च के अलावा और प्रदेशों को हम ऋण दे सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट) अभी मैंने 30 हजार मेगावाट की बात बताई। एक मेगावाट पर एक करोड़ मिलता है, आप 10 हजार मेगावाट और बना दीजिये 10 हजार करोड़ सीधे मिल रहे हैं। कहाँ है पैसे की कमी, नहीं है।

काजी मो० निजामुद्दीन–

लेकिन मान्यवर, आप मानें या न माने, हैं फेबरीटेल्ब। आप चाहते हुए भी अगर आप यह चाहने लगें कि मैं इतने हजार मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट ले आऊँ तो डी०पी०आर० बनाने में आपकी सरकार का समय चला जायेगा।

मे०ज० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूरी–

मैं समझता हूँ न, यह बात आप भी समझते हैं। काजी साहब कहीं न कहीं से शुरूआत तो होगी न। कहीं न कहीं शुरूआत करनी है। इसलिए आप हमारे उद्देश्यों के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी समय कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि चार साल लगते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो। इसमें जो हमारी मनेरी भाली में पुराना काम चल रहा था, हमने बुलाया कहा कि काम जल्दी हो। हममें यह क्षमता है। सिर्फ पॉवर ही नहीं है, हमारे पास हर एक प्रकार की पॉवर है। लेकिन पॉवर के अलावा पर्यटन हमारा कितना बड़ा क्षेत्र है।

काजी मो० निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने आपकी बात रोककर, कल एक शेर माननीय पंत जी को नजर किया था कि–

"उम्रेदराज माँग कर लाये थे चार दिन।
दो गुजर गए आरजू में और दो इंतजार में।।"

शो मान्यवर दो तो आरजू में गुजर गए और दो इंतजार में गुजर जायेंगे। (हँसी)

मे०ज० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

काजी भाई, ये मैं कहूँ तो जँचता है, आप पर नहीं जँचता है। (हँसी) हमारी उम्र कम है, आपकी बहुत लम्बी उम्र है अभी। आपकी दुआ से सरकार की भी बहुत उम्र लम्बी होगी और सरकार में कोई भी रहे, यह प्रक्रिया है, वह चल पड़ती है तो वह चलती है। इसलिए जड़ी–बूटी में बहुत कुछ है। बहुत सारे संसाधन हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, नया बोर्ड बनाया है। समय लगेगा लेकिन आपसे इतनी इल्तजा है हुजूर कि आप सिर्फ यूं समझें कि हम शुरूआत कर रहे हैं। हम ईमानदारी से शुरूआत कर रहे हैं, उसमें शंका है तो आप बात करिये। आपने कहा जमीन नहीं दे रहे हैं आई०आई०एम० के लिए। यह तो सही नहीं है। सरकार ने हमसे जमीन माँगी 200 एकड़। हमने कहा कहीं भी पर्वतीय क्षेत्र में 200 एकड़ हम दे नहीं सकते। आजकल इण्डस्ट्री के लिए हम जमीन दे चुके हैं। मैदान में जमीन बहुत मुश्किल है। वह भी खेती की जमीन रह गयी है। हमने उनको लिखा कि आप 100 एकड़ में मान जाइये। तीन चार जगह मैंने उनको नाम दिये। वो तो उनके पास है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि पंतनगर में 200 एकड़ जमीन दे दो, खेती की जमीन, वह नहीं दे सकते। इसलिए हमने उनको लिखकर कहा बहुत पहले कहा, अब वो नहीं कर रही है, जब करेंगी उनकी मर्जी।

बी०पी०एल० के सम्बन्ध में आपने कहा बँटवा दें। उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्थिति को समझें। केन्द्र सरकार ने संख्या फिक्स की हुई है, उस संख्या पर वो हैं और अगर हम एक बढ़ाना चाहते हैं तो आपका एक काटना पड़ेगा। असीमित संख्या नहीं है। इसलिए इसमें कुछ परेशानियाँ हैं, मेरा भी इस पर ध्यान है, लेकिन करेंगे। राशन कार्ड, राशन कार्ड में कमी है। छपने में कमी हुई थी, पचास लाख कार्ड छापे हैं। इसमें कमी है मैं मानता हूँ। इसको दूर किया जा रहा है और शायद अब बँटने शुरू हो गये होंगे। ज्यादा डिटेल नहीं पता है। हमने आर्डर दिया था, विलम्ब हुआ है और हमने कहा है कि फेजेज में आप दीजिए। 50–50 हजार दीजिए ताकि बँट सकें और अगर आज के दिन में नहीं बन रहे हैं तो मैं माफी माँगता हूँ। लेकिन ये प्रिन्टिंग के आर्डर करीब एक महीने पहले दे दिये गये थे। आपने अभी एक शेर से खत्म किया था तो मैं भी अर्ज करूँगा आपसे। अब आपने बहुत सारी बातें कहीं हैं उनका जवाब मैं दे नहीं सकता। कुछ मजबूरियाँ हैं कुछ परिस्थितियाँ हैं।

"उनको यह शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते,
अपनी तो आदत है हम कुछ नहीं कहते,
कहने को बहुत कुछ है अगर कहने पर आते,
दुनिया की इनायत है कुछ कह नहीं पाते।।"

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, माननीय श्री मनोज तिवारी जी ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की बात कही। श्री मनोज जी, यह बात सही नहीं है। आपने इस हाउस में भी संकल्प भेजा है। मैंने तीन चिट्ठियाँ लिखी हैं, मैं माननीय श्री अर्जुन सिंह जी से मिला हूँ, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा है कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मैंने तीन जगह के लिए कहा है, तो उन्होंने गढ़वाल को छाँटा है तो आप इस प्रकार का दोषारोपण मुझ पर न कीजिए और आप के लिए भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार की भावना हम फैलायेंगे कि सरकार में कोई क्षेत्रवाद कर रहा है, जातिवाद कर रहा है तो यह उचित नहीं है। मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही तो आप तो उद्घाटन में शामिल थे, कितने पत्थर अल्मोड़ा में लगे थे। जहाँ तक अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की बात है तो इस सरकार ने शुरू किया, आपकी सरकार ने उसकी घोषणा की थी। एक पैसा उसके लिए नहीं दिया था, इस सरकार ने पहले 5 करोड़ दिया है, उसके अन्दर टेण्डर हो गये हैं, एजेंसी फिक्स हो गई है कि किसको बना करनी है, अभी उसकी चार दिवारी का काम शुरू होने वाला है।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, अभी कुछ काम नहीं हुआ है, अभी पत्थरों ही आने से पहले जिलाधिकारी से पूछा है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, प्रक्रिया है, मैं बता रहा हूँ कि उसकी एजेंसी तय हुई है, उसकी टेण्डरी की प्रोसेस होती है और 5 करोड़ दिया है और यह कह दिया है कि उसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। उसको भी हम बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे। मान्यवर, आपने यह भी कहा है कि अभिभाषण में बहुत सारी बातें कही गई हैं, कई विधायक क्षेत्र हैं तो हर विधायक क्षेत्र का वर्णन नहीं होता है, काम आपके क्षेत्र में बहुत हो रहे हैं, यह आपको मालूम है और हमें भी मालूम है। माननीय श्री मुन्ना सिंह जी ने दुर्घटना के बारे में बात की और श्री प्रीतम सिंह जी ने कहा है। उसमें कुछ शंकायें हैं, यह हमारी जानकारी में है। कम्पनसेशन जो शुरू में ये था, जब मैं आपके क्षेत्र में पहले दिन गया था, मेरा अपना अनुभव सांसद होने के नाते यह है कि कुछ कहा जाता था, इसको इतना पैसा देर में मिलेगा या मिलता नहीं था, किसी को एक लाख, किसी को 50 हजार, किसी को 20 हजार, किसी को 2 लाख, तो इसलिए हमने कहा कि जिसकी मृत्यु होती है उसको 50 हजार दीजिए, गम्भीर घायल को 25 हजार दीजिए, कम घायल को 5 हजार दीजिए और उसमें वर्डिंग में यह है कि सरकारी यात्रा से जा रहा है या बस से जा रहा है, यह इस प्रकार है। उसमें भी यह विचार कर रहे हैं कि इसको और क्या लिबरलाइज किया जा सकता है। यह किस के लिए है, यह गरीब आदमी की मदद के लिए है, जो अपना इलाज नहीं करा सकता है, उसके लिए है। क्या हम उनको भी दें जो बड़ी-बड़ी लग्जरी में घूम रहे हैं ?

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, वो लेंगे भी नहीं।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि देना–नहीं देना, एक प्रशासन की व्यवस्था होती है, आप उनको ढूंढेंगे। जहाँ तक देने का सवाल है, किसी ने कहा कि वह नहीं है, तो डी0एम0 को आदेश है कि वह तुरन्त जाकर वहाँ पर देगा, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर हमने तो देखा नहीं किसी डी0एम0 ने ऐसा किया है।

(व्यवधान)

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, मैं इसको ठीक कर दूँगा। यह प्रक्रिया इसलिए शुरू हुई थी।

(व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, 14 लोग मुजफ्फरनगर में मरे थे, आपके मंगलौर के, उनके घर में जाकर दिया।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, यदि 10 को मिल गया और एक को नहीं मिला तो बात उसकी होती है, जिसको नहीं मिला तो मैं उसको सही करूँगा। उद्देश्य को समझिए कि डी0एम0 को बिना किसी से पूछे हुये और जब–जब हमने पूछा मुझे बताया गया कि डी0एम0 स्वयं जाता है या एस0डी0एम0 को भेजता है यदि नहीं हो रहा है तो इसको कराया जायेगा।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं सूची उपलब्ध करा दूँगा।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, हाँ–हाँ दीजिए, मैं अवश्य उस डी0एम0 से पूछूँगा। इसका आदेश बहुत स्पष्ट है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। दूसरा एक्सप्रेस–वे की बात श्री मुन्ना जी ने कही है। यू0पी0 सरकार के साथ इस बारे में वार्ता हमारी चल रही है और हमारा उद्देश्य है कि एक्सप्रेस–वे जो उत्तर प्रदेश में बना रहा है, वह देहरादून तक एक्सटैन्ड किया जाए और एक्सप्रेस–वे का मतलब है कि वह वन–वे ट्रैफिक है, इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। मान्यवर, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं इसका एक प्रेजेंटेशन उन्होंने हम को दिया है अभी यह तय नहीं हो पाया है कि कौन इसका स्टीमेट बनायेगा, कौन एजेंसी इसको करेगी। माननीय प्रीतम सिंह जी ने दुर्घटना योजना के बारे

में कहा, माननीय प्रीतम सिंह जी ने हमारी गलती पकड़ी है भाषण और प्रस्ताव में।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, चूंकि जवाब बहुत महत्वपूर्ण है अगर माननीय मंत्री जी सदन में यह कहेंगे कि अभी गठन नहीं हुआ है, जबकि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है कि इसका गठन किया गया है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आपकी सूचना के लिए कह रहा हूँ कि सड़क राहत निधि में जनवरी, 2008 तक इसमें धन बांटे गये हैं और चूंकि जनवरी 2008 में यह गठित हुई थी। अतः इसमें कुछ विलम्ब हुआ है, इसलिए जवाब देने में कठिनाई हुई होगी। मैं इसे देख लूंगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण 24 तारीख का है और मेरे प्रश्न का जवाब 25 तारीख का है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, यह योजना आज की नहीं, पहले ही यह योजना बन गयी थी, यह कार्यान्वित हो रही है और लोगों को पैसा मिल रहा है। आपने सेब बीमा योजना के बारे में कहा कि यह नहीं है, यह भी ठीक नहीं है। आपके किसी केस में नहीं मिला होगा। मैंने अभी जानकारी ली है कि सेब बीमा योजना का 2.25 करोड़ रु0 बीमा कम्पनी को दिया गया है, उन्हें शायद अभी बाँटने में समय लगेगा, लेकिन जिनको देना होगा, पैसा उनको दे दिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, चूंकि मैं स्वयं सेब काश्तकार हूँ, पिछले वर्ष आपने दिया था, वह मिलने जा रहा है। मैं यह कह रहा हूँ कि जो इस वर्ष का बीमा होना था, वह बीमा नहीं हुआ है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, आपका कहना है कि पिछले साल का बीमा अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है। मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो सेब का बीमा होता है, वह 15 नवम्बर से पूर्व होना चाहिए था, इसका समय तो निकल गया है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, इसको भी देख लेंगे, लेकिन इसमें सवा दो करोड़ रु0 दे दिया है, इसमें कुछ कमी होगी तो देख लिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरे कुछ बिन्दु थे जिनको मैंने नोट किया था।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदुँ भाई"–

मान्यवर, इस हाउस में बातें तो बहुत आयी, लेकिन प्रदेश में इतना बड़ा सूखा पड़ा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। दूसरी बात ऋण माफी की योजना आयी, पर्वतीय क्षेत्रों में इसका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पाया है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, ऋण माफी तो केन्द्र की योजना है, जहाँ तक सूखे का सवाल है, इसमें हमने केन्द्र से रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी टीम भेजें, क्योंकि एक प्रक्रिया है। केन्द्रीय टीम आइडेंटीफाई करती है कि कहाँ–कहाँ पर सूखा पड़ा है, उसके हिसाब से हमने कह दिया था। दुर्भाग्य से ही इस बीच में एक बारिश हो गयी थी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसमें मेरा अनुरोध है कि राजस्व वसूली स्थगित कर दें।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, वह तो कर दी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने जिलाधिकारी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि शासन की ओर से ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, ऐसा है, अगर नहीं हुए हैं तो हो जायेंगे। इस पर सैद्धान्तिक स्वीकृति दे दी गयी थी।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश में समान रूप से करें, ऐसा न हो कि किन्हीं जनपदों में यह लागू न हो।

मे0ज0 (से0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूडी–

मान्यवर, जहाँ पर सूखा है एक प्रतिशत से एयव, हम यह आप से कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे कुछ बिन्दु थे और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि कोई चीजें छूट गयी हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उन पर भी ध्यान दिया जायेगा। अन्त में मैं नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि महामहिम के धन्यवाद के प्रस्ताव को सभी सर्वसम्मति से पास कर दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि मैं सदन का बहुत समय नहीं लूँगा। इसलिए जैसे मुझे जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं बहुत लम्बी–चौड़ी बात नहीं रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं दो–तीन बिन्दु जरूर रखना चाहता हूँ। मान्यवर, इस प्रदेश को बने हुए 8 वर्ष हो गये हैं, पर यह दुर्भाग्य है प्रदेश का कि हमने पूरे प्रदेश का मास्टर प्लान अब तक नहीं बनाया है। अभी तक हमारे प्रदेश का जो विकास हो रहा है, अनियोजित तरीके से हो रहा है। कहीं एक परिवार है, वह सड़क माँगते हैं, हम सड़क दे देते हैं, स्कूल माँगते हैं, स्कूल बनता है, बिजली की लाईन देनी पड़ती है। इस तरह जहाँ–जहाँ माँग होती है, हम माँग को पूरा करते चले जाते हैं। अगर पूरे प्रदेश का एक मास्टर प्लान तैयार होता, हम एक निश्चित ऊँचाई पर वनीकरण करते, एक निश्चित ऊँचाई पर उद्यानीकरण करते और एक निश्चित ऊँचाई पर आबादी का विकास करते। उससे जो मानव जीवन से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, सड़क, दूरसंचार इन सारी सुविधाओं को कम खर्च पर, कम व्यय पर हम शायद उत्तराखण्ड की जनता को उपलब्ध करा पाते। इस तरह का अभाव आज भी कहीं न कहीं है।

हम उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखण्ड का विकास कर रहे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी सदस्य रहने और मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। तब किसी गाँव का कोई प्रतिनिधि मण्डल मिलता था तो हम हाईस्कूल खोल देते थे। कहीं के लोग आते थे तो हम सड़क स्वीकृत करा देते थे। वही परिपाटी आज भी हमारे प्रदेश में जारी है। इससे अनियोजित विकास हो रहा है। अधिक खर्च और कम विकास। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक ऐसी कार्ययोजना पूरे प्रदेश के लिए बननी चाहिए जिससे हम कम खर्च में अधिक उपयोगी सुविधाएं उत्तराखण्ड की जनता को उपलब्ध करा सकें। मान्यवर, गढ़वाल विश्वविद्यालय

का जिक्र भी आया, मैं आभारी हूँ केन्द्र सरकार का। इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके लिए सभी लोगों ने प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किया। हम लोगों ने भी प्रयास किया। हमारे सांसद विजय बहुगुणा जी ने भी प्रयास किया। मैं केन्द्रीय मंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और माननीय सदस्य मनोज तिवारी जी ने भी कहा, एक विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया है और हम प्रयास करेंगे कि हमारा दूसरा विश्वविद्यालय भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाय। जिस तरह से दिल्ली प्रदेश में जे0एन0यू0 भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और दिल्ली विश्वविद्यालय भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। हालांकि वहाँ परिस्थितियाँ भिन्न थीं, क्योंकि ये दोनों विश्वविद्यालय उस स्थिति में केन्द्रीय विश्वविद्यालय थे, जब दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश था। लेकिन फिर भी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस तरह का प्रयास किया जा सकता है।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, पेयजल के बारे में। मैंने कल भी जिक्र किया था कि स्वैप के माध्यम से प्राकृतिक जल स्रोतों से जो योजना बन रही है, उसमें एन0जी0ओ0 के माध्यम से काम हो तो शायद कठिनाई नहीं है। पहले भी इस तरह की पेयजल योजनाएं बनी हैं, लेकिन पम्पिंग योजना की लागत 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ तक है। अब ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गाँव की जो एकल पेयजल योजना थी, जब ग्राम सभाओं के हवाले उन योजनाओं को किया, तो उनकी हालत क्या हो गयी ? हमको विधायक निधि से, सांसद निधि से उनके रख–रखाव के लिए पैसा देना पड़ा इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह निर्णय लिया गया कि स्वैप के माध्यम से पम्पिंग योजनाओं को भी बनाया जाय, भले ही अंशदान आपने कम कर दिया हो। लेकिन आप 20 करोड़ की योजना के विरुद्ध एक करोड़ भी अंशदान करेंगे, तो हमारे गाँवों में चूंकि उस तरह की परम्पराएं नहीं रह गयी, जब लोग सामूहिक रूप से रास्ते बनाते थे, अपने पेयजल के लिए व्यवस्था करते थे। उस तरह की भावना अब गाँवों में नहीं है। माननीय पन्त जी बार–बार घड़ी दिखा रहे हैं, यह बात सही भी है। मैंने स्वयं भी कहा था कि मैं कम समय लूंगा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, प्रक्रिया यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी यदि स्पष्टीकरण लेते हुये अपने प्रस्ताव पर बल दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्टीकरण ही ले रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वैप का जिक्र किया, इसलिये मैं स्पष्टीकरण माँग रहा हूँ, यह सम्भव नहीं है। एक जल विद्युत परियोजना में हो सकता है कि त्रुटिवश हुआ हो कि पंचेश्वर बाँध परियोजना जो 6 हजार मेगावाट की है, का उल्लेख अभिभाषण में

में हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि यह सही है, क्योंकि 2400 मेगावाट की टिहरी योजना, जो एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत योजना है। (व्यवधान) अगर 6 हजार मेगावाट की वह योजना है तो वह बहुत बड़ी परियोजना है। मैंने इसका उल्लेख इसलिये किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि, एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी की है और उससे भी तिगुनी यह परियोजना है। टिहरी, जो अभी 1000 मेगावाट का उत्पादन कर रही है और फेज-2 को मिलाकर 2400 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि यह 6000 मेगावाट की योजना का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है। मुझे याद है कि श्रीनगर जल विद्युत योजना का शिलान्यास 1980 में हुआ था, जब मैं श्रीनगर में छात्र नेता था और आज उसमें 330 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, मैं अवगत करा दूँ कि पंचेश्वर योजना में नेपाल और भारतवर्ष सम्मिलित रूप से काम करेंगे। इसकी योजना बन रही है, क्योंकि इसका अधिकतर हिस्सा हमारे उत्तराखण्ड में है, इसलिये हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, इस पर विचार चल रहा है कितनी बिजली हमें मिलेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरी जिज्ञासा सिर्फ इसमें इतनी थी कि यह योजना अगर 6000 मेगावाट की है तो कहीं ऐसा न हो कि टिहरी योजना की शुरूआत तब हुई थी, जब मैं बच्चा था और आज मेरी उम्र 50 साल की होने जा रही है, तब वह 1000 मेगावाट का उत्पादन कर पा रही है। यह 6000 मेगावाट की योजना कब पूरी होगी, हम लोग रहेंगे या नहीं या हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ ले पायेगी या नहीं। यह बनेगी भी या नहीं बनेगी, पता नहीं। (हँसी)

माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राचार्य के बारे में स्वयं ही अपने भाषण में कह दिया कि इसके लिये निर्णय ले रहे हैं। श्रीनगर मेडिकल कालेज के बारे में मैंने कल यहाँ पर कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी तब आप यहाँ पर नहीं थे, जो आपका प्रयास था, सांसद के रूप में, मैंने उसके लिये भी धन्यवाद दिया। भले ही आपने श्रीनगर मेडिकल कालेज में हमें मौका नहीं दिया, शायद आप घबरा गये, आपको लगा कि कहीं मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी न फेर दूँ और उसको अपने खाते में न डाल दूँ।

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

माननीय हरक सिंह जी, जो प्रक्रिया प्रदेश में है, जिसे आप सब लोग मानते हैं, उसमें किस को बुलाया जाता है, यह आप ध्यान में रखें। आप न तो उस क्षेत्र के विधायक थे और फिर भी मैंने आपको बुलाया था, कृपया उस बात को भी ध्यान में रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जब उसी श्रीनगर मेडिकल कालेज का शिलान्यास हुआ था तो पूरे पौड़ी जनपद के विधायकों और मंत्रियों को उसमें बुलाया गया था। जब उसी मेडिकल कालेज का शिलान्यास पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था। मान्यवर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो नियम से अधिक परम्पराओं से चलती हैं। आप विधायक भी हैं, आप कहेंगे कि आप केवल विधायक के रूप में थे। लेकिन आप मुख्यमंत्री भी हैं, आप पर भी दोहरा उत्तरदायित्व है, यह ठीक है कि एज ए विधायक मैं लैंसडाउन का विधायक हूं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पूरे उत्तराखण्ड का हूं और मैं वहाँ पर मौजूद था, लेकिन आप घबरा गये, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इनके बोलने के बाद किसी और का भी नम्बर आयेगा कि नहीं आयेगा ? (हँसी)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष को पंचेश्वर जरूर बुलाया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह मेडिकल कालेज बना, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहा कि आपको फैकल्टी मिल रही है, धीरे–धीरे सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरह से वहां मरीजों को दिक्कत हो रही है, वहाँ पर जो फैकल्टी हैं, उनका व्यवहार बहुत खराब है। कोई गम्भीर व्यक्ति भी अगर शाम को वहाँ जा रहा है तो वे लोग ऐसा व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सारी बातें आप अपने पहले के भाषण में कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने पूरा भाषण आपका पढ़ लिया है। अगर आप अपने प्रस्ताव पर बल दें तो ठीक रहेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, शराब नीति के बारे में आपने कहा कि मैंने राजस्व बढ़ाने की बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने केवल राजस्व बढ़ाने की बात नहीं की थी अपने भाषण में। ऐसा लगा कि जैसे मैंने शराब नीति के मामले में केवल राजस्व बढ़ाने की बात की है। मैंने ये कहा था कि तस्करी तभी रूकेगी जब हम अपनी आबकारी नीति को, आप कोटद्वार में देखेंगे कि कोटद्वार में बिल्कुल जो हमारी चौकी है उसके पास उत्तर प्रदेश ने अपनी शराब की दुकान खोली है। इसलिए आपकी कोटद्वार की शराब की दुकान घाटे में है। यही विकास नगर में स्थिति है। आपकी शराब की तस्करी माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपकी शराब की तस्करी तब रूकेगी जब आप

अपनी शराब नीति बनाएं तो हिमाचल की, हरियाणा की, पंजाब की और उत्तर प्रदेश की, उनकी शराब नीति को देखते हुए जब अधिभार तय करेंगे, उससे तस्करी रूकेगी और आपके अपने प्रदेश की शराब बिकेगी। तो उससे कम टैक्स पर अधिक शराब बिकेगी, अधिक टैक्स आपको मिलेगा। यह इकोनॉमिक्स का, फाईनेन्स का सिद्धान्त है। (व्यवधान)

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूरी–

मान्यवर, इस बात पर विचार होता है, लेकिन वो लाईन कहाँ पर ड्रा होगी, कितनी घटाएंगे, कितनी बढ़ाएंगे, उसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं, लेकिन ये तो बात आप कह रहे हैं, इसकी चर्चा होनी है कि बाहर से रोकने का एक तरीका यह है कि कम कर दीजिए, कितना कम करें, उसकी कोई लाईन नहीं है। जैसे आप कह रहे हो, उसमें यह भी हो सकता है कि बहुत अधिक सस्ती कर दें तो लोग चाय के जैसे उसको पीना शुरू कर देंगे। इसलिए वो देखना पड़ता है। जो आपने सुझाव दिया है, उसका ध्यान रखा जाता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ और उसके बाद अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। गुणवत्ता की बात माननीय यशवीर चौधरी जी ने की। वैसे भी टेंडर की प्रक्रिया है कि जो शिड्यूल रेट होते हैं। शिड्यूल रेट से ज्यादा हाई रेट अगर मिलते है तो भी टेंडर कैन्सिल हो जाता है और शिड्यूल रेट से अगर बहुत लो रेट आते हैं तो भी टेंडर कैन्सिल हो जाता है, लेकिन आजकल पी0डब्ल्यू0डी0 में और जो कार्यदायी एजेन्सी हैं, उनमें यह होता है कि जो शिड्यूल रेट है, थर्टी परसेंट अगर ब्लाक कर दिया तो भी टेंडर उसके नाम हो जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि माना यह कागज अगर दस पैसे का है तो आठ पैसे में तो खरीदा जा सकता है, बारह पैसे में तो खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर इसको पाँच पैसे में दिया जाय तो निश्चित रूप से उसमें गुणवत्ता नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिड्यूल रेट से टेन परसेन्ट ऊपर या नीचे होना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, पंत जी बार–बार इशारा कर रहे हैं मेरी तरफ, जब हाट मिक्स सड़क कहीं बना रहे हैं, जैसे हमने फतेहपुर लैंसडौन एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से सड़क बनायी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमारी बात हुई, वो कहते हैं जितनी सड़क पहले पी0डब्ल्यू0डी0 की चौड़ी थी हम उतनी ही सड़क को हाट मिक्स करेंगे। आज 35 किलोमीटर हाट मिक्स सड़क पर खर्च हुआ 12 करोड़ रुपया। कल जब हम उसका चौड़ीकरण करेंगे, कार्नर काटे जाएंगे तो 12 करोड़ तो गये खड्डे में और फिर 24 करोड़ या उससे अधिक पैसा लगेगा। तो अगर हम इसी समय जब सड़क

हाट मिक्स कर रहे थे, उसी समय जो कार्नर कटिंग होने थे, हो सकता है 12 करोड़ से लेकर 4 करोड़ अधिक पड़ जाता, 16 करोड़ में हमारी यह सड़क हाट मिक्स भी हो जाती और चौड़ी भी हो जाती, लेकिन अगर इस समय हमने उतनी ही चौडी हाट मिक्स की और बाद में जब इसका चौड़ीकरण करेंगे तो फिर 24 करोड़ लगेगा तो फिर 12 करोड़ अभी खराब हो रहा है और 24 करोड़ बाद में खर्च होगा। तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, जब हम अपनी योजनाओं को स्वीकृत करें, इन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जैसे माननीय प्रीतम जी ने और तमाम विपक्ष के साथियों ने कहा है कि ये जो अभिभाषण है, सत्य से परे है और कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, इसमें कि कुछ आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप तो एडवेंचरर हैं, आर्मी में रहे हैं। अभी आशा जी कह रही थी कि सैन्य हर सीमाओं में किया है आपने, तो जैसे युद्ध में होता है, मैं तो मिलेट्री साइंस का विद्यार्थी हूँ, थ्योरी पढ़ी है मैंने, थ्योरी पढ़ाई है कि अगर युद्ध में कोई पुल ध्वस्त हो गया तो रातों–रात, एक घंटे में पुल का निर्माण करना होता है। कुछ एडवेंचर, कुछ नयापन और कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ आपके नेचर से, जो पूरे देश की सेवाएं आपकी रही हैं, उस हिसाब से प्रदेश कुछ नये ढर्रे पर, कुछ नया, हाँ जरूर हो रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, जैसे हमारे प्रीतम जी और तमाम लोग कह रहे थे कि इनकी बोलती जरूर बंद कर रखी है आपने। (हँसी) और मान्यवर, जब–जब ये दिल्ली जाते हैं, आपके खिलाफ और यहाँ आपके पक्ष में बोलते हैं। हम जब बार–बार इनको चुटकी लेकर कहते हैं तो आपके खिलाफ अब दिल्ली जाना बन्द कर दिया है। कोश्यारी जी, दिल्ली चले गये हैं, अब तो शान्ति से बैठो।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह विषय तो हास्य का विषय है, कभी–कभी बहुत गम्भीर बात के साथ–साथ हास्य हो जावे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसे कहा कि इसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार ने इन दो वर्षों में कुछ ऐसा किया हो कि जिसको प्रतिपक्ष में रहते हुए भी हम प्रतिपक्ष की सीमाओं को लाँघ कर आपकी तारीफ कर सकें। अगर कुछ ऐसा किया होता तो भले ही हमारा मन मस्तिष्क कहता कि हम प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन हमारा दिल आवाज करता कि कुछ अच्छा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मन मस्तिष्क तो कह ही रहा है कि इसमें कुछ नयापन नहीं है। यह प्रदेश हित में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन दिल भी नहीं कह रहा है कि कुछ अच्छा किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका विरोध करता हूँ। जो संशोधन हमने लिखित रूप में दिये हैं, जो भी हमारे तमाम सदस्यों ने चर्चा के दौरान संशोधनों का उल्लेख किया है, अपनी बातों का उल्लेख किया है, उन सब पर मैं बल देता हूँ।

श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो कुछ भी बोलना था मैं कल बोल चुका हूँ। मेरे साथी अगर अपने दिल को टटोलें तो वह सहमत होंगे, जो कुछ फोनिया जी ने कहा वह सत्य है। यह अभिभाषण जो है, जो आन्दोलन हुआ उत्तराखण्ड

बनाने का, लोग भीड़ पर भीड़ दिल्ली गये, मुजफ्फरनगर गये, कई जगह गये, इसके पीछे जो निहित लक्ष्य था, उसके पीछे जो उद्देश्य थे, उसकी पूर्ति का यह एक इन्डेक्स है। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना है जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने 'छलावा' शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि यह छलावा है। हमारे काजी साहब कहते हैं कि यह दिशाहीन है और प्रीतम सिंह जी कहते हैं कि यह सत्य से परे है। श्रीमन्, कभी–कभी ऊपरवाला भी पक्षपात करता है, सोचने और समझने की शक्ति बाँटते समय पक्षपात कर दिया, लगता है कि महानुभाव इसकी भाषा समझ नही पाये, मैं आपको दोष नहीं देता हूँ, मैं ऊपर वाले को दोष देता हूँ, जिसने आपको सोचने और समझने की शक्ति नहीं दी। एक तो मान्यवर, यह कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि बहुत सोचने वाले और समझने वाले सभी व्यक्ति हैं और जब इन्होंने भाषा समझ ली तो उन्होंने देख लिया कि अरे इससे तो उत्तराखण्ड का कायाकल्प हो जायेगा, हम कहीं के न रहेंगे, इसलिए ये बौखला गये। मान्यवर, दो कारणों के अतिरिक्त तीसरा कारण हो नहीं सकता। एक हमारे मित्र चौधरी जी ने कहा, आपने अपने मुख्यमंत्री जी की, मान्यवर, अशोक, विक्रमादित्य से तुलना कर दी। वह भी मेरी भाषा नही समझे। मैंने यह कहा था कि हमारे देश की परम्परा है, गुड गवर्नेन्स किसे कहते हैं ? अच्छा शासन। अच्छा शासन की परिभाषा है। सत्ता जनता के दरबार में जाय। अशोक महान अपनी धम्म यात्राओं के माध्यम से ऐसा करते थे और हर्षवर्धन अपनी गज यात्राओं के माध्यम से करते थे। गज का मतलब हाथी। उस हाथी का मतलब आपके हाथी से नहीं है। इसलिए माननीय चौधरी जी बौखला गये। (हँसी) सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी नही गये, हमारे सारे मंत्री जा रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) मैं आज अधिक बोलने के मूड में नहीं हूँ। जो कुछ बोलना था कल बोल चुका।

माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज की खुशी है मुझे, हमारे नेता प्रतिपक्ष हर रोज खुद कहते हैं कि मैं तो उनका ताऊ हूँ। इन्होंने अखबार में कहा कि मेरे ताऊ हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी सदन में हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बेटे ने मेरी कल की नसीहत को स्वीकार कर लिया है और मुन्सीला जी को अपने साथ बगल में बिठा लिया है। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप बदल गये। आपने तो कल इस तरफ बैठाने को कहा था, आज आप बदल गये, मुख्यमंत्री जी को देखकर। (हँसी)

श्री केदार सिंह फोनिया–

कुल मिलाकर मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। मैं यह सोचता हूँ कि यह जो अभिभाषण है, वह उपलब्धियों का एक जीता जागता दस्तावेज है। सिर्फ एक चीज अवश्य

कहूँगा, मैंने कल भी यह बात कही थी कि प्रजातंत्र प्रणाली जो है, वह सत्ता पक्ष और विपक्ष की है और हम तो विपक्ष को विपक्ष कहना पसंद नहीं करेंगे। अन्ततः हम सारे लोग चुनकर आये हैं, एक ही उद्देश्य के लिए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो विपक्ष के लोग जोर-शोर से कहें कि सदन नहीं चलने देंगे। यह किसी राजनीतिक दस्तावेज में लिखा है कि विपक्ष की भूमिका केवल अच्छे कामों का विरोध करना है ? इस पर मैं निवेदन करूँगा कि इस पर आप लोग मंथन करिये। सोचिये विचारिये। अगली बार जब फिर हम आपसे मिलेंगे और हम इसका उत्तर जानना चाहेंगे। मैं कहूँगा कि यह दस्तावेज उत्तराखण्ड के विकास की कुंजी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मानमीय नेता प्रतिपक्ष, क्या आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर दिये गये संशोधनों को वापस ले रहे हैं ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जी नहीं। मैं अपने संशोधनों पर बल दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय सदस्यों से प्राप्त जो संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, को स्वीकार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2009 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है," को स्वीकार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान, विशेष कार्याधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमान के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री तिलक राज बेहड़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2008 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना के संबंध में अवगत कराया गया कि वह 12 मई, 2008 को सायं 7:00

बजे सचिवालय में चतुर्थ तल पर श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान के कमरे में गरीब-बीमारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के प्रकरणों की जानकारी हेतु गये थे परन्तु श्री चौहान उत्तेजित हो गये तथा कहने लगे कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं श्री चौहान द्वारा उन्हें कुर्सी पर बैठने का भी आग्रह नहीं किया गया। जब उनके द्वारा पुनः जानकारी माँगी गयी तो श्री चौहान यह कह कर कि मुझे नहीं पता और फाइलें उठाकर चले गये। माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि श्री चौहान अन्य माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं। जो माननीय सदस्य श्री चौहान के कक्ष में जाते हैं, उनके साथ श्री चौहान का व्यवहार अच्छा नहीं होता है तथा श्री चौहान माननीय सदस्यों का सम्मान नहीं करते हैं। इस प्रकरण में माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की उक्त सूचना पर वस्तुस्थिति की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त की गई।

माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 के साथ श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार माननीय विधायक दिनांक 17 मई, 2008 को सायं 7.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आये और उनके द्वारा पूर्ण सम्मान के साथ उन्हें बैठने का अनुरोध किया गया था परन्तु माननीय विधायक जी द्वारा उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से दी जा रही आर्थिक सहायता के प्रकरणों की तुरन्त जानकारी दिये जाने की अपेक्षा की गयी, जिसे उनके द्वारा तत्काल ही अभिलेखों के अनुसार अवगत करा दिया था और यथा सम्भव माननीय सदस्य को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। श्री अरूणेन्द्र चौहान द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि माननीय विधायक द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप नितान्त भ्रामक एवं सत्य से परे है। उनका हमेशा प्रयास रहता है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों के साथ पूर्ण सम्मान के साथ व्यवहार किया जाय और तद्नुसार ही कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। श्री चौहान द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कभी भी किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। संभव है कि किसी संवादहीनता की वजह से माननीय सदस्य द्वारा ऐसा अनुभव किया गया हो। फिर भी यदि किसी स्तर पर कुछ गलतफहमी हो गयी है तो इसका उन्हें खेद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान के उपर्युक्त स्पष्टीकरण से संतुष्टि व्यक्त की है तथा यह अवगत कराया है कि श्री चौहान द्वारा कभी भी जनप्रतिनिधि से असम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया है, फिर भी माननीय विधायक को यदि अन्यथा अनुभूति हुई हो, तो उसके लिए श्री चौहान द्वारा खेद प्रकट किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं खेद प्रकाश तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रस्तुत सूचना को विशेषाधिकार हनन के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

जिला उत्तरकाशी के रवांई, जिला चमोली के जोशीमठ, जिला टिहरी के जौनपुर तथा जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी एवं धारचूला के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश कर दी जाय, पर प्रस्तुत संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं, संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जिला उत्तरकाशी के रवांई, जिला चमोली के जोशीमठ, जिला टिहरी के जौनपुर तथा जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी एवं धारचूला के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश कर दी जाय।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जिला उत्तरकाशी के रवांई, जिला चमोली के जोशीमठ, जिला टिहरी के जौनपुर तथा जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी एवं धारचूला के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश कर दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमोशुद्र, पौण्ड, माझी जाति के व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता के हों, को उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की संस्तुति कर दी जाए, पर प्रस्तुत संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमोशुद्र, पौण्ड, माझी जाति के व्यक्ति, जो भारतीय नागरिकता के हों, को उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की संस्तुति कर दी जाए।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में बसे बंगाली समुदाय के नमोशुद्र, पौण्ड, माझी जाति के व्यक्ति, जो भारतीय नागरिकता के हों, को उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की संस्तुति कर दी जाए।" को स्वीकार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किया जाय, ताकि युवाओं की सेना में अधिकारी बनने की रुचि बढ़ सके, पर दिनाँक 19 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री चन्दन रामदास द्वारा दिनाँक 19 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत संकल्प "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किया जाय, ताकि युवाओं में सेना में अधिकारी बनने की रुचि बढ़ सके।" पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाए, पर प्रस्तुत संकल्प

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाय", का संकल्प प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री प्रीतम सिंह तथा श्री रणजीत सिंह रावत द्वारा नियम–310 एवं हाजी तस्लीम अहमद तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा नियम–58 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का स्पष्टीकरण ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, आज आपके निर्देश से तीन विभिन्न विषयों पर अपने स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया था। इसमें से एक विषय जो नियम–310 के तहत दिया गया था। उसके संबंध में अवगत कराना है कि श्री भगीरथ लाल चौधरी, लखनी विहार, मो0–खताड़ी, रामनगर द्वारा शिकायत की गयी कि मो0 अकरम पुत्र श्री दुद्दू हसन का नाम दिनाँक 29–03–2008 को अध्यक्ष पद हेतु नामांकन–पत्र के साथ दिये गये शपथ–पत्र के मामले, नगरपालिका परिषद, रामनगर के वार्ड संख्या–17 के अन्तर्गत नजूल भूमि डिमाण्ड संख्या 50/17 पर वर्ष 2003–04 से दिनाँक 30–05–2008 तक अवैध कब्जाधारी के रूप में दर्ज

था। अतएव नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–13घ(ड) एवं धारा 43 कक(2)(क) के प्राविधानानुसार श्री अकरम, नगर पालिका परिषद्, रामनगर के पद पर चुने जाने अथवा बने रहने के लिए अनर्ह हैं। उक्त शिकायत के संबंध में तहसीलदार, रामनगर व अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, रामनगर की संयुक्त जाँच आख्या एवं उप जिलाधिकारी रामनगर की विवेचना, जाँच आख्या दिनाँक 18–06–2008 जिलाधिकारी, नैनीताल एवं राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई।

उप जिलाधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या में वर्णित किया गया है कि उक्त संयुक्त जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त शिकायतकर्ता श्री भगीरथ लाल चौधरी एवं विपक्षी श्री मो0 अकरम को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। श्री अकरम द्वारा उप जिलाधिकारी को अपना उत्तर दिनाँक 16–07–2008 को दिया गया है। जाँच अधिकारी, उप जिलाधिकारी, रामनगर द्वारा अपनी विवेचना में उल्लेख किया गया है कि श्री मो0 अकरम का नाम दिनाँक 29–03–2008 को नगरपालिका परिषद्, रामनगर के वार्ड संख्या–17 के भिमाण्ड संख्या–60/17 पर दर्ज था। जिससे संबंधित वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन था। इस तथ्य को श्री अकरम द्वारा अपने उक्त शपथ–पत्र दिनाँक 29–03–2008 के पैरा (ड) में उल्लेख करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इस प्रकार भूखण्ड संख्या–60/17 पर मो0 अकरम के सगे भाई मो0 अख्तर का कब्जा है एवं मो0 अख्तर उनके कानूनी वारिस हैं अतएव नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–13 घ(ट) एवं धारा 43–कक(2)(क) के प्राविधानानुसार श्री अकरम, नगर पालिका परिषद्, रामनगर के प्रकरण पर नियमानुसार निर्णय लिए जाने की कार्यवाही गतिमान है। श्रीमन्, इसमें दूसरा विषय था हाजी तस्लीम अहमद, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में कहना है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा अपने आदेश संख्या 131/उ0जि0आ0 पू0 अनु/2009, दिनाँक 24–02–2009 के द्वारा उक्त तनवीर खाँ, उचित दर विक्रेता के अनियमितता किये जाने के विरुद्ध सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को निलम्बित कर तथा जमा धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए एवं उससे सम्बद्ध राशन कार्डों को मै0 मोहम्मद इरफान, उचित दर विक्रेता, सुल्तानपुर से सम्बद्ध करते हुए कार्ड धारकों को अपनी दुकान के साथ–साथ नियंत्रित वस्तुओं के उठान एवं वितरण करने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। प्रकरण की जाँच चल रही है।

श्रीमन्, तीसरा प्रश्न श्री पुष्पेश त्रिपाठी, माननीय सदस्य द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा छठे वेतन आयोग की माँगों को लेकर है। इस संबंध में अवगत कराना है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को आलोच्य वित्तीय वर्ष 2008–09 में आयोजनागत पक्ष के तहत रु0 700 लाख के सापेक्ष रु0 354.45 लाख की धनराशि शासन स्तर से स्वीकृत की जा चुकी है। शेष धनराशि के संबंध में कार्यवाही गतिमान है। विश्वविद्यालय

के कार्मिकों के वेतन जी0पी0एफ0 आदि हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 867.312 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गयी है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

मान्यवर, 12 करोड़ 79 लाख की स्वीकृति है।

नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश तथा दूसरी श्री मनोज तिवारी जी कुल 02 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना, जो हरिद्वार जनपद के भाड़क्षेत्र, तहसील रुड़की को सूखा घोषित करने के सम्बन्ध में है तथा श्री मनोज तिवारी की सूचना, जो कुमायूं विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के वेतन विसंगति के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 21-05-1980 के शासनादेश के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करने के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु निर्देशित करता हूं।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने हेतु अपनायी जा रही दोहरी नीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 हरक सिंह रावत द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक 28-10-1960 के अनुसार उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के समय दिनांक 01-06-1972 से पूर्व निम्न व्यवस्थायें थी।

(1) प्रशासनिक कार्यालय-क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, सेवा प्रबन्धक कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक कार्यालय एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं संचालन व तकनीकी शाखा में सुपरवाइजरी कार्मिक यथा कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी एवं उससे ऊपर के पद तथा जूनियर फोरमैन व उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।

(2) संचालन एवं तकनीकी शाखा के उपरोक्त सुपरवाइजरी स्टाफ से नीचे के पदों पर तैनात कार्मिक यथा चालक, परिचालक, सहायक यातायात निरीक्षक, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कैशियर, वाटर ब्याय, मजदूर, स्टोरकीपर, मैकेनिक,सहायक मैकेनिक, फिटर, वैल्डर, टरनर, कारपेन्टर, पेन्टर, ब्लैकस्मिथ, अपहास्टर आदि नानपेंशनेबुल पदों में आते हैं।

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में लागू उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार पात्र कार्मिकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से संचालन एवं तकनीकी शाखा के सुपरवाइजरी स्टाफ के नीचे के पदों पर तैनात चालक, परिचालक, सहायक यातायात निरीक्षक, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक आदि को पेंशन अनुमन्य की गई है अथवा नहीं की सूचना माँगी गई थी, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में नानपेंशनेबुल पदों पर नियुक्त कार्मिक, जो निगम गठन दिनांक 01–06–1972 के पश्चात उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में आमेलित हुए थे तथा नानपेंशनेबुल पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उन कार्मिकों को पेंशन अनुमन्य नहीं हुई है। इन कार्मिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के समस्त लाभ प्राप्त कर लिये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा इस पर सहमति दी गयी है। जहाँ तक इन कर्मचारियों से विकल्प माँगे जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम स्तर से कोई कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा की जानी है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम का गठन दिनाँक 31–10–2003 को हुआ था एवं इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 27–10–2003 के अनुसार उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा जहाँ है, जैसा है, के सिद्धान्त पर हुआ। उक्त अधिसूचना की धारा–7 के अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि जो कर्मचारी उत्तराखण्ड परिवहन निगम के गठन की तिथि तक सेवानिवृत्त हुए थे, उनके सेवानिवृत्ति देयकों (पेंशन को छोड़कर) का भुगतान उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार विधिक दृष्टि से निगम गठन की तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने का दायित्व उत्तराखण्ड परिवहन निगम का नहीं है, फिर भी दोनों निगमों के मध्य हुए समझौते को दृष्टिगत् रखते हुए उत्तराखण्ड परिवहन निगम की ओर से जनसंख्या के अनुपात में 5 प्रतिशत अंशदान दिया जा रहा है।

वर्तमान में जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा पेंशन दिये जाने की माँग की जा रही है वह राजकीय रोडवेज उत्तर प्रदेश के समय में भी पेंशनेबुल पद पर नहीं कार्यरत रहे हैं तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में भी इस प्रकार के कर्मचारियों को भी पेंशन दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

अतः इन्हें सम्प्रति पेंशन दिया जाना सम्भव नहीं है]

जनपद उत्तरकाशी में लोहारीनागपाला जल विद्युत परियोजना निर्माण कार्य बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[लोहारी नागपाला केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि0 द्वारा निर्मित की जा रही है, जिससे राज्य को 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत

नोट— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राप्त होगी। परियोजना पर राज्य सरकार की कोई अंशपूँजी नहीं है। परियोजना के निर्माण को स्थगित/बन्द किये जाने के सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया गया है, वह केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है।]

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के ग्राम मेहन्दपुर सुठारी, बाणगंगा, बारकरपुर के घाट व टांडा महतौली में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के अन्तर्गत ग्राम मेहन्दपुर में स्थित बाणगंगा नदी के खसरा संख्या-262 राजस्व खाते में गंगा जी नाम दर्ज नदी तल की भूमि रकबा 3.410 हैक्टेयर क्षेत्रान्तर्गत 2.400 हैक्टेयर क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति-2001 तथा संशोधित नीति-2002 के अनुसार गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 के पक्ष में दिनांक 04-10-2008 को सीमाबन्धित कर दिया गया है। ग्राम सुठारी व ग्राम बरमपुर में गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 को कोई लाट स्वीकृत नहीं है। ग्राम महतौली घाट में गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा आवेदन किया गया है परन्तु उक्त क्षेत्र में लाट स्वीकृत एवं सीमाबन्धित नहीं है और न ही गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा किसी प्रकार का अवैधानिक खनन कार्य किया जा रहा है।

राज्य में वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली के अनुसार निजी नाप भूमि में आवेदकों को उप खनिज के खनन पट्टे स्वीकृत किये जाते हैं तथा राजस्व भूमि में ही गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ के पक्ष में उप खनिज के पट्टे स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। अतः नीति के अनुसार जनपद हरिद्वार में उप खनिज बाहुल्य क्षेत्र की अधिकता के कारण राजस्व क्षेत्रों में उप खनिजों के खदान/चुगान का कार्य गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 से कराये जाने की व्यवस्था है।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 की सीमाबन्धित/स्वीकृत क्षेत्र निजी नाप/ग्राम पंचायत की भूमि नहीं है। इसलिए उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली-2001 के नियम-67 के अधीन निजी भूमिधारकों से सहमति की आवश्यकता नहीं है।

शासन द्वारा राज्य के समस्त जिलाधिकारियों को अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक सचल दल का गठन उप जिलाधिकारी के साथ किया गया है जो कि अत्यधिक सतर्कता से कार्य कर रहा है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 में प्रशिक्षणार्थियों के गृह जनपदों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की सेवा जनपदीय कैडर की सेवा है विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के लिए विज्ञप्ति, पदों का जातिवार एवं विषय वर्गवार जनपदों की सीटों का आवंटन निर्धारित किया जाता है। कुछ जनपदों में आवंटित संख्या के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों का चयन करने के पश्चात् आरक्षित वर्गों की सीटें अर्ह अभ्यर्थियों के आवदेन–पत्र उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह जाती हैं, जबकि कुछ जनपद में अर्ह अभ्यर्थी आवंटित सीटों से अधिक संख्या में उपलब्ध रहते हैं। जनपदों में उपलब्ध रिक्त स्थानों एवं अर्ह अभ्यर्थियों की संकलित संख्या के आधार पर एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग कराये जाने का प्राविधान है। सम्बन्धित शासनादेश में उल्लिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत विषय वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के लिए समस्त जनपदों के अर्ह अभ्यर्थियों की वर्षवार वरिष्ठता सूची तैयार कर अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार एवं संबंधित जनपद में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष ही उन्हें प्रशिक्षण एवं नियुक्ति हेतु जनपद आवंटित किये जाते हैं। प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को उनके गृह जनपदों में तैनाती का कोई प्राविधान नहीं है।

राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर ही उन्हें उस जनपद के प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए उसी जनपद में नियुक्ति स्वीकार करना अनिवार्य है, क्योंकि इस प्रकार रिक्ति वाले जनपदों में शिक्षकों की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है एवं अन्य रिक्तिविहीन जनपदों के अभ्यर्थियों को सेवायोजन का अवसर भी प्राप्त होता है।]

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–299 के अन्तर्गत पब्लिक फाइनेंस इन्स्टीट्यूशन से, सार्वजनिक क्षेत्र से बॉरोइंग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, नियम–299 में औचित्य के प्रश्न की सूचना थी। मान्यवर, 299 तो सीधे भी आपके संज्ञान में ला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका नोटिस प्राप्त हो चुका है और उसका निर्णय मैं स्थगित करता हूं।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में तो ला दूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ दीजिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, कल ही सदन में प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण द्वितीय विनियोग विधेयक पारित हुआ है और सरकार द्वारा मुझे जो सार्वजनिक नोटिस सरकार की तरफ से जारी हुआ है, तमाम माध्यमों में तो उसके माध्यम से मालूम हुआ कि सरकार ने मार्केट से बॉरोइंग के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है, विधानसभा की सहमति स्वीकृति के बिना मार्केट से बॉरोइंग के लिए सार्वजनिक सूचना सरकार के द्वारा जारी की गई है।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद–293 की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगाः–"सब्जेक्ट टु दि प्रोविजन्स ऑफ दिस आर्टिकल, दि एग्जीक्यूटिव पॉवर ऑफ ए स्टेट एक्सटेण्ड्स टु बॉरोइंग विदिन दि टैरिटरी ऑफ इण्डिया अपऑन दि सिक्योरिटी ऑफ दि कन्सॉलिडेटेड फण्ड ऑफ दि स्टेट विदिन सच लिमिट्स, इफ ऐनी, ऐज मे फ्राम टाईम टु टाईम बी फिक्स्ड बाई दि लेजिस्लेचर ऑफ सच स्टेट बाई लॉ एण्ड टु दि गिविंग ऑफ गारेन्टीज विदिन सच लिमिट्स, इफ ऐनी, ऐज मे बी सो फिक्स्ड।" तो श्रीमन्, जब तक प्रदेश की विधान सभा द्वारा यह निर्धारण नहीं हो गया कि जो बॉरोइंग होगी मार्केट से, पब्लिक फाइनेंस इन्स्टीट्यूशन से, सार्वजनिक क्षेत्र से, उसकी जो बॉरोइंग होगी, जब तक उसके निर्धारण के बारे में विधान सभा विचार नहीं कर लेगी, विधान सभा कोई सीमा निर्धारित नहीं करेगी, तब तक बॉरोइंग का प्रस्ताव जाए और फिर विधान सभा के बजट में नहीं पर वोट एण्ड एकाउण्ट में प्रोसिजर है, एक मनी बिल पारित हुआ है और सदन के अन्दर उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। मान्यवर, इस तरीके का नोटिस जारी हुआ है यह एक गम्भीर संवैधानिक प्रश्न है और यह एक गम्भीर संवैधानिक विसंगति उत्पन्न होती है। इसलिए श्रीमन्, मैंने आपके माध्यम से आपके संज्ञान में लाकर सदन के संज्ञान में लाया और निश्चित रूप से इस पर मैं आपसे विनिश्चय की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित विद्वान सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने विद्वतापूर्ण तरीके से नियम–290 के तहत यह प्रस्ताव रखा है, औचित्य का प्रश्न रखा है और इस औचित्य के प्रश्न पर जो संविधान के अनुच्छेद–293 की जो व्याख्या उन्होंने की है। उसकी व्याख्या के समय श्रीमन्, एक शब्द का संज्ञान लेना संभवतया उन से रह गया। मैं उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संविधान के अनुच्छेद–293

में उल्लिखित है, इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, मान्यवर, "यदि कोई हों" शब्द पर विशेष गौर करना चाहूँगा। जिन्हें ऐसे राज्य का विधान मण्डल समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों। मान्यवर, फिर "यदि कोई हों" शब्द पुनः आया है। जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है।

श्रीमन्, इसमें स्पष्ट रूप से है कि अगर राज्य का विधान मण्डल ऐसी कोई विधि द्वारा नियम करता है और ऐसा कोई कानून बनाता है और उधार लेने की सीमाओं के भीतर कोई निर्धारण करता है तो उस स्थिति पर सरकार, उसके ही आधार पर निर्देशित होगी और अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए दूसरा उपबन्ध है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद-292 और इसके बाद इसके साथ यह व्यवस्था जुड़ी हुई है कि अगर कोई राज्य को उधार लेना पड़ता है, ऋण लेना चाहता है तो इसके लिए भारत सरकार निर्धारित करती है कि कितना ऋण उसको लेना है इसके लिए वर्ष 2008-09 के लिए भारत सरकार द्वारा जो अनुमोदित बाजार ऋण है वह एक हजार दस दशमलव उनहत्तर करोड़ रु0 निर्धारित किया गया है, उत्तराखण्ड के लिए। जिसके सापेक्ष में अभी तक हमने नौ सौ सोलह दशमलव उनहत्तर करोड़ रु0 ऋण लिया है। अभी हमारा जो रु0 केन्द्र ने निर्धारित किया है, उसके आधार पर चौरानवे करोड़ अभी हमारे पास अवशेष है, जिसको अभी हम ले सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसको लेने का निर्णय नहीं लिया है। इस प्रकार से कहीं से भी कहीं तक संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हो रहा है और न ही भारत की किसी विधि का और न ही उत्तराखण्ड की किसी विधि का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न निरस्त किये जाने योग्य है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

श्रीमन्, मेरा कहना है कि अनुच्छेद-293 में जैसा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा और उन्होंने स्वयं अभी उसका पाठ किया कि जो ऋण लेने की सीमा है वह निश्चित रूप से सम्बन्धित विधान मण्डल निर्धारित करेगा और उस सीमा के अन्तर्गत ही बॉरोइंग की जा सकती है, उस सीमा के अन्तर्गत ही उधार लिया जा सकता है। मान्यवर, सदन के अंदर न तो इस बात की कोई चर्चा आयी है और फिर मैंने कहा यह एक मिनी बजट सत्र था। मिनी बजट सत्र में यदि मार्केट बॉरोइंग के बारे में चर्चा का सन्दर्भ तक नहीं आयेगा तो फिर निश्चित रूप से.................(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूँ।

सत्र की समाप्ति पर सदन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

मुख्यमंत्री [मे०ज० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सदन के सभी माननीय सदस्यगण, मैं इस सत्र के जो थोड़े समय के लिए चला है, लेकिन इसमें कानूनी आवश्यकता थी, वोट एण्ड एकाउट पास करने की, और अन्य बातों पर चर्चा करने की। इसमें सभी ने सहयोग किया है और यह सत्र अच्छी तरह से चला है, यथा संभव उचित तरह से चला है मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इसको संभव किया है और विशेषकर प्रतिपक्ष के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सदन के चलने में अपना सहयोग दिया। मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से भविष्य में भी योगदान करते रहेंगे। मैं आप सभी का विशेष रूप से आभारी हूँ, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यों का और विधान सभा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का, सभी प्रेस रिपोर्टस का और सभी पदाधिकारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मिला, भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलेगा, जिससे कि हम जन समस्याओं को और प्रदेश के विकास के लिए हम नीति निर्धारित कर सकेंगे और उनकी समीक्षा कर सकेंगे और प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे, जैसे कि हमसे अपेक्षा की गयी है। अन्त में आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री (प्रकाश पन्त)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष-

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन-अधिनायक जय है।

भारत-भाग्य-विधाता।।

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग।

विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।

गाहे तव जय गाथा।।

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य-विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(सदन का उपवेशन 7 बजकर 52 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ।)

महेश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

देहरादून,

दिनाँक : 27 फरवरी, 2009।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 29 पर)

जिला शिक्षा अधिकारी पदों पर तैनात किये गये अधिकारियों का विवरण

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	तैनाती का विवरण
	सामान्य वर्ग	
1.	श्री एस0 के0 सोनी	जि0शि0अ0, हरिद्वार
2.	श्री रमेश प्रसाद चमोला	जि0शि0अ0, देहरादून
3.	डा0 बच्ची राम मोरा	जि0शि0अ0, उ0सि0 नगर
4.	श्री सुरेश चन्द्र जोशी	जि0शि0अ0, उत्तरकाशी
5.	श्री टीका सिंह अधिकारी	जि0शि0अ0, टिहरी
6.	श्री मायत्ता नन्द पुरोहित	जि0शि0अ0, चमोली
7.	कु0 शान्ति वर्मा	जि0शि0अ0, नैनीताल
8.	श्री चन्द्रशेखर सेमवाल	जि0शि0अ0, रुद्रप्रयाग
9.	श्री राम हरिओम चतुर्वेदी	जि0शि0अ0, पौड़ी
	अनुसूचित जाति	
1.	श्री अम्बा राम आर्य	जि0शि0अ0, अल्मोड़ा
	अनुसूचित जनजाति	
1.	कु0 वन्दना ह्याँकी	जि0शि0अ0, चम्पावत
2.	श्री जीवन सिंह ह्याँकी	जि0शि0अ0, बागेश्वर

खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर तैनात अधिकारियों का विवरण

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	विकासखण्ड का नाम जहाँ तैनाती दी गयी है
01	02	03
	सामान्य वर्ग	
01.	श्री तारानन्द	कोटाबाग, नैनीताल
02.	श्री भगवत सिंह रौतेला	बागेश्वर
03.	श्री कैलाश चन्द्र पन्त	रामनगर, नैनीताल
04.	श्री रामकृष्ण	चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी
05.	श्रीमती नीता तिवारी	खटीमा, ऊधमसिंह नगर
06.	श्री महावीर सिंह बिष्ट	कोट, पौड़ी
07.	श्री लीलाधर व्यास	नौगाव, उत्तरकाशी
08.	श्री ललित मोहन चमोला	खिर्सू, पौड़ी
09.	श्री अब्दुल मुबीन अंसारी	नागनाथ पोखरी, चमोली
10.	श्रीकान्त सिंह	कालसी, देहरादून
11.	श्री अशोक कुमार सिंह	विण, पिथौरागढ़
12.	श्री कुलदीप गैरोला	सहसपुर, देहरादून
13.	श्री राजबहादुर सिंह चौहान	जसपुर, ऊधमसिंह नगर
14.	श्री कमलेश बार्थ्वाल	ताकुला, अल्मोड़ा
15.	श्री रामखिलावन वर्मा	नैनीडांडा, पौड़ी
16.	श्री फतेह बहादुर सिंह	रायपुर, देहरादून
17.	श्री जगमोहन सोनी	कपकोट, बागेश्वर
18.	श्री चित्रानन्द काला	चम्बा, टिहरी
19.	श्री यशवन्त सिंह चौधरी	जाखणीधार, टिहरी
20.	श्री प्रवीण कुमार	रिखणीखाल, पौड़ी

01	02	03
21.	श्री हनुमान प्रसाद विश्वकर्मा	लक्सर, हरिद्वार
22.	डा0 सत्य प्रकाश त्रिपाठी	भगवानपुर, हरिद्वार
23.	मधुबाला	बाजपुर, ऊधमसिंह नगर
24.	श्री नरवीर सिंह बिष्ट	द्वारीखाल, पौड़ी
25.	डा0 पारसनाथ सिंह	हल्द्वानी, नैनीताल
26.	श्री सूर्य प्रकाश सिंह	गरूड़, बागेश्वर
27.	श्री हर्ष बहादुर चन्द	धौलादेवी, अल्मोड़ा
28.	श्रीमती दमयन्ती रावत	बहादराबाद, हरिद्वार
29.	श्री हरेराम यादव	धारी, नैनीताल
30.	श्री अतुल सेमवाल	डोईवाला, देहरादून
31.	श्री कुँवर सिंह रावत	नारसन, हरिद्वार
32.	श्री सुरेश प्रताप सिंह	देवाल, चमोली
33.	श्री बृज मोहन सिंह रावत	एकेश्वर, पौड़ी
34.	डा0 पुष्पा रानी वर्मा	काशीपुर, ऊधमसिंह नगर
35.	श्री पदमेन्द्र सकलानी	विकासनगर, देहरादून
36.	श्री नरेश शर्मा	बीरोंखाल, पौड़ी
37.	श्री दिनेश चन्द्र सती	बेरीनाग, पिथौरागढ़
38.	डा0 शिवपूजन सिंह	बेतालघाट, नैनीताल
39.	श्री किशन स्वरूप	रामगढ़, नैनीताल
40.	श्री गोपाल स्वरूप	गदरपुर, ऊधमसिंह नगर
41.	श्री श्यामसरोज	पोखड़ा, पौड़ी
42.	श्री जयप्रकाश यादव	खानपुर, हरिद्वार
43.	श्री रमेश यादव	भीलंगना, टिहरी
44.	श्री रायसाहब यादव	भैसियाछाना, अल्मोड़ा

01	02	03
45.	श्री लखन सिंह दानू	ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग
46.	शौकत अली	ओखलकांडा, नैनीताल
47.	श्री राय सिंह रावत	जोशीमठ, चमोली
48.	श्रीमती उमा पवांर	अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
49.	श्री शिवनारायण प्रसाद	थलीसैंण, पौड़ी
50.	श्री ब्रह्म पाल सिंह	रुड़की, हरिद्वार
51.	श्री ऋषिपाल सिंह	यमकेश्वर, पौड़ी
52.	श्री अत्रेश सयाना	डुण्डा, उत्तरकाशी
53.	श्री सतीश कुमार शुक्ल	गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
54.	श्री उग्रसेन वर्मा	जखोली, रुद्रप्रयाग
55.	श्री विनोद कुमार सिंह	डीडीहाट, पिथौरागढ़
56.	श्री उमा दत्त गोस्वामी	दशोली, चमोली
57.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर
58.	श्री कुबेर सिंह	मुनस्यारी, पिथौरागढ़
59.	श्री नागेन्द्र सिंह बर्त्वाल	जौनपुर, टिहरी
60.	श्री सुनील सिंह बिष्ट	जयहरीखाल, पौड़ी
61.	श्री राजबीर सिंह सविता	कीर्तिनगर, टिहरी
62.	डा0 राजेन्द्र सिंह	धौलादेवी, अल्मोड़ा
63.	श्री आकाश सारस्वत	सितारगंज, ऊधमसिंह नगर
64.	श्री पी0एन0 सिंह	पौड़ी
65.	श्री प्रमोद सिंह	गैरसैंण, चमोली
66.	श्री गोविन्द राम जायसवाल	फकोट, टिहरी
67.	श्री ए0के0 सिंह	चम्पावत
68.	श्री जयपाल सिंह बागडी	देवप्रयाग

01	02	03

अनुसूचित जाति

1.	श्री भीमराम आर्य	स्याल्दे, अल्मोड़ा
2.	श्री हरिशंकर वर्मा	द्वाराहाट, अल्मोड़ा
3.	श्री विनोद कुमार टम्टा,	हवालबाग, अल्मोड़ा
4.	श्री प्रेम लाल	नारायणबगड़, चमोली
5.	श्री जगतराम बेरी	भिकियासैंण, अल्मोड़ा
6.	श्री श्यामलाल आर्य	भीमताल, नैनीताल
7.	श्री माधूलाल	घाट, चमोली
8.	श्री देवेन्द्र सिंह आर्य	कर्णप्रयाग, चमोली
9.	श्री चन्द्र प्रकाश	खेती खान, चम्पावत
10.	श्री कृष्णनारायण	लोहाघाट, चम्पावत
11.	श्री हीरालाल	धारचूला, पिथौरागढ़
12.	श्री मायादीन	थराली, चमोली
13.	श्री गोपाल राम	मुनाकोट, पिथौरागढ़
14.	श्री हरक राम कोहली	बाराकोट, चम्पावत
15.	श्री सोमारू	कनालीछीना, पिथौरागढ़
16.	श्री तोलेराम	पाबौ, पौड़ी
17.	श्रीमती सुभागा आर्य	ताड़ीखेत, अल्मोड़ा
18.	श्री हवलदार प्रसाद	चौखुटिया, अल्मोड़ा
19.	श्री नरेश कुमार	पुरोला, उत्तरकाशी
20.	श्री रमा शंकर राम	मोरी, उत्तरकाशी
21.	श्री अम्बिका राम	सल्ट, अल्मोड़ा
22.	श्री इनारू प्रसाद	भिलंगना, टिहरी
23.	डा0 बच्चू सिंह	प्रतापनगर, टिहरी
24.	श्री विजयपाल सिंह	चकराता, देहरादून
25.	श्री कुन्दीलाल रडवाल	कल्जीखाल, पौड़ी

अनुसूचित जनजाति

1.	श्रीमती कमला बडवाल	मरवाड़ी, उत्तरकाशी

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न–11 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–32 पर)

संख्या–381/xxiv–2/2008

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 04 जून, 2008

विषय : विद्यालयी शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत एल0टी0 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम के शिक्षकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2008–09।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के प्रस्ताव/पत्रांक/सेवायें/एल0टी0/3130/2008–09, दिनांक 26 अप्रैल, 2008 का सम्यक् परीक्षणोपरान्त मुझे विद्यालयी शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत एल0टी0 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम के शिक्षकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2008–09, पूर्व में निर्गत स्थानान्तरण नीति एवं स्थानान्तरण के संबंध में समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् निर्धारित किये जाने का निदेश हुआ है:–

विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत प्रवक्ता वेतनक्रम एवं एल0टी0 वेतनक्रम के शिक्षकों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति (वर्ष 2008–09)

उत्तराखण्ड राज्य मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र का सम्मिश्रण है। पर्वतीय क्षेत्रों का अधिकतम भाग दुर्गम है। विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के पर्वतीय दुर्गम एवं मैदानी सुगम क्षेत्रों में राजकीय प्राथमिक, राजकीय पूर्व माध्यमिक एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य के दुर्गम एवं सुगम क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2008–09 में इस नीति में उल्लिखित श्रेणी के शिक्षकों के स्थानान्तरण किए जायेंगे।

स्थानान्तरण नीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त

सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षा पदों की जानकारी सभी संवर्ग के शिक्षकों को सूचित करते हुए उचित (फेयर), भेदभाव रहित (इम्पार्शियल), वस्तुनिष्ठ (ओब्जेक्टिव) तथा पारदर्शी (ट्रांसपेरेन्ट) स्थानान्तरण प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

दुर्गम तथा सुगम क्षेत्र का चिन्हांकन

विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तैनाती एल०टी०/प्रवक्ता वेतनक्रम में मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय संवर्ग होने के फलस्वरूप जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक की जाती है। अतः प्रवक्ता वेतनक्रम एवं सहायक अध्यापक (एल०टी० वेतनक्रम) के लिए दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रों का विवरण जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत दुर्गम तथा सुगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के चिन्हांकन हेतु जनपद स्तर पर समिति निम्नवत् गठित की जायेगी।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य, सचिव
3. अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5. जनपद स्तर पर प्रभावी शिक्षक संघों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य

(i) सुगम व दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की सूची तैयार कर प्रकाशित करना।

(ii) प्रत्येक जनपद में सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित माध्यमिक विद्यालयों के चिन्हांकन हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा सुगम तथा दुर्गम स्थानों की सूची (कार्य–स्थल का नाम देते हुए) तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूचियों को प्रत्येक जनपद द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा तथा इसे उत्तराखण्ड शासन की वैबसाइट www.gov.ua.nic.in पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। प्रत्येक जनपद द्वारा सूचियों की एक–एक प्रति तथ सी०डी० की 07 प्रतियां मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी तथा एक प्रति (सी०डी० सहित) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड एवं एक प्रति *(सी०डी०) सहित शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।*

तत्पश्चात् मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा मण्डलान्तर्गत प्रत्येक जनपद को शेष अन्य जनपदों की सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों की सी०डी० उपलब्ध कराई जायेगी।

स्थानान्तरण के प्रकार

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सामान्यतया निम्न 04 प्रकार के स्थानान्तरण किये जायेंगे–

(1) अनिवार्य स्थानान्तरण

(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

(3) पारस्परिक स्थानान्तरण

(4) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण

1. <u>अनिवार्य स्थानान्तरण</u>

सर्वप्रथम निम्न श्रेणी के शिक्षकों का अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा :–

1.1 <u>सम्बद्ध शिक्षक</u>

सम्बद्धीकरण की श्रेणी में ऐसे शिक्षक आयेंगे जो मूल रूप में किसी विद्यालय में नियुक्त होने के फलस्वरूप उस विद्यालय से वेतन प्राप्त कर रहे हैं किन्तु वर्तमान में किसी अन्य विद्यालय/कार्यालय में अभी भी सम्बद्ध हैं, जबकि शासन से स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी प्रकार का सम्बद्धीकरण अनियमित है। अतः ऐसे शिक्षकों का सम्बद्धीकरण तत्काल समाप्त कर उनको उनके मूल विद्यालय हेतु कार्यमुक्त कर दिया जाये।

1.2 <u>असंगत विषय के शिक्षक</u>

असंगत श्रेणी में ऐसे अध्यापक होंगे जो अन्य विषय से सम्बन्धित हैं, जिनका कोई पद सम्बन्धित विद्यालय में सृजित/रिक्त नहीं है। अतः ऐसे समस्त अध्यापकों को निकटतम विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों के प्रति स्थानान्तरित किया जायेगा।

1.3 <u>दीर्घ ठहराव</u>

निम्न श्रेणी के शिक्षकों का दीर्घ ठहराव के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा :–

(क) शहरी अथवा सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में दीर्घ अवधि से तैनात शिक्षक।

(ख) दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में दीर्घ अवधि से तैनात शिक्षक।

(क) शहरी अथवा सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में दीर्घ अवधि से तैनात शिक्षक :

इस श्रेणी में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा :-

शहरी क्षेत्र तथा सुगम क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे एल०टी० एवं प्रवक्ता वेतनक्रम के शिक्षक, जिन्होंने शहरी क्षेत्र तथा सुगम क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में कुल मिलाकर 10 वर्ष या उससे अधिक की नियमित (अनवरत) सेवा पूर्ण कर ली हो।

किन्तु शहरी क्षेत्र तथा सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में 10 वर्ष या उससे अधिक ठहराव वाले शिक्षकों की सूची बनाते समय विधवा/तलाकशुदा शिक्षिका, गम्भीर रोग से ग्रस्त शिक्षक, विकलांग शिक्षक, शिक्षक, जिनके बच्चे गम्भीर रोग से ग्रस्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हों तथा शिक्षक जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो, को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

इस श्रेणी के अन्तर्गत केवल 05 प्रतिशत शिक्षकों के ही स्थानान्तरण किये जायेंगे।

(ख) दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में दीर्घ अवधि से तैनात शिक्षक :

इस श्रेणी में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा :-

दुर्गम क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एल०टी० एवं प्रवक्ता वेतनक्रम में ऐसे शिक्षक जिन्होंने दुर्गम क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 05 वर्ष या उससे अधिक की नियमित (अनवरत) सेवा पूर्ण कर ली हो तथा सुगम/शहरी क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्थानान्तरण हेतु इच्छुक हों। इस श्रेणी के शिक्षकों का अनिवार्य स्थानान्तरण बिना उनके आवेदन के नहीं किया जायेगा।

शिक्षक द्वारा सड़क मार्ग से 08 कि०मी० या उससे अधिक की पैदल दूरी पर स्थित विद्यालयों में कार्य करने की एक वर्ष की अवधि को दुर्गम क्षेत्र में दो वर्ष की सेवा अवधि के बराबर माना जायेगा।

इस श्रेणी के अन्तर्गत केवल 05 प्रतिशत शिक्षकों के ही स्थानान्तरण किये जायेंगे।

दीर्घ अवधि से तैनात शिक्षकों की स्थानान्तरण की प्रक्रिया-

उक्त (क) एवं (ख) में उल्लिखित शिक्षकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रक्रिया निम्नवत् होगी-

(क) (i) शहरी/सुगम क्षेत्र में 10 वर्ष या उससे अधिक ठहराव वाले शिक्षकों की अवरोही क्रम में अर्थात् सबसे लम्बी अवधि वाले शिक्षक को सबसे ऊपर क्रमांक 1 पर तत्पश्चात् उसके बाद वाले शिक्षक को क्रमांक 2 पर रखते हुए सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार बनायी गयी सूची में से दीर्घ ठहराव वाले कुल शिक्षकों की संख्या के 05 प्रतिशत शिक्षकों का ही क्रमानुसार दुर्गम/अति दुर्गम श्रेणी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के प्रति स्थानान्तरित किया जायेगा।

(ख) (i) इसी प्रकार दुर्गम क्षेत्र में 05 वर्ष या उससे अधिक ठहराव वाले शिक्षकों की अवरोही क्रम में अर्थात सबसे लम्बी अवधि वाले शिक्षक को सबसे ऊपर क्रमांक 1 पर तत्पश्चात् उसके बाद वाले शिक्षक को क्रमांक 2 पर रखते हुए सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार बनायी गयी सूची में से दीर्घ ठहराव वाले कुल शिक्षकों की संख्या के 05 प्रतिशत शिक्षकों को ही क्रमानुसार शहरी/सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों के प्रति स्थानान्तरित किया जायेगा।

अवधि की गणना हेतु कट–ऑफ (Cut Off) तिथि :

स्थानान्तरण के उद्देश्य से दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की तिथि के आधार पर की जायेगी।

2. <u>अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण</u>

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु केवल निम्न शिक्षक पात्र होंगे :–

(i) विधवा शिक्षिका/तलाकशुदा शिक्षिका।

(ii) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक।

(iii) विकलांग शिक्षक।

(iv) ऐसे शिक्षक, जिनके बच्चे गम्भीर रोग से ग्रस्त तथा शारीरिक रूप से विकलांग हैं [विकलांगता में मानसिक रूप से विक्षिप्त (मेन्टली रिटार्डेड) बच्चे भी सम्मिलित हैं] तथा उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए उस शिक्षक का उक्त रिक्त स्थान पर स्थानान्तरण आवश्यक है।

(v) शिक्षक जो 55 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करते हों।

(vi) पति अथवा पत्नी (राजकीय कार्मिक) जो किसी भी श्रेणी में अलग-अलग विद्यालय में कार्यरत हैं और दोनों एक साथ होने के लिए दुर्गम क्षेत्र के

विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति तैनाती चाहते हैं।

अवधि की गणना हेतु कट–ऑफ (Cut Off) तिथि :

स्थानान्तरण के उद्देश्य से सुगम/दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की तिथि के आधार पर की जायेगी।

उक्त (ii) (iii) तथा (iv) के लिए गम्भीर रोग, विकलांगता तथा बच्चों की बीमारी एवं विकलाँगता की परिभाषा निम्नवत् होगी :–

(i) शिक्षक के स्वयं के गम्भीर रोग हेतु :–

गम्भीर रोगों के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलेसिस पर निर्भर, ट्यूबर कुलोसिस (दोनों फेफड़े खराब हो जायें) सार्स (थर्ड स्टेज) या एक्यूट अर्थराइटिस एवं अन्य जटिल बीमारियाँ सम्मिलित होंगी। ऐसे गम्भीर रोग के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (पी0जी0आई0) अन्य अखिल भारतीय मेडिकल संस्थान अथवा राज्य में स्थित समकक्ष चिकित्सा संस्थानों में उपचाराधीन हों। शिक्षक को सम्बन्धित संस्थान अथवा मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र देना होगा।

(ii) विकलाँग शिक्षक हेतु :–

विकलाँगता के अन्तर्गत जिनकी दोनों आँख न हों, दोनों आँख से न दिखता हो, दोनों पैर अथवा दोनों हाथ कटे हुए हों, एक पैर अथवा हाथ पूर्ण न हो, लकवा ग्रस्त (एक पैर या हाथ) हो अथवा अन्य गम्भीर विकलाँगता को सम्मिलित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

गम्भीर रोग तथा विकलाँगता की श्रेणी में आने वाले शिक्षकों को कार्य करने के लिए 'मेडिकली फिट' होने का मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र भी देना होगा।

(iii) शिक्षक के बच्चों के लिए गम्भीर रोग हेतु :–

गम्भीर रोगों के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलेसिस पर निर्भर, ट्यूबर कुलोसिस (दोनों फेफड़े खराब हो जायें) या सार्स (थर्ड स्टेज) एवं अन्य जटिल बीमारियाँ सम्मिलित होंगी।

इस हेतु बच्चे की बीमारी के सम्बन्ध में मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र एवं मेडिकल बोर्ड की चिकित्सा सम्बन्धी संस्तुति आवश्यक होगी।

(iv) शिक्षक के बच्चों की विकलाँगता हेतु :–

जिन्हें दोनों आँख से न दिखता हो, मूक–बधिर हो, दोनों पैर अथवा हाथ कटे हुए हों, एक पैर पूर्ण न हो अथवा पोलियो ग्रस्त अथवा लकवा ग्रस्त (एक पैर या हाथ) हो, बहुविकलाँग हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त (मेन्टली रिटार्डेड) हो, को सम्मिलित किया जायेगा। इस हेतु बच्चे की विकलाँगता सम्बन्धी मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र एवं मेडिकल बोर्ड की चिकित्सा सम्बन्धी संस्तुति आवश्यक होगी।

स्थानान्तरण केवल उपलब्ध रिक्ति के प्रति :–

पात्र शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवक्ता वेतनक्रम एवं एल0टी0 संवर्ग (महिला एवं पुरुष/सामान्य) में विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों पर ही किये जायेंगे अर्थात् किसी अध्यापक को हटाकर (अनिवार्य स्थानान्तरण को छोड़कर) उसके स्थान पर किसी दूसरे अध्यापक का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरण की प्रक्रिया

(1) रिक्ति अधिसूचित करना :

सर्वप्रथम मण्डलान्तर्गत सभी जनपदों के सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता वेतनक्रम एवं एल0टी0 संवर्ग (महिला एवं पुरुष/सामान्य) के शिक्षकों के विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों को प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर शिक्षकों के सूचनार्थ चस्पा किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.gov.ua.nic.in पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) आवेदन–पत्र एवं विकल्प–पत्र माँगा जाना :

तत्पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के प्रति शिक्षकों से स्थानान्तरण हेतु 05 इच्छित स्थानों के लिये विकल्प के साथ आवेदन–पत्र माँगे जाएंगे। शिक्षक द्वारा विद्यालयों का विकल्प प्राथमिकता अर्थात् प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम के क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पात्र शिक्षकों के आवेदन–पत्रों की जाँच कर दुर्गम स्थानों में की गयी

सेवा अवधि का सत्यापन करके सूची तैयार की जायेगी एवं अन्तर्मण्डलीय प्रकरणों के सन्दर्भ में सूची एवं आवेदन-पत्र सम्बन्धित मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(3) स्थानान्तरण हेतु श्रेणीवार सूची तैयार करना :

मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा जनपदों से प्राप्त शिक्षकों की मण्डल स्तर पर सम्मिलित सूची निम्नवत् तैयार की जायेगी :-

(i) विधवा/तलाकशुदा शिक्षिका :-

सबसे कम आयु की विधवा शिक्षिका से प्रारम्भ करते हुए आरोही क्रम मे (एसेन्डिंग आर्डर) में सूचीबद्ध किया जायेगा।

(ii) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक :-

इस श्रेणी के पात्र शिक्षकों को उनकी 'सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा के अनुसार अधिकतम अवधि के क्रम में' सबसे अधिक अवधि के शिक्षक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (डिसेंडिंग आर्डर) में सूचीबद्ध किया जायेगा। समान सेवा अवधि की स्थिति में अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जायेगी।

(iii) विकलांग शिक्षक :-

इस श्रेणी के पात्र शिक्षकों को उनकी "सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा के अनुसार अधिकतम अवधि के क्रम में" सबसे अधिक अवधि के शिक्षक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (डिसेंडिंग आर्डर) में सूचीबद्ध किया जायेगा।

(iv) ऐसे शिक्षक, जिनके बच्चे गम्भीर रोग से ग्रस्त तथा शारीरिक रूप से विकलांग हों :-

इस श्रेणी के पात्र शिक्षकों को उनकी "सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा के अनुसार अधिकतम अवधि के क्रम में" सबसे अधिक अवधि के शिक्षक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (डिसेन्डिंग आर्डर) में सूचीबद्ध किया जायेगा।

(v) 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिक्षक।

(vi) इस श्रेणी के पात्र शिक्षकों को उनकी "सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा के अनुसार अधिकतम अवधि के क्रम में" सबसे अधिक अवधि के शिक्षक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (डिसेन्डिंग आर्डर) में सूचीबद्ध किया जायेगा।

स्थानान्तरण

(i) तत्पश्चात् सूची में दुर्गम स्थान पर सबसे अधिक अवधि से तैनात रहे शिक्षक को दिए गए रोस्टर के अनुसार दुर्गम एवं सुगम क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता/एल०टी० संवर्ग (महिला एवं पुरुष/सामान्य) में विषयवार रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार शिक्षक द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर ऐच्छिक स्थान आवंटित किया जायेगा। इसी क्रम में अन्य शिक्षकों को भी अवरोही क्रम (डिसेन्डिंग आर्डर) में ऐच्छिक विद्यालय में रिक्ति उपलब्ध होने पर स्थान आवंटित किया जायेगा।

(ii) स्थानान्तरण हेतु श्रेणीवार तैयार की गयी सूची में स्थानान्तरण हेतु पात्र प्रवक्ता वेतनक्रम एवं एल०टी० संवर्ग (महिला एवं पुरुष/सामान्य) के शिक्षकों को निम्न रोस्टर के अनुसार रिक्त पद उपलब्ध होने पर उनके विकल्प को ध्यान में रखते हुए विद्यालय आवंटित किए जायेंगे :-

1. विधवा शिक्षिका/तलाकशुदा शिक्षिका (आयु के आरोही क्रम में),
2. गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक,
3. विकलांग शिक्षक,
4. शिक्षक जिनके बच्चे गम्भीर रूप से बीमार/विकलांग/मानसिक विक्षिप्त (मेन्टली रिटार्डेड)
5. 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिक्षक,
6. पति अथवा पत्नी (राजकीय कार्मिक) (केवल दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में स्थानान्तरण हेतु)
7. विधवा शिक्षिका/तलाकशुदा शिक्षिका (आयु के आरोही क्रम में),
8. गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक,
9. विकलांग शिक्षक,
10. शिक्षक, जिनके बच्चे गम्भीर रूप से बीमार/विकलांग/मानसिक विक्षिप्त (मेन्टली रिटार्डेड)
11. 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिक्षक,
12. पति अथवा पत्नी (राजकीय कार्मिक) (केवल दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में स्थानान्तरण हेतु,

13. विधवा शिक्षिका/तलाकशुदा शिक्षिका (आयु के आरोही क्रम में),

14. ______________________

15. ______________________

16. ______________________

17. ______________________

अर्थात विकल्प के आधार पर तैयार सूची से प्रथम रिक्त पद विधवा शिक्षिका/तलाकशुदा शिक्षिका, द्वितीय रिक्त पद गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक, तृतीय रिक्त पद विकलांग शिक्षक, चतुर्थ रिक्त पद ऐसे शिक्षक, जिनके बच्चे गम्भीर रोग से ग्रसित, विकलांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त (मेन्टली रिटार्डेड) हों तथा पंचम रिक्त पद 55 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले शिक्षक तथा षष्टम पद पति अथवा पत्नी (राजकीय कार्मिक) (केवल दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में स्थानान्तरण) से भरा जायेगा तथा आगे भी इसी क्रम को जारी रखा जायेगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

3. पारस्परिक स्थानान्तरण

दुर्गम क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के समान विषय एवं वेतनमान के दो शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर उनके पारस्परिक स्थानान्तरण किये जायेंगे। इसी प्रकार सुगम क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में समान विषय एवं वेतनमान के दो शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर उनके पारस्परिक स्थानान्तरण किये जायेंगे।

यदि एक शिक्षक दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत है तथा दूसरा शिक्षक सुगम क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत है, तो ऐसे शिक्षकों का पारस्परिक स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु शिक्षक को सम्बन्धित श्रेणी के विद्यालय में 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने की भी अनिवार्यता होगी।

पारस्परिक स्थानान्तरण किये जाने पर सम्बन्धित शिक्षकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जायें परन्तु लगातार 05 वर्ष की अधिक अवधि तक एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण के निर्देशों से आच्छादित होंगे। यदि कोई सरकारी सेवक निरन्तर मान्यता प्राप्त सेवा संघों का अध्यक्ष/सचिव रहता है, तो उस दशा में स्थानान्तरण न किये जाने की छूट अवधि अधिकतम 05 वर्ष होगी।

4. <u>प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण</u> :-

(i) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरूचि न लेने आदि के आधार पर ही आवश्यक पुष्टि के उपरान्त प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जायें।

(ii) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार के "मोटिवेटेड" शिकायतों के आधार पर अथवा "कैजवली" न किये जायें।

(iii) उक्त स्थानान्तरणों में प्रशासनिक आधार पर अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

स्थानान्तरण हेतु विभिन्न समितियों का गठन

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत एल०टी० एवं प्रवक्ता वेतनक्रम के शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :-

1. <u>विकास खण्ड स्तर पर समिति का गठन</u> :

विकासखण्ड के अन्तर्गत एल०टी० एवं प्रवक्ता वेतनक्रम के शिक्षकों के स्थानान्तरण निम्न समिति द्वारा किये जायेंगे :-

i.	खण्ड शिक्षा अधिकारी	–	अध्यक्ष
ii.	उप खण्ड शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
iii.	विकासखण्ड के अन्तर्गत रा०इ०का० (बा०/बालिका) का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य	–	सदस्य
iv.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य	–	सदस्य

4. प्रवक्ता वेतनक्रम के शिक्षकों का एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण :

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा – अध्यक्ष
2. सचिव/प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा द्वारा नामित शासन का कोई उप सचिव स्तर का अधिकारी – सदस्य
3. अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय मुख्यालय, उत्तराखण्ड – सदस्य-सचिव
4. दोनों मण्डलों के संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक) – सदस्य
5. उप निदेशक (सेवा–2) – सदस्य

स्थानान्तरण आदेश निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

- एल०टी० संवर्ग की सेवायें मण्डलीय सेवायें होने के कारण विशेष विषम परिस्थितियों में इस स्थानान्तरण नीति में उल्लिखित 'अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण' के लिए उल्लिखित दशाओं के अनुरूप ही विषम परिस्थितियां होने पर एल०टी० संवर्ग के शिक्षकों के अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण उनकी सेवा अवधि के अवरोही क्रम में सूची तैयार कर उपलब्ध रिक्ति को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त वर्णित प्रवक्ता वेतनक्रम के शिक्षकों का एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण हेतु गठित समिति के द्वारा किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में एल०टी० संवर्ग के शिक्षकों के अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

  अनुरोध के आधार पर विषम परिस्थितियों में समिति में अनुमोदनोपरान्त स्थानान्तरित शिक्षक नवीन संवर्ग (मण्डल में) में उस तिथि पर सबसे कनिष्ठतम् होगा। अनुरोध के आधार पर अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण के लिए वर्तमान मण्डल में शिक्षक की 05 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता होगी।

- पात्र शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव, आवेदन–पत्र एवं विकल्प तथा दुर्गम एवं सुगम क्षेत्रों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार रिक्तियों का विवरण स्थानान्तरण हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।
- समिति स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले प्रत्येक शिक्षक, जिसका विवरण समिति के समक्ष रखा गया है, के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति में दिये गये निर्देशों के आधार पर विचार करके कार्यवृत्त तैयार करेगी। समिति अपने कार्यवृत्त में एक अलग

समिति द्वारा स्थानान्तरण सूची तैयार करने के उपरान्त जिला स्तर/मण्डल स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तद्पश्चात् स्थानान्तरण आदेश विकासखण्ड स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

2. <u>जनपद स्तर पर समिति का गठन</u> :

जनपद के अन्तर्गत (एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्ड में) एल0टी0 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम के शिक्षकों के स्थानान्तरण निम्न समिति द्वारा किये जायेंगे :-

i.	जिला शिक्षा अधिकारी	–	अध्यक्ष
ii.	अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	–	सदस्य सचिव
iii.	वरिष्ठतम विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
iv.	जनपद में वरिष्ठतम उपखण्ड शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
v.	रा0बा0इ0का0 की वरिष्ठतम प्रधानाचार्या	–	सदस्य
vi.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समूह 'क' अथवा 'ख' श्रेणी का एक सदस्य	–	सदस्य

समिति द्वारा स्थानान्तरण सूची तैयार करने के उपरान्त मण्डल स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् स्थानान्तरण आदेश जनपद स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

3. प्रवक्ता तथा एल0टी0 वेतनक्रम के शिक्षकों का मण्डलान्तर्गत स्थानान्तरण :

1.	मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	मण्डलायुक्त द्वारा नामित एक अधिकारी	–	सदस्य
3.	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासनिक)	–	सदस्य-सचिव
4.	मण्डलान्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
5.	एक महिला अधिकारी (समूह "क" की अधिकारी)	–	सदस्य
6.	अनुसूचित जाति/जनजाति का समूह 'क' अथवा 'ख' श्रेणी का एक सदस्य	–	सदस्य

स्थानान्तरण आदेश मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

सूची में उन शिक्षकों के सम्बन्ध में भी कारण सहित उल्लेख करेगी जिनका स्थानान्तरण, नीति के अनुसार संस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

- ऐसे प्रकरण जो इस नीति के तहत आच्छादित नहीं हो सके हैं, किन्तु समिति सम्बन्धित शिक्षक की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उनके आवेदन–पत्रों को विचारणीय समझती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित शिक्षकों के प्रस्ताव औचित्य सहित (रिक्ति आदि की स्थिति स्पष्ट करते हुये) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेगी, जिसे निदेशक द्वारा शासन के निर्णयार्थ प्रेषित किया जायेगा। इन प्रकरणों पर शासन का निर्णय अन्तिम होगा।
- स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार स्थानान्तरण आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जायेंगे।
- स्थानान्तरण आदेशों के सम्बन्ध में द्वितीय अपील एल0टी0 संवर्ग के सम्बन्ध में निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड एवं प्रवक्ता के सम्बन्ध में शासन से की जायेगी।

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अपील

मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध अपील निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को की जायेगी तथा निदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध अपील सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को की जायेगी।

स्थानान्तरण शिक्षकों को अवमुक्त किया जाना

स्थानान्तरण आदेश में यह निर्देश अंकित किये जाएगें कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर, प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरण आदेश की प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी।

स्थानान्तरण हेतु समय सारणी

1.	स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाना	05 जून, 2008
2.	माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सुगम/दुर्गम क्षेत्र की सूची प्रकाशित करना और उसे वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	10 जून, 2008
3.	पात्र शिक्षकों से आवेदन–पत्र तथा विकल्प–पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करने की तिथि	10 जून, 2008
4.	स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों से आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	20 जून, 2008

5. स्थानान्तरण समिति द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की तिथि — 30 जून, 2008

6. स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि — 07 जुलाई, 2008

7. स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम अवधि — 10 जुलाई, 2008

8. स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध शिक्षक द्वारा अपील करने की अवधि — 10 जुलाई, 2008

9. सक्षम अधिकारी द्वारा अपील निस्तारण करने की अवधि — 15 जुलाई, 2008

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत सभी स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त शासनादेश अतिक्रमित किये जाते हैं।

कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण अवधि :

(1) स्थानान्तरण आदेशों में यह निर्देश अंकित किये जायेंगे कि ये आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। संबंधित अधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे।

(2) स्थानान्तरित शिक्षकों का किसी प्रकार का अवकाश प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) स्थानान्तरण आदेश की प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी।

स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित विवरण

- इस नीति के अनुसार किये जाने वाले "स्थानान्तरण आदेश" में इस बात का उल्लेख भी किया जायेगा कि किस क्लॉज के अन्तर्गत शिक्षक का स्थानान्तरण किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण की प्रक्रिया को भी स्थानान्तरण आदेश में स्पष्ट किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने के पश्चात् उन्हें उत्तराखण्ड की वैबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- इस स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अपनाई गई प्रक्रिया सम्बन्धी प्रत्येक विवरण का पूर्ण रिकार्ड एवं समस्त अभिलेख अत्यन्त सावधानीपूर्वक संकलित करते हुए व्यवस्थित रूप में एक अलग पत्रावली में रखे जाएंगे और इन्हें प्रत्येक समय उच्चाधिकारियों के निरीक्षण हेतु तैयार रखा जाएगा। इस कार्य को किये जाने की

संख्या–381(1)/XXIV–2/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अपर/संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. समस्त जिला शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, जिला शिक्षाधिकारी, माध्यमिक एवं अपने अधीनस्थ समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
9. प्रभारी, मीडिया सेन्टर सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. कार्यालय गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

पी०एल० शाह,
उप सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 14 विधायी/426–05–12–2009–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

जिम्मेदारी स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी की होगी। यह पत्रावली शिक्षकों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक कार्यालय दिवस पर उपलब्ध होगी तथा किसी शिक्षक को यदि पत्रावली में से किसी प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो उसे 2 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क लेकर उपलब्ध कराया जायेगा।

स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश

- यदि स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय।
- स्थानान्तरित शिक्षकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई शिक्षक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003' के सगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसके प्रति समुचित दण्डिक कार्यवाही अथवा निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय।
- यदि किसी स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने स्थानान्तरण को रोकने के लिए स्वयं प्रत्यावेदन दिया जाता है तो ऐसे प्रत्यावेदनों पर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा ही विचार किया जायेगा।

अपीलीय व्यवस्था

यदि किसी अध्यापक को उसके अथवा अन्य शिक्षक के स्थानान्तरण के विषय में कोई आपत्ति हो कि उसका स्थानान्तरण उक्तवत निर्धारित नियमों के विपरीत किया गया है तो वह निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 15 दिन के भीतर उपर्युक्त नियमों के विपरीत किए गए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन अपने मण्डलीय अपर निदेशक/निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी प्रत्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर प्राप्त प्रत्यावेदन, उनके स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लेकर स्पष्ट आदेश निर्गत करेंगे।

2. उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव।